

राजस्थान वित्त विधेयक, 2014 (जैसा कि राजस्थान विधानसभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने एवं कतिपय अन्य प्रावधान करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान राज्य में कतिपय वस्तुओं के विक्रय या क्रय पर अवसंरचना विकास उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1 प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम.-** इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 है।

2. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.-** राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45 और 46 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "दो लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) में विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) के पूर्व निम्नलिखित उप-खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(कक) किसी व्यवहारी ने उसके कारबार के मुख्य स्थान पर कारबार बंद कर दिया हो; या"।

5. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 18 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 18 में विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) के अधीन आगत कर मुजरा केवल विक्रय व्यवहारी द्वारा, ऐसी रीति से जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाये, संदेय कर के जमा होने के सत्यापन के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जायेगा।"।

6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 में,-

- (i) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "छह प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) उप-धारा (2क) हटायी जायेगी।

7. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 22 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 22 की विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4) इस धारा के अधीन कोई भी आदेश उस वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के पश्चात् पारित नहीं किया जायेगा।"।

8. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"23. स्वनिर्धारण.- प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने उस वर्ष के लिये, धारा 21 के उपबंधों के अनुसार समस्त विवरणियां प्रस्तुत कर दी हैं, या धारा 73 के उपबंधों में यथा-अनुध्यात लेखापरीक्षा रिपोर्ट, धारा 21 के उपबंधों के अनुसार समस्त विवरणियों सहित धारा 24 की उप-धारा (2) के अधीन किसी सूचना के जारी होने से पूर्व प्रस्तुत कर दी है, वह धारा 24 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसी विवरणियों या, यथास्थिति, ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।"

9. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"24. निर्धारण.- (1) किसी व्यवहारी का निर्धारण एक वर्ष के लिए होगा और उस वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी दिये जाने की अंतिम तारीख के पश्चात् किया जायेगा। तथापि, बंद कारबार का निर्धारण इसके बंद किये जाने के तुरंत पश्चात् किया जा सकेगा।

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा दी गयी प्रत्येक विवरणी उसके सही होने का सत्यापन करने के लिए ऐसी संवीक्षा के अध्यक्षीन होगी, जो आयुक्त द्वारा अवधारित की जाये और यदि किसी विवरणी या विवरणियों में गलती का पता चलता है तो निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, गलतियों का सुधार करने के लिये व्यवहारी को विहित प्ररूप में एक नोटिस तामील करेगा और व्यवहारी ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, पुनरीक्षित विवरणी फाइल कर सकेगा।

(3) जहां कोई व्यवहारी, उप-धारा (2) के अधीन जारी नोटिस के अनुसरणमें,-

(क) नोटिस के निबंधनों के अनुसार पुनरीक्षित विवरणी या, यथास्थिति, विवरणियां देता है और कर, ब्याज, विलम्ब फीस, यदि कोई हो,

निक्षिप्त कराता है वहां उसे धारा 23 के अधीन निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा;

(ख) पुनरीक्षित विवरणी या, यथास्थिति, विवरणियां नहीं देता है, या व्यवहारी द्वारा दी गयी पुनरीक्षित विवरणी या, यथास्थिति, विवरणियां नोटिस के निबंधनों के अनुसार नहीं है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर व्यवहारी का अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।

(4) जहां कोई व्यवहारी धारा 21 के उपबंधों के अनुसार विवरणी देने में विफल रहता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर व्यवहारी का अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा और विवरणी फाईल नहीं करने के लिए प्रत्येक विवरणी के लिए न्यूनतम पांच हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, शुद्ध संदेय कर के बीस प्रतिशत के बराबर रकम की शास्ति अधिरोपित करेगा।

(5) इस धारा के अधीन कोई भी निर्धारण आदेश सुसंगत वर्ष के समाप्त होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा। तथापि, आयुक्त, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी विशेष मामले में ऐसी समय-सीमा को छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(6) उप-धारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन, किसी निर्धारण से संबंधित कोई कार्यवाही कर बोर्ड या किसी सक्षम न्यायालय या अन्य किसी प्राधिकरण के समक्ष, न्यायनिर्णयन के अध्यक्षीन है, वहां ऐसे मामलों में निर्धारण, ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम न्यायनिर्णयन से दो वर्ष के भीतर-भीतर पारित किया जा सकेगा। दो वर्ष की परिसीमा की गणना निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे अंतिम न्यायनिर्णयन के आदेश के संसूचना की तारीख से की जायेगी।"।

10. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 25 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 25 में विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, वहां ऐसा नोटिस जारी करने वाला प्राधिकारी सुसंगत वर्ष के लिए कर निर्धारण करने के लिए सक्षम होगा।

(5) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी नोटिस सुसंगत वर्ष की समाप्ति से पांच वर्षों की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं किया जायेगा।

(6) उप-धारा (3) और (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां निर्धारण से संबंधित कोई कार्यवाही कर बोर्ड या किसी सक्षम न्यायालय या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष न्यायनिर्णयन के अध्यक्षीन है, वहां ऐसे मामलों में निर्धारण ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम न्यायनिर्णयन से दो वर्ष के भीतर-भीतर पारित किया जा सकेगा। दो वर्ष की परिसीमा की संगणना ऐसे अंतिम न्यायनिर्णयन के आदेश की निर्धारण प्राधिकारी को संसूचना की तारीख से की जायेगी।"

11. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 26 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 26 में,-

- (i) उप-धारा (1) का विद्यमान स्पष्टीकरण हटाया जायेगा; और
- (ii) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) सुसंगत वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उप-धारा (1) के अधीन का कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जायेगा, और आठ वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कोई भी निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(3क) उपर्युक्त उप-धारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण से संबंधित कोई कार्यवाही कर बोर्ड या किसी सक्षम न्यायालय या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के न्यायनिर्णयन के अधीन हो तो ऐसे मामलों में निर्धारण ऐसी

कार्यवाहियों के अंतिम न्यायनिर्णयन से दो वर्ष के भीतर-भीतर जारी किया जा सकेगा। दो वर्ष की परिसीमा की गणना ऐसे अंतिम न्यायनिर्णयन आदेश के निर्धारण प्राधिकारी को संसूचना की तारीख से की जायेगी।"।

12. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 27 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 27 में विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(6) सुसंगत वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उप-धारा (4) के अधीन कोई नोटिस जारी नहीं किया जायेगा और आठ वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई भी निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(7) उप-धारा (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां निर्धारण से संबंधित कोई कार्यवाही कर बोर्ड या किसी सक्षम न्यायालय या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के न्यायनिर्णयन के अधीन हो तो ऐसे मामले में निर्धारण ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम न्यायनिर्णयन से दो वर्ष के भीतर-भीतर जारी किया जा सकेगा। दो वर्ष की परिसीमा की गणना ऐसे अंतिम न्यायनिर्णयन आदेश के निर्धारण प्राधिकारी को संसूचना की तारीख से की जायेगी।"।

13. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 38 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 38 की विद्यमान उप-धारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(7) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राज्य सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के अधीन रूग्ण घोषित किसी रूग्ण औद्योगिक इकाई द्वारा संदेय मांग की वसूली को, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी शर्तों पर, ब्याज के संदाय या दर के संबंध में ऐसी सीमा तक, आस्थगित कर सकेगी, जो उचित समझी जाये।"।

14. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 में धारा 51ख का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 51क के पश्चात् और विद्यमान धारा 52 के पूर्व निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"51ख. कर की रिबेट.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से, ऐसे व्यवहारियों या व्यवहारियों के वर्ग को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, कर की पूरी रकम तक रिबेट अनुज्ञात कर सकेगा।"

15. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 53 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 53 की विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4) जहां किसी रकम का प्रतिदाय किसी व्यवहारी को देय हो जाये, वहां वह प्रतिदाय की रकम के अतिरिक्त, उस वर्ष, जिससे कि वह संबंधित है, के ठीक पश्चात्पूर्वी वर्ष की 1 अप्रैल से संदाय की तारीख तक ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु जहां व्यवहारी ने वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कर की कोई रकम संदत्त कर दी है और ऐसी रकम प्रतिदत्त की जानी अपेक्षित है वहां ऐसी रकम के जमा किये जाने की तारीख से पूर्व की कालावधि पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा।"

16. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 61 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 61 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) जहां किसी व्यवहारी ने-

- (क) उसके द्वारा दी गयी किसी विवरणी में माल के विक्रय का कराधेय पण्यावर्त इस अधिनियम के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट कर की दर की बजाय कर की निम्नतर दर पर प्रकट किया है या उसके द्वारा दी गयी विवरणी में उसने जानबूझकर अन्यथा गलत विशिष्टियां दी हों; या
- (ख) इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संधारित किये जाने के लिए अपेक्षित अपने लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों में विक्रय या क्रय के

किसी भी संव्यवहार को, इस अधिनियम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कर की दर की अपेक्षा निम्नतर दर से समाविष्ट की हो; या

(ग) उसके द्वारा दी गयी किसी भी विवरणी से कोई भी विशिष्टियां छिपा ली हों; या

(घ) इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संधारित किये जाने के लिए अपेक्षित अपने लेखाओं रजिस्ट्रों या दस्तावेजों में विक्रय या क्रय के कोई भी संव्यवहार छिपाये हों; या

(ङ) इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन यथा अपेक्षित स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराने में विफल रहता है और कर का परिवर्जन किया हो; या

(च) किसी भी अन्य रीति से कर का परिवर्जन या अपवंचन किया हो,

वहां निर्धारण प्राधिकारी या सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी, जो आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाये, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, उस पर शास्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के अतिरिक्त परिवर्जित या अपवंचित कर की रकम के दोगुने के बराबर राशि उस पर अधिरोपित करेगा।"

17. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 67 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा और खण्ड (ख), (ग), (च), (छ) और (झ) के अधीन आने वाले अपराधों के लिए तीन मास के सादा कारावास के न्यूनतम दण्डादेश से दण्डनीय होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति-

"(1) खण्ड (ग) या (झ) के अधीन वर्णित अपराधों के लिए या ऐसे अपराधों के लिए जहां खण्ड (घ) के अधीन मांग नोटिस की रकम एक करोड़ रुपये से अधिक हो, वहां ऐसी अवधि के सादा कारावास से जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा किन्तु न्यूनतम

दण्डादेश छह मास के सादा कारावास और पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा; और

- (II) खण्ड (I) के अंतर्गत नहीं आने वाले अन्य अपराधों के लिए ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।"

प्रतिस्थापित की जायेगी।

18. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 91 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 91 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"91. आयुक्त की साधारण शक्तियां.- (1) आयुक्त, इस अधिनियम के निष्पादन में नियोजित समस्त अधिकारियों और व्यक्तियों को समय-समय पर ऐसे आदेश, अनुदेश और निदेश जारी कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के प्रशासन के लिए ठीक समझे और ऐसे समस्त अधिकारी और व्यक्ति आयुक्त के ऐसे आदेशों, निदेशों और निर्देशों का पालन और अनुसरण करेंगे।

(2) शासकीय उपयोग के प्रयोजनों के लिए आयुक्त, किसी भी समाचार पत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो वह उचित समझे, नोटिस देकर सभी व्यवहारियों से या व्यवहारियों के किसी भी वर्ग से या व्यक्तियों से ऐसी सूचना, विवरण या विवरणी देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो इस निमित्त जारी किये गये नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये।

(3) उप-धारा (1) के अधीन जारी किये गये ऐसे कोई भी आदेश, अनुदेश, निदेश जारी नहीं किये जायेंगे जो किसी अपील प्राधिकारी के उसके अपीलीय कृत्यों के प्रयोग के विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करते हों।

(4) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयुक्त स्वप्रेरणा से या इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा आवदेन करने पर, निर्धारणों और राजस्व के संग्रहण के कार्य में एकरूपता बनाये रखने के प्रयोजन के लिए, यदि वह ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है तो इस अधिनियम के अधीन दायी माल के

संबंध में इस अधिनियम के अधीन संदेय कर की दर स्पष्ट कर सकेगा और इस अधिनियम के निष्पादन में नियोजित समस्त अधिकारी और व्यक्ति ऐसे स्पष्टीकरण का पालन और अनुसरण करेंगे।

(5) उप-धारा (4) के अधीन ऐसा कोई भी आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि इसके साथ ऐसी फीस, जो ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, संदत्त की जाये के संदाय का सबूत संलग्न न हो।"।

19. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 95 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 95 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) जहां किसी व्यवहारी या उसके कारबार प्रबंधक द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग की राजकीय वेबसाइट के माध्यम से कोई विवरणी, आवेदन, संसूचना या सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाती है, वहां ऐसी विवरणी, आवेदन, संसूचना या सूचना उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी समझी जायेगी यदि उस व्यवहारी या कारबार प्रबंधक या व्यक्ति ने विहित रीति से इस ई-फाइलिंग के लिए वेबसाइट का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति दी है:

परन्तु ऐसा व्यवहारी या कारबार प्रबंधक या व्यक्ति जिसने विभाग की राजकीय वेबसाइट का उपयोग करने की सहमति दी हो, वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत किये गये ऐसे ई-दस्तावेजों को अस्वीकार या उनका प्रत्याख्यान नहीं करेगा।

(3) जहां कोई नोटिस, संसूचना या सूचना किसी व्यवहारी या उसके कारबार प्रबंधक या अन्य व्यक्ति पर वाणिज्यिक कर विभाग की राजकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से तामील की जाती है तो उक्त नोटिस, संसूचना या सूचना केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि यह व्यक्तिगत रूप में हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित नहीं है या यह समुचित रूप से तामील नहीं हुई है।"।

20. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 96 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 96, दिनांक 5 अक्टूबर, 2014 से हटायी जायेगी।

अध्याय 3

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 में संशोधन

21. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 12 का संशोधन.- राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 12 में,-

- (i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विलास कर अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विलास कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो," प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विलास कर अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विलास कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो," प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (iii) उप-धारा (7) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विलास कर अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विलास कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो," प्रतिस्थापित की जायेगी।

22. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे कर या मांग की रकम के दो प्रतिशत की दर से" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "ऐसी दर से जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये," प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 4 राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 में संशोधन

23. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की धारा 3 के परंतुक के विद्यमान खण्ड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदैव प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(3) जब राज्य सरकार का यह मत हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग द्वारा उपभुक्त ऊर्जा पर संदेय विद्युत शुल्क के संदाय से, चाहे भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से, बिना किसी शर्त के या ऐसी शर्त के साथ जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी।"।

अध्याय 5

राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 में संशोधन

24. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है,-

- (i) विद्यमान खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदैव से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(1) "ऐड्रसेबुल सिस्टम" का अर्थ है एक इलेक्ट्रानिक उपकरण (डिवाइस) अथवा किसी समेकित प्रणाली में प्रयुक्त एक से अधिक इलेक्ट्रानिक उपकरण जिसके माध्यम से टेलीविजन संकेत और मूल्य परिवर्धित सेवाएं एन्क्रिप्टिड अथवा अनएन्क्रिप्टिड रूप में प्रेषित की जा सकती हैं, जिन्हें सेवा प्रदाता द्वारा ग्राहक की पसंद और अनुरोध पर प्रदत्त प्राधिकार की सीमाओं में ग्राहक के परिसर में उपकरण या उपकरणों द्वारा डिकोडिड किया जा सकेगा;

(1क) "प्रवेश" में, किसी दर्शक के रूप में या किसी श्रोता के रूप में प्रवेश और मनोविनोद के प्रयोजनार्थ किसी मनोरंजन में भाग लेने हेतु प्रवेश सम्मिलित है और केवल टेलीविजन नेटवर्क और डाइरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा के माध्यम से मनोरंजन के मामले में किसी ग्राहक को दिया गया प्रत्येक कनेक्शन, प्रवेश समझा जायेगा;"।

- (ii) विद्यमान खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदैव से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

(2) "किसी मनोरंजन में प्रवेश" के अंतर्गत किसी ऐसे स्थान पर प्रवेश भी है, जिसमें मनोरंजन का आयोजन किया गया हो और केबल सेवा और डाइरेक्ट-टू-होम (प्रसारण) सेवा के जरिए केबल कनेक्शन सहित या केबल कनेक्शन रहित मनोरंजन के मामले में, किसी ग्राहक को दिये गये प्रत्येक कनेक्शन को मनोरंजन में प्रवेश समझा जायेगा;"।

(iii) खण्ड (4क) निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4क) "डाइरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा" का अर्थ है किसी उपग्रह प्रणाली का उपयोग करते हुए बिना किसी मध्यस्थ या अन्य किसी माध्यम के, ग्राहकों को सीधे मल्टी-चैनल टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों और समान विषय वस्तु का वितरण;"।

(iv) खण्ड (6) निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदैव से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(6) "मनोरंजन-कर" से वह कर अभिप्रेत है जो धारा 4 और 4कक के अधीन उद्गृहीत और प्रभारित किया जाये और इसमें धारा 6क के अधीन संदेय अतिरिक्त कर सम्मिलित है।"

(v) खण्ड (7) में,-

(i) उप-खण्ड (घ) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिन्ह ":" के स्थान पर विराम चिन्ह ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-खण्ड (घ) के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ड) वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 32) के अधीन संदत्त सेवा कर को अपवर्जित करते हुए, केबल सेवा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अंशदान, अभिदान, प्रतिष्ठापन, संस्थापन या कनेक्शन शुल्क या कोई अन्य शुल्क,

चाहे किसी भी रीति से संगृहीत किया गया हो, के रूप में किया गया कोई संदाय;

(च) वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 32) के अधीन संदत्त सेवा कर को अपवर्जित करते हुए, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई संदाय, जो केबल सेवा के माध्यम से या डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा के माध्यम से टेलीविजन संकेतों और मूल्य परिवर्धित सेवाओं के वितरण के लिए किसी प्रकार के ऐड्रिसेबुल सिस्टम, जो किसी टेलीविजन सेट, कम्प्यूटर प्रणाली को ग्राहक के परिसर के आवासीय या गैर आवासीय स्थान पर सीधे उपग्रह अथवा अन्य माध्यम से जोड़ता है, की सहायता से मनोरंजन के लिए अंशदान, अभिदान, प्रतिष्ठापन, संस्थापना अथवा कनेक्शन शुल्क अथवा वसूल किये गये किसी अन्य प्रकार के शुल्क के रूप में किया गया हो।"।

(vi) खण्ड (8) निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(8)"स्वत्वधारी" में, किसी मनोरंजन के संबंध में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होगा जो,-

(क) मनोरंजन के किसी संगठन से जुड़ा हो, या

(ख) मनोरंजन में प्रवेश के कार्य से प्रभारित हो, या

(ग) उसके प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हो या तत्समय उसका प्रभारी हो, या

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 13) की धारा 4, और भारतीय बेतार तार यान्त्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 17) के अधीन डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस रखने वाले और इसके अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम (1995 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 7) के

अधीन पंजीकृत या लाइसेंस-प्राप्त केबल टेलीविजन संकेत एवं मूल्य परिवर्धित सेवा प्रदाता भी है;"

- (vii) विद्यमान खण्ड (11क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदैव से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:- "(11क) "ग्राहक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो टेलीविजन नेटवर्क और मूल्य परिवर्धित सेवाओं के संकेत किसी स्वत्वधारी से उस स्थान पर प्राप्त कर रहा है, जिसका उल्लेख उसने सेवा प्रदाता के समक्ष किया हो, और वह किसी अन्य व्यक्ति को संकेत पारेषित न कर रहा हो: परन्तु केबल टेलीविजन नेटवर्क के संकेतों के आगे पारेषण के मामले में प्रत्येक कमरे या परिसर को जहां केबल टेलीविजन नेटवर्क के संकेत प्राप्त किये जा रहे हों, एक ग्राहक समझा जायेगा: परन्तु यह और कि डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण के मामले में, संकेत प्राप्त करने वाले प्रत्येक टेलीविजन सेट या कम्प्यूटर सेट को एक ग्राहक समझा जायेगा।"

25. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) में, अभिव्यक्ति "किसी मनोरंजन कर में प्रवेश के लिए" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "समस्त संदानों पर" के पश्चात् अभिव्यक्ति ", उस मनोरंजन जिस पर धारा 4 कक लागू होती है के अतिरिक्त", अन्तःस्थापित की जायेगी।

26. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 4कक का संशोधन.- (1) मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4कक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"4कक. केबल सेवा और डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा पर कर का उद्ग्रहण.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, केबल सेवा और डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा या केबल सेवा के माध्यम से या एड्रिसेबुल सिस्टम सहित या उससे रहित केबल टेलीविजन के माध्यम से किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिए सभी संदायों पर, ग्राहकों द्वारा, जिन पर धारा 4 लागू होती है, उनको छोड़कर, प्रत्येक ग्राहक के लिए प्रवेश के लिए संदाय के बीस प्रतिशत से अनधिक

की ऐसी दर पर जैसीकि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाये, मनोरंजन कर प्रभारित, उद्गृहीत और संदत्त किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार इस धारा के अधीन संदेय कर के लिए नियत रकम के रूप में कर की दर के रूप में ऐसी निश्चित रकम नियत कर सकेगी, जैसी कि अधिसूचित की जाये, किन्तु जो प्रति ग्राहक प्रतिमास, पचास रुपये या उसके भाग से अधिक नहीं होगी।

(3) उप-धारा (1) की कोई भी बात राज्य सरकार को किसी गृहस्थी के लिए या होटलों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लिए मनोरंजन कर की भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित करने से प्रवारित नहीं करेगी।

(4) जहां ग्राहक कोई होटल या रेस्टोरेन्ट हो, वहां स्वत्वधारी उप-धारा (1) के अधीन संदाय के बजाय राज्य सरकार को एक समेकित संदाय, ऐसी शर्तों और ऐसी रीति से कर सकेगा जो विहित की जाये और ऐसी दर से जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे तथा भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के होटलों और रेस्टोरेन्टों के लिए समेकित संदायों की भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकेंगी।"।

27. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 4ककक का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4ककक हटायी जायेगी।

28. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 5ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5ख की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति ",4ककक" हटायी जायेगी।

29. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6 में,-

- (i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "यह बताने वाला हो कि" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "समुचित मनोरंजन कर" के पूर्व अभिव्यक्ति "धारा 4 के अधीन संदेय" अन्तः स्थापित की जायेगी;
- (ii) उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इस अधिनियम" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन मनोरंजन" के पूर्व अभिव्यक्ति "की धारा 4" अन्तः स्थापित की जायेगी।

30. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 8 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"8. प्रतिदाय.- (1) जहां इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्वत्वधारी या किसी व्यक्ति को कोई रकम प्रतिदेय हो तो विहित प्राधिकारी, ऐसी रकम की जमा के तथ्य को सम्यक् रूप से सत्यापित करने के पश्चात्, ऐसे स्वत्वधारी या व्यक्ति को ऐसी रकम विहित रीति से प्रतिदत्त करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रतिदेय रकम आवेदन की प्रस्तुति की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर प्रतिदत्त की जायेगी और यदि ऐसी रकम तीस दिवस की उपर्युक्त कालावधि के भीतर-भीतर प्रतिदत्त नहीं की जाती है तो, स्वत्वधारी, उपर्युक्त कालावधि के अवसान की तारीख की पश्चातवर्ती तारीख से संदाय की तारीख तक, ऐसी दर पर जैसीकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) इस धारा में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल स्वत्वधारी या व्यक्ति, जिसने कर का भार वास्तविक रूप से सहन किया है या रकम संदत्त की है, प्रतिदाय का दावा कर सकता है और इस प्रकार सहन किये गये कर के भार को या इस प्रकार संदत्त रकम को साबित करने का भार प्रतिदाय का दावा करने वाले स्वत्वधारी या व्यक्ति पर होगा।"

31. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 9क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9क के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "4ककक" हटायी जायेगी।

32. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 24 की धारा 10ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 10ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"10ख. केबल सेवा और डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा पर कर के असंदाय के लिए शास्ति.- जहां केबल सेवा उपलब्ध कराने वाला केबल नेटवर्क का कोई स्वत्वधारी या डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवा का कोई स्वत्वधारी, इस अधिनियम

या तदधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में जारी किये गये किसी आदेश या निदेश का पालन करने में विफल रहता है, वहां वह दोषसिद्धि पर, छह मास से अनधिक के साधारण कारावास या दो हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने, या दोनों, से दण्डनीय होगा।"।

अध्याय 6 राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 में संशोधन

33. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13) की धारा 3 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंसठ प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 7 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

34. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (x) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xi) के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(x-क) "रियायत करार" से ऐसा कोई करार अभिप्रेत है जिसमें राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अन्य कानूनी संस्था द्वारा अधिकारों, भूमि या सम्पत्ति का, कतिपय शर्तों के अधीन, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या, यथास्थिति, किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम की ऐसी आस्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्यिक आधार पर कोई सेवा उपलब्ध कराने के लिए, प्रदान किया जाना अंतर्वर्तित हो;"

(ii) विद्यमान खण्ड (xxi) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xxii) के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(xxi-क) "इजाजत और अनुज्ञप्ति" से कोई ऐसी लिखत अभिप्रेत है, जिसे चाहे इजाजत या अनुज्ञप्ति के नाम से या किसी अन्य नाम से जाना जाये, जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी दूसरे को, या किसी निश्चित संख्या में अन्य व्यक्तियों को, प्रदाता की स्थावर संपत्ति में या पर ऐसी कोई बात करने या करते रहने का अधिकार, प्रदान करता है, जो ऐसे अधिकार के न होने पर विधिविरुद्ध होगी और ऐसा अधिकार सुखाचार या संपत्ति में कोई हित नहीं है;"

(iii) विद्यमान खण्ड (xxiii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(xxiii) ऐसी किसी भी संपत्ति, जो लिखत की विषयवस्तु है, के संबंध में "बाजार मूल्य" से, ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जो अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित की जाये, अवधारित वह कीमत, जो ऐसी संपत्ति के लिए प्राप्त हुई होती या प्राप्त होगी, यदि उसे उक्त लिखत के निष्पादन की तारीख को खुले बाजार में बेचा जाये, या लिखत में कथित प्रतिफल, जो भी उच्चतर हो, अभिप्रेत है;"।

35. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"4. स्टाम्प शुल्क का नकद संदाय.- (1) धारा 10 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

- (i) स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य कोई भी लिखत किसी अस्टाम्पित कागज पर निष्पादित की जा सकेगी; और
- (ii) ऐसी लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क ऐसी रीति से संदत्त या संगृहीत किया जा सकेगा जैसीकि राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उप-धारा (1) के खण्ड (iii) के अधीन स्टाम्प शुल्क के संदाय का ऐसा सबूत पेश करने पर, जैसाकि राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे, इस प्रकार संदत्त स्टाम्प शुल्क की रकम को लिखत पर ऐसी रीति से पृष्ठांकित कर सकेगा, जैसीकि राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे। (3) उप-धारा (2) के अधीन पृष्ठांकित कोई लिखत इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से स्टाम्पित समझी जायेगी और समस्त आशयों और समस्त प्रयोजनों के लिए उसका इसी रूप में उपयोग किया जा सकेगा या उस पर कार्रवाई की जा सकेगी।"

36. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में धारा 4-क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4 के पश्चात् और विद्यमान धारा 5 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"4-क. संदेय शुल्क, फीस या अधिभार या दी जाने वाली छूट में भिन्न का पूर्णांकन.- इस अधिनियम के अधीन संदेय शुल्क, अधिभार या फीस की या दी जाने वाली छूट की रकम अवधारित करने में 10 रुपये की कोई भी भिन्न, जो 50 पैसे के बराबर या उससे अधिक हो, का पूर्णांकन अगले 10 रुपये में किया जायेगा और 50 पैसे से कम की कोई भी भिन्न हिसाब में नहीं ली जायेगी।"

37. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 के परन्तुक के खण्ड (क) के विद्यमान उप-खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(ii) जिस कालावधि के दौरान लिखत अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही है, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम या इसके भाग पर, दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति, किन्तु ऐसी शास्ति स्टाम्प शुल्क में कमी के दोगुने से अधिक नहीं होगी।"

38. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 43 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 43 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"43. धारा 42 की उप-धारा (1) के अधीन शास्ति प्रतिदत्त करने की कलक्टर की शक्ति.- जहां किसी लिखत की कोई प्रति जो केवल इस कारण परिबद्ध की गयी है कि वह धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखी गयी है, धारा 42 की उप-धारा (1) के अधीन कलक्टर को भेजी जाती है तो, वह ऐसी लिखत के संबंध में संदत्त पूरी शास्ति वापस लौटा सकेगा।"

39. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 44 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये की शास्ति, अथवा यदि वह ठीक समझता है तो उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के दस गुने से अनधिक रकम, चाहे ऐसी रकम एक सौ रुपये से अधिक हो या कम हो," के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिस कालावधि के दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम या इसके भाग पर, दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, किन्तु जो स्टाम्प शुल्क में कमी के दोगुने से अधिक नहीं होगी," प्रतिस्थापित की जायेगी।

40. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 51 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 51 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) उप-धारा (1) या (2) के अधीन लिखत के प्राप्त होने पर, कलक्टर पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और विहित रीति से जांच करने के पश्चात् बाजार मूल्य और जिस कालावधि के दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम या इसके भाग पर, दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी की पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, किन्तु स्टाम्प शुल्क में कमी के दोगुने से अधिक न हो, की शास्ति और उस पर संदेय अधिभार यदि कोई हो, सहित स्टाम्प शुल्क अवधारित करेगा, और यदि इस प्रकार अवधारित शास्ति और अधिभार, यदि कोई हो,

सहित स्टाम्प शुल्क की रकम पूर्व में संदत्त शास्ति और अधिभार सहित स्टाम्प शुल्क की रकम से अधिक हो तो वह कम रकम, शास्ति और अधिभार, यदि कोई हो, सहित स्टाम्प शुल्क संदत्त करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा संदेय होगी।"; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(5) कलक्टर, उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य के सही होने के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजनार्थ उप-धारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति से या निष्पादक से या किसी भी अन्य व्यक्ति से, उप-धारा (1) या (2) के अधीन उसे निर्दिष्ट न की गयी कोई भी लिखत स्वप्रेरणा से या उप-धारा (4) के अधीन किये गये निर्देश पर मंगवा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और यदि ऐसी परीक्षा के पश्चात् उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य लिखत में सही तौर पर उपवर्णित नहीं किया गया है तो वह, उप-धारा (3) में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार बाजार मूल्य और जिस कालावधि के दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही, उस कालावधि के दौरान शुल्क में कमी की रकम या इसके भाग पर, दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी का पच्चीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, किन्तु जो स्टाम्प शुल्क के दो गुने से अधिक नहीं होगी, की शास्ति के साथ-साथ संदेय स्टाम्प शुल्क की रकम अवधारित कर सकेगा, जो स्टाम्प शुल्क और शास्ति संदत्त करने के दायी व्यक्ति द्वारा संदेय होगी।"।

41. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में धारा 52-क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 52 के पश्चात् और विद्यमान धारा 53 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"52-क. एक पक्षीय आदेश पर पुनः विचार करना.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कलक्टर द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है वहां व्यथित व्यक्ति, ऐसे आदेश की उसको संसूचना होने की तारीख से तीस दिवस के

भीतर-भीतर इस आधार पर कलक्टर को ऐसे आदेश पर पुनः विचार करने के लिए, आवेदन कर सकेगा कि उस मामले में उसको जारी की गयी सूचना या समन उसको प्राप्त नहीं हुए या कि उसे पर्याप्त कारण से उसको जारी की गयी किसी सूचना या समन का पालन करने से निवारित किया गया था। (2) यदि उप-धारा (1) के अधीन किये गये आवेदन में विनिर्दिष्ट आधार पर कलक्टर का समाधान हो जाये तो वह एक पक्षीय आदेश पर पुनः विचार करेगा और व्यथित व्यक्ति को सुनने के पश्चात् उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त करने की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।"।

42. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 53 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 53 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) उप-धारा (1) या (2) के अधीन दस्तावेज या लिखत के प्राप्त होने पर कलक्टर, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् दस्तावेज या लिखत का सही स्वरूप और कमी शुल्क की राशि पर उस अवधि के लिए जिसके दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही, प्रतिमास या उसके बाद के लिए दो प्रतिशत की दर से शास्ति या कमी स्टाम्प शुल्क का पच्चीस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, किन्तु कमी स्टाम्प शुल्क के दो गुने से अधिक न हो, और अधिभार, यदि कोई हो, सहित उस पर संदेय स्टाम्प शुल्क अवधारित करेगा और इस प्रकार अवधारित शास्ति और अधिभार, यदि कोई हो, सहित संदत्त स्टाम्प शुल्क के या उसकी पूर्ति करने के लिए अपेक्षित रकम के संदाय की अपेक्षा कर सकेगा।"; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(5) कलक्टर, उस दस्तावेज या लिखत के स्वरूप के संबंध में उसके सही होने के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजनार्थ

उप-धारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति से या निष्पादक से या किसी भी अन्य व्यक्ति से, उप-धारा (1) या (2) के अधीन उसे निर्दिष्ट न किया गया कोई भी दस्तावेज या लिखत, जो रजिस्ट्रीकृत कर दी गयी है और निष्पादक को या किसी भी अन्य व्यक्ति को वापस कर दी गयी है, स्वप्रेरणा से या उप-धारा (4) के अधीन या अन्यथा किये गये निर्देश पर मंगवा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और पक्षकारों को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि दस्तावेज या लिखत का स्वरूप सही तौर पर उल्लिखित या अवधारित नहीं किया गया था, तो वह उस दस्तावेज या लिखत का सही स्वरूप और उस पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, प्रतिमाह कमी शुल्क की राशि या इसके भाग के दो प्रतिशत की दर से ऐसी कालावधि के लिए जिसके दौरान लिखत अस्टाम्पित या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित रही या स्टाम्प शुल्क में कमी की पच्चीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, किन्तु स्टाम्प शुल्क के दो गुने से अधिक नहीं होगी, की शास्ति के साथ-साथ उस पर संदेय स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, सहित इस प्रकार अवधारित स्टाम्प शुल्क या उसकी पूर्ति करने के लिए अपेक्षित रकम के संदाय की अपेक्षा कर सकेगा।"।

43. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में नयी धारा 56-क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 56 के पश्चात् और विद्यमान धारा 57 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"56-क. ब्याज और शास्ति को कम करने या अधित्यजन करने की महानिरीक्षक स्टाम्प की शक्ति.- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानिरीक्षक स्टाम्प किसी व्यतिक्रमी द्वारा इस निमित्त किये गये आवेदन पर ब्याज या शास्ति या दोनों की रकम को पच्चीस हजार रुपये की अधिकतम सीमा तक कम कर सकेगा या उसका अधित्यजन कर सकेगा, यदि वह व्यतिक्रमी ऐसे आदेश से तीस दिवस के भीतर-भीतर इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदत्त किए जाने वाले शुल्कों, शास्तियों, ब्याज और किन्हीं अन्य राशियों की शेष रकम जमा करने के लिए सहमत हो जाता है।

(2) यदि व्यतिक्रमी उस उप-धारा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम जमा कराने में विफल हो जाता है तो उप-धारा (1) के अधीन पारित कम करने या अधित्यजन करने का आदेश तीस दिवस की पूर्वोक्त कालावधि की समाप्ति पर प्रत्याहृत हो जायेगा।"

44. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 72 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 72 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"72. शुल्क, अधिभार या शास्ति पर ब्याज.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन (अवधारण, अपील, पुनरीक्षण, परिशुद्धि या अन्यथा सहित) किसी कार्यवाही में पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति से शुल्क या अधिभार की राशि वसूलीय है, वहां वह, ऐसी लिखत के निष्पादन की तारीख से लेकर जब तक उक्त रकम का संदाय नहीं कर दिया जाता तब तक, शुल्क या अधिभार की रकम पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि दर से ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा। (2) जहां इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति से शास्ति की कोई रकम वसूलीय है वहां वह ऐसे आदेश की तारीख से ऐसी राशि के संदाय की तारीख तक ऐसी शास्ति की रकम पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि दर से ब्याज का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा।"

45. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(i) अनुच्छेद 5 के विद्यमान खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

<p>"(च) यदि किसी उत्पाद के प्रोत्साहन के लिए किये गए किसी विज्ञापन; या उसमें से लाभ प्राप्त करने या कारबार करने के आशय से कार्यक्रम या इवेण्ट से संबंधित है,-</p>	
<p>(i) यदि करार की गई रकम दस लाख रुपये से अधिक नहीं है;</p>	<p>न्यूनतम 100 रुपये के अध्यधीन रहते हुए, संविदा में करार की गई प्रत्येक</p>

	1000 रुपये या उसके भाग की रकम पर दो रुपये पचास पैसे।
(ii) अन्य किसी मामले में,	संविदा में करार की गई रकम पर प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग पर पांच रुपये।
"(च) यदि किसी इवेंट या फिल्म को टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट करने या उसका प्रदर्शन करने के अनन्य अधिकार प्रदान करने से संबंधित है,-	
(i) यदि करार की गई रकम दस लाख रुपये से अधिक नहीं है;	न्यूनतम 100 रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, संविदा में करार की गई प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग की रकम पर दो रुपये पचास पैसे।
(ii) अन्य किसी मामले में,	संविदा में करार की गई रकम पर प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग पर पांच रुपये।";

(ii) विद्यमान अनुच्छेद 5-क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"5-क. किसी व्यापारिक सदस्य द्वारा धारा 2 के खण्ड (i) और (xxvii) में निर्दिष्ट किसी संगम या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कार्यान्वित संव्यवहार का अभिलेख (इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा),-	
(क) यदि सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय और क्रय से संबंधित हो।	प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक करोड़ रुपये या उसके भाग के लिए पचास रुपये।
(ख) यदि उपर्युक्त मद (क) के अधीन	

आने वाली से भिन्न प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय से संबंधित हो,-	
(i) परिदान के मामले में	प्रतिभूति के मूल्य का 0.01 प्रतिशत।
(ii) अपरिदान के मामले में	प्रतिभूति के मूल्य का 0.01 प्रतिशत।
(ग) यदि भावी और विकल्प व्यापार से संबंधित हो।	भावी और विकल्प व्यापार के मूल्य का 0.01 प्रतिशत।
(घ) यदि किसी संगम के माध्यम से या अन्यथा व्यापार की गयी वस्तुओं की अग्रिम संविदा से संबंधित हो।	अग्रिम संविदा के मूल्य का 0.01 प्रतिशत।
स्पष्टीकरण.- खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए प्रतिभूति का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में परिभाषित है।";	

(iii) विद्यमान अनुच्छेद 20 के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 21 के पूर्व निम्नलिखित नया अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"20-क. धारा 2(x-क) द्वारा यथापरिभाषित रियायत करार	(i) 2 लाख रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपये तक हो;
स्पष्टीकरण.- इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम सं.) के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व निष्पादित रियायत करार, इस अनुच्छेद के अधीन प्रभार्य होगा और ऐसे प्रारम्भ के तीस दिवस के भीतर-	(ii) 10 लाख रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपये तक है किन्तु 50 करोड़ रुपये से अधिक न हो; (iii) 40 लाख रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक है किन्तु 200 करोड़ रुपये से अधिक न हो; (iv) 1 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 200 करोड़ रुपये से अधिक है

भीतर स्टाम्पित किया जायेगा।	किन्तु 500 करोड़ रुपये से अधिक न हो; (v) 2 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 500 करोड़ रुपये से अधिक है किन्तु 1000 करोड़ रुपये से अधिक न हो; (vi) 5 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 1000 करोड़ रुपये से अधिक है किन्तु 2500 करोड़ रुपये से अधिक न हो; (vii) 10 करोड़ रुपये, जहां कुल पूंजी निवेश 2500 करोड़ रुपये से अधिक हो।";
-----------------------------	---

(iv) अनुच्छेद 21 के विद्यमान खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iii) यदि किसी कंपनी के आमेलन, डीमर्जर (Demerger) या पुनर्गठन के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) की धारा 394 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हो,-	अन्तरक कंपनी की सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति के मूल्य से अंतरक कंपनी की राजस्थान राज्य में स्थित स्थावर सम्पत्ति के अनुपात के बराबर अंतरक कंपनी के शुद्ध मूल्य के उस भाग पर दो प्रतिशत; लिखत पर अन्यत्र संदत्त स्टाम्प ड्यूटी, यदि कोई हो, के अतिरिक्त;"।
--	---

(v) अनुच्छेद 21 के विद्यमान खण्ड (iii) के पश्चात् और "छूट" के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) यदि वह अन्तरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) से संबंधित	ऐसे अन्तरणीय विकास अधिकारों के प्रति सम्पत्ति के संबंधित भाग के
--	---

है	बाजार मूल्य के समान अन्तरणीय विकास अधिकारों के बाजार मूल्य पर पांच प्रतिशत, जो हस्तान्तरण विलेख की विषय वस्तु है; या ऐसे हस्तान्तरण विलेख के लिए प्रतिफल है; जो भी अधिक हो।";
----	---

- (vi) अनुच्छेद 21 का विद्यमान स्पष्टीकरण (ii) हटाया जायेगा; और
- (vii) विद्यमान अनुच्छेद 33 के पश्चात् और विद्यमान अनुच्छेद 34 के पूर्व निम्नलिखित नया अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"33-क. आवासीय संपत्ति से भिन्न स्थावर संपत्ति से संबंधित इजाजत और अनुज्ञप्ति करार।	कालावधि, जिसके लिए ऐसी इजाजत और अनुज्ञप्ति करार निष्पादित किया गया है, को विचार में लिये बिना, संदेय या परिदेय संपूर्ण रकम पर और जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन की कुल रकम पर प्रति सौ रुपये या उसके भाग पर एक रुपया।"
--	---

अध्याय 8

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

46. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-घ का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 4-घ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"4-घ. ग्रीन कर का उद्ग्रहण.- (1) इस अधिनियम की धारा 4, 4-ख और 4-ग के अधीन उद्ग्रहीत कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में

यथाविनिर्दिष्ट, सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त ऐसे यानों पर, स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे समय पर, इस सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम दरों से अनधिक ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जायें, "ग्रीन कर" के नाम से एक उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा।

सारणी

क्र.सं.	यान का वर्ग	समय	उपकर की अधिकतम दर (रुपये में)
1	2	3	4
1.	गैर-परिवहन यान		
	(क) दुपहिया	मोटर यान अधिनियम, 1988	1000
	(ख) डीजल से चालित चार पहियों वाले यान	(1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 की उप-	5000
	i. 1500 सीसी तक इंजिन क्षमता वाले हल्के मोटर यान	धारा (10) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के समय।	10000
	ii. 1500 सीसी से अधिक और 2000 सीसी तक इंजिन क्षमता वाले हल्के मोटर यान		10000
	iii. 2000 सीसी से अधिक इंजिन क्षमता और पांच सीट क्षमता तक वाले हल्के मोटर यान		10000

	IV.	2000 सी सी से अधिक इंजिन क्षमता और पांच से अधिक सीट क्षमता वाले हल्के मोटर यान।		25000
	(ग)	पेट्रोल/तरल पेट्रोल गैस से चालित चार पहियों वाले यान:		
	I.	1500 सीसी तक की इंजिन क्षमता वाले हल्के मोटर यान		2000
	II.	1500 सीसी से अधिक और 2000 सीसी तक की इंजिन क्षमता वाले हल्के मोटर यान		2500
	III.	2000 सीसी से अधिक की इंजिन क्षमता और पांच सीट तक क्षमता वाले हल्के मोटर यान		3000
	IV.	2000 सीसी से अधिक की इंजिन क्षमता और पांच से अधिक सीट क्षमता वाले हल्के मोटर यान		5000
	(घ)	उपर्युक्त ईंधन चालित चार पहियों वाले यानों से भिन्न यान		1000
	(ड.)	अन्य गैर-परिवहन यान		2000
2.	परिवहन यान	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा		2000

		41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 56 के अधीन सही हालत में होने के प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के समय।	
--	--	--	--

(2) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, उनको छोड़कर जो कर के प्रतिदाय से संबंधित हैं, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन संदेय उपकर के अधिरोपण, संदाय, संगणना और वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के अधिरोपण, संदाय, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।"।

47. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) में,

- (i) द्वितीय परन्तुक की विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "छह" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) विद्यमान तृतीय परन्तुक हटाया जायेगा।

अध्याय 9

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में संशोधन

48. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 25 का हटाया जाना.- राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं. 2), जिसे इसमें इस अध्याय के पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 25 हटायी जायेगी।

49. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 42 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 42 के खण्ड (ज) में, अन्त में आए विराम चिन्ह "।" के स्थान पर,

विराम चिन्ह ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार प्रतिस्थापित खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(झ) किसी भी प्रकार के कच्चे माल से आबकारी योग्य वस्तुओं के उत्पादन के मानकों को विहित करना।"

50. 1950 के अधिनियम सं. 2 में धारा 62क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 62 के पश्चात् और विद्यमान धारा 63 के पूर्व, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"62क. कम्पनी द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, जो किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु जहां किसी कंपनी के भिन्न-भिन्न स्थापन या शाखाएं हैं या किसी स्थापन या शाखा में भिन्न-भिन्न यूनिटें हैं वहां संबद्ध प्रमुख या कंपनी द्वारा आबकारी योग्य वस्तुओं के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में नामनिर्देशित ऐसे स्थापन या शाखा या यूनिट का भारसाधक व्यक्ति ऐसे स्थापन, शाखा या यूनिट की बाबत उल्लंघन के लिए दायी होगा:

परन्तु यह और कि इस उप-धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित दंड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक,

प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।"

51. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 67 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) धारा 54 या धारा 54ख या धारा 54घ या धारा 57 या धारा 59 या धारा 62क या धारा 63 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान अपनी स्वयं की जानकारी या संदेह या किसी शिकायत या आबकारी अधिकारी की रिपोर्ट के बिना नहीं करेगा; या"

अध्याय 10

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में संशोधन

52. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 7), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के विद्यमान खण्ड (ट) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ठ) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(टट) "राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि" से धारा 6क के अधीन सृजित निधि अभिप्रेत है;"।

53. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 में धारा 6क का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 6 के पश्चात् और विद्यमान धारा 7 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"6क. राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि.- (1) राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि" (जिसे इसमें आगे निधि कहा गया है) के नाम से राज्य के लोक लेखा में सृजित एक निधि होगी।

(2) किसी भी वर्ष में राज्य की कर प्राप्तियां, जिनमें स्वयं के कर और केन्द्रीय करों का हिस्सा समाविष्ट हो, और जो पूर्ववर्ती वर्ष से 17.5 प्रतिशत अधिक हों, और कोई भी अन्य राजस्व प्राप्तियां जो राज्य सरकार उचित समझे, राज्य विधान-मण्डल इस संबंध में यदि विधि द्वारा विनियोग का उपबंध करे तो, आगामी वर्ष में निधि में जमा की जायेंगी।

(3) निधि, राज्य सरकार द्वारा केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में ली जा सकेगी:-

(क) किसी वर्ष, जिसमें राज्य की कर प्राप्तियां, जिनमें स्वयं के कर और केन्द्रीय करों का हिस्सा समाविष्ट हो, पूर्ववर्ती वर्ष से 10 प्रतिशत कम प्राक्कलित की जायें, किसी राजस्व या पूंजीगत व्यय की पूर्ति के लिए;

(ख) विकास स्कीमों या गरीबी कम करने के कार्यक्रमों पर व्यय की पूर्ति के लिए।

(4) निधि का उपयोग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथा परिभाषित गैर-विकास या स्थापन व्यय की पूर्ति करने के लिए नहीं किया जायेगा।"।

अध्याय 11

अवसंरचना विकास उपकर

54. प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अध्याय का प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। **55. परिभाषाएं.-** (1) इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "उपकर" से धारा 56 के अधीन उद्गृहीत अवसंरचना विकास उपकर अभिप्रेत है;

- (ख) "अवसंरचना" से, सड़कों, पुलों, फ्लाईओवरों, मेट्रो रेलों, विद्युत् उत्पादन संयंत्रों, पवन चक्कियों, सौर संयंत्रों, पारेषण और वितरण लाइनों, विद्युत् उप-केन्द्रों, जलापूर्ति प्रणाली, जल निष्यंदन और उपचार संयंत्रों, मल उपचार संयंत्रों, जल-निकास पाइप लाइनों, स्वच्छता सुविधाओं, सिंचाई संरचनाओं, सिंचाई नहरों और जलाशयों, जल संग्रहण और जल संरक्षण, औद्योगिक गलियारों, विनिधान और विनिर्माण जोन, विशेष आर्थिक जोन, शिक्षा और अनुसंधान, क्रीड़ा, स्वास्थ्य परिचर्या, पर्यटन, परिवहन से संबंधित परियोजनाएं और ऐसी अन्य स्कीमें या परियोजनाएं, जो कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, अभिप्रेत हैं;
- (ग) "विहित" से इस अध्याय के अधीन बनाये गये नियमों के द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (घ) "क्रय कीमत" से इस अध्याय के अधीन उपकर उद्गृहीत करने के प्रयोजनों से किसी व्यवहारी के द्वारा माल के क्रय के लिए, समस्त संदेय कानूनी उद्ग्रहणों को सम्मिलित करते हुए, प्रतिफल के रूप में संदेय रकम अभिप्रेत है; और

(2) इस अध्याय में प्रयुक्त परन्तु परिभाषित नहीं किये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वह अर्थ होगा जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) के अधीन उन्हें समनुदेशित है।

56. उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण.- (1) इस अध्याय के अन्य उपबंधों और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर, ऐसी दरों पर उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा, जो माल के विक्रय या क्रय कीमत के छह प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन उद्गृहणीय उपकर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उप-धारा (1) में निर्दिष्ट माल के विक्रय या क्रय पर उद्गृहणीय किसी कर के अतिरिक्त होगा।

57. उपकर के आगमों का अनुप्रयोग.- इस अध्याय के अधीन उद्गृहीत उपकर के आगमों को, राज्य सरकार द्वारा यथा-अवधारित संग्रहण की लागत को कम करते हुए, यदि राज्य विधान-मण्डल इस निमित्त विधि द्वारा बनाये गये विनियोग द्वारा उपबंध करती है तो निम्नलिखित समस्त या किसी उद्देश्य के लिए, उपयोग में लाया जायेगा, अर्थात्:-

(क) अवसंरचना का विकास; या

(ख) अवसंरचना परियोजनाओं का रखरखाव, नवीनीकरण या प्रबंधन; या

(ग) अवसंरचना विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण।

58. छूट देने की शक्ति.- यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा इस अध्याय के अधीन देय उपकर के संदाय से, चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से किसी शर्त के बिना या अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्त सहित, पूर्णतः या भागतः छूट दी जा सकेगी।

59. विवरणियों का दिया जाना.- प्रत्येक व्यक्ति ऐसी रीति से और ऐसे समय पर और विवरणियां दिये जाने में विलम्ब पर, ऐसी विलम्ब फीस सहित, जो पचास हजार रुपये से अधिक न हो, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जो विहित किया जाये, विवरणी देगा।

60. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के उपबंधों का लागू होना.- जब तक इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित न हो, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) और तदधीन बनाये गये नियमों में निर्धारण, संग्रहण, ब्याज, शास्ति, वसूली, प्रतिदाय, अपील और पुनरीक्षण संबंधित उपबंध, इस अधिनियम के अधीन उद्गृहणीय किए जाने योग्य उपकर के संबंध में, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

61. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध किए जा सकेंगे-

- (क) वह रीति जिसमें उपकर के आगमों से संबंधित लेखा संधारित किये जायेंगे;
- (ख) वह रीति जिसमें उपकर के आगमों की धारा 57 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा;
- (ग) उपकर के संग्रहण की लागत का अवधारण; या
- (घ) साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए।

(3) इस अध्याय के अधीन बनाये गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए रखे जायेंगे जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि, ऐसे सत्र, जिनमें वे इस प्रकार रखे गये हैं, या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व, राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई भी उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई भी नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो ऐसे नियम तत्पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण, तदधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उप-धारा (1) का खण्ड (ख) उन विनिर्माताओं जिनका वार्षिक पण्यवर्त दो लाख रुपये से अधिक है, के लिए कर को घटाने का उपबंध करता है। लघु विनिर्माताओं और कारीगरों को राहत देने की दृष्टि से धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि उपवर्णित रकम दो लाख के स्थान पर रकम पांच लाख प्रतिस्थापित की जा सके।

उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) कतिपय परिस्थितियों में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द करने का उपबंध करती है। यदि कोई व्यवहारी, बिना सूचना के अपने कारबार के मुख्य स्थान में परिवर्तन कर देता है तो उसका पता लगाना और कर परिवर्जन या अपवंचन की दशा में शोध्य मांग को वसूल करना कठिन होगा। अतः, उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) में खण्ड (कक), ऐसे व्यवहारियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के लिए, अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) मूपक बीजक के आधार पर आगत कर मुजरा अनुज्ञात करने के लिए निक्षेपित करों के सत्यापन का उपबंध करती है। समस्त निर्धारण प्राधिकारियों के लिए सत्यापन की प्रणाली में एकरूपता बनाये रखने के लिए, यह प्रस्तावित है कि आयुक्त को सत्यापन की प्रक्रिया को अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए। तदनुसार उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) में यथोचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) अवार्डर के द्वारा कर की कटौती का उपबंध करती है। कर कटौती की दर की वर्तमान सीमा छह प्रतिशत है। उक्त सीमा को छह प्रतिशत से बढ़ाकर बीस प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है, ताकि उन परिस्थितियों को समाविष्ट किया जा सके, जहां संकर्म संविदा के निष्पादन में संदेय कर संविदा मूल्य के छह प्रतिशत से अधिक हो। तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) में यथोचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

धारा 20 की उप-धारा (2क) के उपबंधों के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों को देखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 20 की उक्त उप-धारा को हटाया जाना प्रस्तावित है।

धारा 20 के उपबंधों के अनुसार कर निक्षिप्त करने में विफल रहने या उक्त अधिनियम की धारा 21 के उपबंध के अनुसार विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहने के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22, निर्धारण का उपबंध करती है। यह स्पष्ट करने के लिए कि रिटर्न फाइल किये जाने की तारीख के पश्चात् इस धारा के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। उक्त अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (4) में संशोधन प्रस्तावित है।

जहां वार्षिक विवरणी विहित समय में प्रस्तुत की जा चुकी है, उक्त अधिनियम की धारा 23 स्वनिर्धारण का उपबंध करती है। उन व्यवहारियों को समाविष्ट करने, जिन्होंने रिटर्न विलंब से परन्तु धारा 24 के अधीन नोटिस जारी करने से पूर्व फाइल किये हैं स्वनिर्धारण के परिक्षेत्र में वृद्धि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 23 संशोधित की जानी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, त्रैमासिक निर्धारण का उपबंध हटाया जायेगा क्योंकि त्रैमासिक निर्धारण के लिए विकल्प का बहुत कम व्यवहारियों ने चयन किया है।

उक्त अधिनियम की धारा 24 निर्धारण के लिए उपबंध करती है। ऐसे मामलों में जहां कर बोर्ड या अपीलीय प्राधिकारी कोई रिमाण्ड करता है और विभाग ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण करता है वहां आदेश के दो वर्षों के भीतर निर्धारण आदेश किया जायेगा। ऐसे मामलों में सर्वथा अंतिम न्यायनिर्णयन के पश्चात् निर्धारण आदेश पारित किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए, धारा 24 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। समान प्रावधान धारा 25, 26, और 27 में भी किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (7) का खण्ड (ख) आरंभिक रूग्णता के मामले में कर और किस्तों के आस्थगन का उपबंध करता है। यह छूट किसी औद्योगिक उपक्रम की आरम्भिक रूग्णता के मामले दिया जाना प्रस्तावित नहीं है, अतः यह प्रस्तावित है कि उक्त खण्ड को वापस लिया जाये। तदनुसार उक्त अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (7) में यथोचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

व्यवहारियों या व्यवहारियों के वर्ग को कर की पूरी रकम से छूट प्रदान किये जाने को अनुज्ञात किये जाने की दृष्टि से उक्त अधिनियम में नयी धारा 51ख अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (4) किसी व्यवहारी को प्रतिदेय रकम पर संदेय ब्याज का उपबंध करती है। जहां ऐसी रकम प्रतिदेय पायी जाए तो व्यवहारी को ऐसी रकम पर ब्याज संदेय होगा। चूंकि प्रतिदाय, वर्ष की समाप्ति के पश्चात् देय होता है अतः यह प्रस्तावित है कि किसी व्यवहारी को, आगामी वर्ष की अप्रैल की प्रथम तारीख से प्रतिदाय की तारीख तक ब्याज या प्रतिदाय अनुज्ञात किया जायेगा। यदि प्रतिदत्त की जाने वाली रकम वर्ष की समाप्ति से पूर्व जमा करा दी जाये। तदनुसार उक्त अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (4) में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 61 कर से परिवर्जन या अपवंचन के लिए शास्ति का उपबंध करती है। कई मामलों में यह देखा गया है कि व्यवहारी उक्त अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट कर की दर से कम दर पर कर संदत्त कर रहे हैं शास्ति के अधिरोपण के लिए इन अपराधों को स्पष्ट करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 61 की उप-धारा (1) संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (1) अपराधों के अभियोजन का उपबन्ध करती है। कतिपय मामलों, विशेष रूप से एक करोड़ से अधिक की किसी मांग के असंदाय के लिए और कपट के मामलों के लिए निरोधक उपबंध करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (1) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 91 विभाग के कृत्यकरण के लिए विशिष्टतया संदेय कर की दर के संबंध में, निर्धारण के कार्य में एकरूपता लाने की दृष्टि से निदेश, मार्गदर्शक सिद्धांत आदि जारी करने के लिए आयुक्त को सशक्त करती है। तदनुसार उक्त अधिनियम की धारा 91 में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 95 नोटिस, प्ररूप, विवरणियों इत्यादि को सम्मिलित करते हुए इलेक्ट्रानिक संसूचना को विधिक प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए, संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 96 कर समझौता बोर्ड का उपबंध करती है। चूंकि कर समझौता बोर्ड किसी प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाया है अतः इसे हटाया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान विलासिता (होटलों और बासों) पर कर अधिनियम, 1990

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित भिन्न-भिन्न अधिनियमों के अधीन एक ही रजिस्ट्रीकरण संख्या रखने और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के उपबंधों के साथ रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए राजस्थान विलासिता (होटलों और बासों) पर कर अधिनियम, 1990 की धारा 12 में संशोधन प्रस्तावित है।

इसी प्रकार उक्त अधिनियम और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन ब्याज की दर में एकरूपता रखने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 20 में संशोधन प्रस्तावित है।

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 की धारा 3 के परन्तुक का खण्ड (3) उपभोक्ताओं के कतिपय वर्ग के लिए छूट का उपबंध करता है। विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन और प्रोन्नयन स्कीमें उपभोक्ताओं के कतिपय वर्ग को विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है, जो उक्त परन्तुक में समावेशित नहीं है। सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए उक्त खण्ड को इस प्रकार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है जैसे कि यह सदैव से उक्त अधिनियम में था।

राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957

राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 केबल सेवा और डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा के माध्यम से मनोरंजन पर कर के उद्ग्रहण का उपबंध करता है। डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा और केबल सेवा के माध्यम से मनोरंजन की विषयवस्तु एक सी हैं किन्तु उक्त अधिनियम में कर के उद्ग्रहण के लिए भिन्न-भिन्न उपबंध हैं और कराधान की भिन्न-भिन्न प्रणालियां हैं। इन सेवाओं के माध्यम से मनोरंजन के लिए समान उपबंध किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए धारा 4कक और 4ककक को एक ही धारा में शामिल करने के लिए संशोधन प्रस्तावित है। मनोरंजन के इस वर्ग और अन्य मनोरंजनों के बीच अन्तर करने के लिए धारा 4 में भी संशोधन प्रस्तावित है। इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप परिभाषा खण्ड और निर्धारण, ब्याज और शास्ति के खण्डों में भी संशोधन अपेक्षित हैं। तदनुसार, धारा 3, धारा 4कक, धारा 4ककक, धारा 5ख, धारा 6, धारा 9क और धारा 10ख में संशोधन प्रस्तावित हैं।

प्रतिदाय से संबंधित उपबंध उक्त अधिनियम की धारा 8 में दिये गये हैं। इन्हें राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के तत्समान उपबंधों के समान बनाने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 8 संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उप-धारा (1) उक्त अधिनियम के अधीन कर की दर की अधिकतम सीमा उपबंधित करती है। वर्तमान में यह माल के मूल्य का बीस प्रतिशत है। राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उप-धारा (1) को संशोधित कर के इस अधिकतम दर को बढ़ाकर पैंसठ प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में वर्तमान में "रियायत करार" और "इजाजत और अनुज्ञप्ति करार" न तो परिभाषित हैं और न ही अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप से सम्मिलित हैं और अनुसूची के अनुच्छेद 5 के अधीन साधारण करारों के रूप में स्टाम्प से प्रभार्य हैं।

इन लिखतों पर स्टाम्प शुल्क के लिए उपबंध करने की दृष्टि से, ऐसी लिखतों को परिभाषित करने के लिए अधिनियम की धारा 2 संशोधित की जानी प्रस्तावित है इन लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की विशेष दरें उपबंधित करने के लिए और अनुसूची में इन लिखतों को सम्मिलित करने के लिए अधिनियम की अनुसूची संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

"बाजार मूल्य" की वर्तमान परिभाषा जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) या अन्य प्राधिकारी द्वारा भूमि या संपत्ति की बाजार दरों के अवधारण का उपबन्ध नहीं करती। वर्तमान में बाजार दरें अधिनियम में विधिक उपबंध के बिना राजस्थान स्टाम्प नियम के अधीन उपबंध के आधार पर जिला स्तरीय समिति द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जा रही हैं। इसलिए, धारा 2 का खण्ड (xxiii) के अधीन "बाजार मूल्य" की परिभाषा संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

वर्तमान में स्टाम्प शुल्क केवल स्टाम्प पत्रों अर्थात् छापित या आसंजक स्टाम्प पत्र, फ्रैंकिंग या ई-स्टाम्प की मार्फत संदत्त किया जा सकता है। आपवादिक परिस्थितियों में, जब छापित या आसंजक स्टाम्प पत्र स्टैक में नहीं हों तो स्टाम्प शुल्क नकद संदत्त किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी में उन्नति होने के साथ ही, आम जनता और साथ ही साथ राज्य सरकार के लिए स्टाम्प शुल्क के संदाय और संग्रहण को आसान बनाया जा सकता है। इसलिए, अन्य पद्धतियों के माध्यम से भी स्टाम्प शुल्क के संदाय हेतु उपबंध करने के लिए धारा 4 यथोचित रूप से संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

स्टाम्प शुल्क में भिन्नों का पूर्णांकन करने के बारे में अधिनियम में उपबन्ध विद्यमान नहीं है। अतः इस प्रयोजन के लिए एक नयी धारा 4-क अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार, कलक्टर को स्टाम्प शुल्क के अपवंचन या परिवर्जन के मामलों में परिवर्जन या अपवंचन किये गये स्टाम्प शुल्क की रकम पर एक सौ रुपये, से लेकर उस रकम की दस गुना तक की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार शास्ति के अधिरोपण के संबंध में कलक्टर को विवेकाधिकार की व्यापक सीमा है। राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि विवेकाधिकार की इस व्यापक सीमा से राजस्व की हानि और संबंधित पक्षकारों के प्रति असमानता कारित होती है। विवेकाधिकार की इस व्यापक सीमा ने एक बड़ी सीमा तक शास्ति के भयपरतिकारी प्रभाव को भी कम कर दिया है क्योंकि अपवंचक सदैव निम्नतम शास्ति के बारे में सोचता है।

कलक्टरों के इस विवेकाधिकार को समाप्त करने के लिए और परिवर्जित स्टाम्प शुल्क की रकम को समय और प्रतिशत दर के अनुसार शास्ति से संबद्ध करने के लिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपवंचन और परिवर्जन का प्रत्येक कृत्य परिवर्जित रकम के अनुपात में शास्ति को आमंत्रित करेगा, परिवर्जक या अपवंचक के प्रति यह स्पष्ट हो जायेगा कि स्टाम्प शुल्क के परिवर्जन और अपवंचन से प्राप्त लाभ को शास्ति के रूप में वापस संदत्त करना होगा। इस प्रकार इसका एक भयपरतिकारी प्रभाव होगा और इससे स्टाम्प शुल्क के अपवंचन और परिवर्जन के प्रयास कम होंगे। तदनुसार, धारा 39, 43, 44, 51 और 53 यथोचित रूप से संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

वर्तमान में कलक्टरों द्वारा पारित एकपक्षीय आदेशों पर पुनर्विचार किये जाने के बारे में अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है। व्यथित व्यक्ति के पास मांग की पच्चीस प्रतिशत रकम जमा कराने के पश्चात् राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष ऐसे आदेशों को चुनौती देने का एकमात्र विकल्प है। व्यथित व्यक्ति को अपने मामले में गुणावगुण के आधार पर कलक्टर का विनिश्चय प्राप्त करने के लिए अवसर देने और उसे मांग की पच्चीस प्रतिशत रकम जमा कराने के वित्तीय भार से बचाने की दृष्टि से एक नयी धारा 52-क अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

स्टाम्प शुल्क पर शास्ति या ब्याज को कम करने या वापस करने की शक्ति अधिनियम की धारा 9-क के अधीन राज्य सरकार को उपलब्ध है। ये शक्तियां पच्चीस हजार रुपये की रकम तक महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण और स्टाम्प को भी दी जानी प्रस्तावित हैं ताकि महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण और स्टाम्प भी वास्तविक वित्तीय कठिनाई के आधार पर समुचित मामलों में शास्ति या ब्याज को वापस कर सके या कम कर सके। अतः, इस प्रयोजन के लिए उपबंध करने के लिए एक नयी धारा 56-क अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क ऐसे दस्तावेज के निष्पादन की तारीख को संदेय है, किन्तु धारा 72 के वर्तमान उपबंधों के अधीन कम स्टाम्प शुल्क की मांग पर ब्याज कलक्टर के आदेश की तारीख से संदेय है। दूसरे, ब्याज की दर भी अठारह प्रतिशत चक्रवृद्धि की दर से संदेय है। इसलिए, दस्तावेज के निष्पादन की तारीख से ब्याज के उद्ग्रहण का उपबंध करने के लिए और ब्याज की दर को अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि से कम करके बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि करने के लिए धारा 72 संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

किसी उत्पाद के प्रोत्साहन केलिए किये गये विज्ञापन; इसके कारबार से लाभ प्राप्त करने के आशय से कार्यक्रम या इवेण्ट से संबंधित या फिल्म के टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट या प्रदर्शन करने के अनन्य अधिकार प्रदत्त करने से संबंधित करारों पर स्टाम्प शुल्क की विनिर्दिष्ट दर अधिरोपित करने के आशय से अनुसूची के अनुच्छेद 5 में यथोचित संशोधन किये जाने प्रस्तावित हैं।

संगम या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किसी व्यापारिक सदस्य द्वारा किये गये संव्यवहार के अभिलेख (इलेक्ट्रोनिक या अन्यथा) के लिए स्टाम्प शुल्क की दरों को

युक्तियुक्त बनाया जाना प्रस्तावित है। अतः, अनुच्छेद 5-क को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

रियायत करार को स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य बनाने की दृष्टि से अनुसूची में एक नया अनुच्छेद 20-क अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अनुच्छेद 21 के अधीन आमेलन/डीमर्जर/पुनर्गठन के आदेशों पर स्टाम्प शुल्क की दरों को इस तथ्य पर विचार करते हुए एक धारा में लाया जाना है कि इस पर अन्य राज्यों में भी स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जाता है। इसलिए, आमेलन या डीमर्जर या पुनर्गठन के आदेशों पर स्टाम्प शुल्क की दरों और साथ ही साथ संगणना की पद्धति को युक्तियुक्त बनाने की दृष्टि से अनुच्छेद 21 का खण्ड (iii) संशोधित किया जाना प्रस्तावित है और अनुसूची के अनुच्छेद 21 का स्पष्टीकरण (ii) हटाया जाना प्रस्तावित है।

राज्य में अन्तरणीय विकास अधिकार (टी.डी.आर.) के माध्यम से संपत्ति के अन्तरण की एक नयी अवधारणा आरंभ की गयी है। अन्तरणीय विकास अधिकार (टी.डी.आर.) उतने ही मूल्यवान हैं जितनी कि वह भूमि जिसके संबंध में ऐसे प्रमाणपत्र जारी किये जाते हैं। इसलिए, अनुसूची में अनुच्छेद 21 में नया खण्ड (iv) अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

आवासीय भूमि से भिन्न स्थावर सम्पत्ति से संबंधित इजाजत और अनुज्ञप्ति करार को स्टाम्प ड्यूटी से प्रभार्य करने की दृष्टि से नया अनुच्छेद 33-क अनुसूची में अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4घ रजिस्ट्रीकरण या नये रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए दिये जाने और रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के समय पर और साथ ही परिवहन यानों के सभी प्रवर्गों पर रजिस्ट्रीकरण या समनुदेशन और उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के समय पर ग्रीन कर (उप-कर) अधिरोपित करने की शक्ति का उपबंध करती है। यह परिकल्पित था कि ग्रीन कर के अधिरोपण से न केवल उत्सर्जन स्तरों को कम करने में सहायता प्राप्त होगी, बल्कि वायु प्रदूषण के

नियंत्रण के लिए अपेक्षित अवसंरचना और उपकरणों के रखरखाव के लिए संसाधनों में वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होगी। यानों के क्रय और रजिस्ट्रीकरण में असाधारण और उत्तरोत्तर वृद्धि के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, जिनसे ईंधन उपभोग के कारणों से प्रदूषण का अधिक उत्सर्जन संभाव्य है, यह वांछनीय प्रतीत होता है कि ऐसे यानों को, यानों के ईंधन आधारित प्रवर्गों के विस्तार के माध्यम से, हतोत्साहित किया जाये, और तदनुसार उक्त धारा में ग्रीन कर की दरों को परिवर्तित किया जाये। इससे ग्रीन कर के अधिरोपण के लिए यानों को और प्रवर्गीकृत किया जाना उचित समझा गया है ताकि प्रदूषणकारी ईंधन चालित यानों को हतोत्साहित किया जाये, और पर्यावरण मित्र ग्रीन ईंधन चालित यानों को प्रोत्साहित किया जाये। तदनुसार धारा 4घ संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 5 के द्वितीय परन्तुक में एकमुश्त कर को तीन समान किशतों में जमा किए जाने की सुविधा का उपबंध है। यान जिनके लिए एकमुश्त कर का संदाय करना अनिवार्य है या जो एकमुश्त कर के संदाय का विकल्प देते हैं उनके लिए एकमुश्त कर को तीन समान किशतों के स्थान पर छह समान किशतों में जमा कराया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 5 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950

धारा 25 यह उपबन्धित करती है कि ऐसे स्थानों की सीमाओं के भीतर जहां सैनिक बल अवस्थित हों, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए कमाण्डिंग अधिकारी की सहमति आवश्यक है। यह उपरिका ऐसे क्षेत्रों में मदिरा का विनिर्माण या विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने में समस्या उत्पन्न करती है। विधिक विवादों को टालने और राजस्व हानि से बचने के लिए, यह धारा हटायी जानी प्रस्तावित है।

वर्तमान में, अधिनियम के अधीन बीयर, स्पिरिट, और एकस्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल के उत्पादन के लिए कोई मानदण्ड नहीं है। इसलिए, प्रयुक्त कच्चे माल से बीयर, स्पिरिट और एकस्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल के उत्पादन के लिए, मानक विहित करने हेतु आबकारी आयुक्त को सशक्त बनाने के लिए, धारा 42 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान में स्थापित विनिर्माण इकाइयां, कम्पनी अधिनियम के उपबंध के अधीन अपना कारबार चला रही हैं, किन्तु किसी कम्पनी द्वारा कारित अपराध के लिए आपराधिक दायित्व नियत करने के लिए राजस्थान आबकारी अधिनियम में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है। विद्यमान नियमों में व्यक्ति के लिए मात्र निर्देश है। इस प्रकार के उपबंध का अन्तःस्थापन किया जाना आवश्यक है। अतः एक नयी धारा 62क अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

धारा 67 मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान किये जाने के संबंध में है। किसी कंपनी द्वारा कारित अपराध हेतु आपराधिक दायित्व नियत किये जाने के लिए धारा 62क इस अधिनियम में नयी अन्तःस्थापित की गयी है। अतः धारा 62क को सम्मिलित करने के लिए धारा 67 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) को संशोधित किया जाना आवश्यक है।

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 राज्य सरकार को समयबद्ध लक्ष्यों सहित राजवित्तीय समेकन का जिम्मा लेकर राज्य-वित्त का राजवित्तीय उत्तरदायी रीति से प्रबंध करने के प्रयोजनार्थ अधिनियमित किया गया था। राजवित्तीय समेकन की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए सामान्य से अधिक राजस्व बढ़ोतरी वाले वर्षों में राज्य-राजस्व के भाग को अलग रख कर समानीकरण निधि का सृजन करने और ऐसे संचय का राजवित्तीय धनाभाव के वर्षों में उपयोग करने और गरीबी उन्मूलन और विकास के प्रयोजनों के लिए उपबंध किया जाना वांछनीय है।

अवसंरचना विकास उपकर

राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये, ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर और ऐसी दरों पर, जो माल की विक्रय या क्रय की कीमत के छह प्रतिशत से अधिक न हो, उपकर उद्ग्रहीत किया जाना समुचित समझा गया। उपकर के आगम, राज्य में

अवसंरचना के विकास और अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

**वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।**

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अन्तर्गत महामहिम
राज्यपाल महोदया की सिफारिश

[सं.प.12(59)वित्त/कर/2014 दिनांक 14.07.2014

प्रेषक: श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान
सभा, जयपुर]

राजस्थान की राज्यपाल महोदया ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2014 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के और (3) अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित और प्रचलित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 53 जो राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में धारा 6क जोड़ने के लिए ईप्सित है, राज्य सरकार को उक्त धारा के अधीन गठित निधि को, उस वर्ष जिसमें राज्य की कर प्राप्तियां पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत से कम होना प्राक्कलित हो और विकास योजनाओं या गरीबी कम करने के कार्यक्रमों में होने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु उपयोग में लेने के लिए प्राधिकृत करता है।

ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधि का सृजन और उपयोग किया जाना है, की प्रकृति के कारण ही वर्तमान में यथावत प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।

**वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।**

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 9, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 24 को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को उस धारा के अधीन जारी किये जाने वाले नोटिस का प्ररूप विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 18, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 91 को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को वह फीस और वह रीति, जिससे व्यवहारी उस धारा के अधीन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, विहित करने के लिए सशक्त करेगा। विधेयक का खण्ड 19, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 95 की उप-धारा (2) को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को वह रीति, जिससे व्यवहारी द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट को उपयोग में लेने की सहमति देगा, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 26, जो राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा 4कक को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को वे शर्तें और रीति, जिससे होटल या रेस्टोरेंट के स्वत्वधारी द्वारा शमन की रकम संदत्त की जा सकेगी, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 30, जो राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा 8 को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को वह रीति, जिसमें प्रतिदाय किया जायेगा, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 34, जो राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 2 के खण्ड (xxiii) को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा, और वह रीति जिससे, सम्पत्ति की कीमत अवधारित की जायेगी, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 35, जो राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 4 को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को वह रीति जिससे स्टाम्प शुल्क को लिखत पर पृष्ठांकित किया जायेगा, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 59, जो यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को वह रीति जिससे और समय जिसमें, और वह प्राधिकारी जिसको, विवरणियां फाइल की जायेंगी और विवरणियां फाइल करने में विलम्ब फीस संदत्त की जायेगी, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 61, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा-(क) वह रीति जिसमें उपकर के आगमों से संबंधित लेखे संधारित किये जायेंगे;

(ख) वह रीति जिससे उपकर के आगमों का धारा 57 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा;

(ग) उपकर के संग्रहण की लागत का अवधारण; या

(घ) साधारणतया इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए। प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

**वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।**

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 से लिये गये उद्धरण
(2003 का अधिनियम सं. 4)

XX

XX

XX

XX

3. कर का भार.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यवहारी-

(क) जो माल का आयातकर्ता है; या

(ख) जो माल का विनिर्माता है और जिसका वार्षिक पण्यवर्त दो लाख रुपये से अधिक है; या

(ग) जिसका वार्षिक पण्यवर्त दस लाख रुपये से अधिक है,-

इस अधिनियम के अधीन कर देने का दायी होगा।

(2) से (5) XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

16. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का संशोधन या रद्दकरण.- (1) से (3) XX XX XX

(4) जहां-

(क) कोई भी ऐसा कारबार, जिसके संबंध में कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र किसी व्यवहारी को इस अधिनियम के अधीन मंजूर किया गया है, स्थायी रूप से बन्द कर दिया गया हो; या

(ख) किसी व्यवहारी द्वारा कारबार के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती पहले से इस अधिनियम के अधीन कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारित करता हो; या

(ग) किसी व्यवहारी का इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए और कर संदत्त करने के लिए अपेक्षित होना समाप्त हो गया हो; या

(घ) किसी व्यवहारी ने कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तथ्यों के दुर्यपदेशन या कपट द्वारा अभिप्राप्त किया हो; या

अधीन, जो विहित की जायें, काटी जायेगी और ऐसी राशि विनिर्दिष्ट समय के भीतर और विहित रीति से सरकारी खाते में निक्षिप्त या जमा की जायेगी। (2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किन्तु उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या कंपनी, या अपनी शेयर पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान रखने वाली किसी सहकारी सोसाइटी, या किसी नगरपालिका या जिला और खण्ड स्तर की किसी पंचायतीराज संस्था या राज्य विधान-मण्डल की किसी विधि के द्वारा उसके अधीन गठित किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या कानूनी निकाय को माल का विक्रय करता है, वहां ऐसा विभाग, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम, कंपनी, सहकारी सोसाइटी, नगरपालिका, पंचायतीराज संस्था, स्थानीय प्राधिकारी या, यथास्थिति, कानूनी निकाय विक्रय करने वाले व्यवहारी को संदेय रकम में से ऐसे व्यवहारी द्वारा ऐसे माल पर संदेय कर के बराबर रकम की कटौती करेगा और उसे ऐसी रीति से और ऐसे समय में, जो विहित किया जाये, सरकारी खाते में निक्षिप्त या जमा करेगा: परन्तु यह कि राज्य सरकार, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विक्रयों या क्रयों के किसी भी वर्ग को इस उप-धारा के उपबंध से छूट दे सकेगी।

(3) से (6) XX XX XX
XX XX XX XX

22. कर निक्षिप्त करने में अथवा विवरणी या लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने पर निर्धारण.- (1) से (3) XX XX XX

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश ऐसी कालावधि, जिसके लिए कर निक्षिप्त नहीं किया गया है, की समाप्ति या, यथास्थिति, ऐसी विवरणी या लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जो प्रस्तुत नहीं की गयी हो, को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से नौ मास की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जायेगा।

23. स्वनिर्धारण.- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने विहित समय के भीतर-भीतर उस वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी या लेखापरीक्षा रिपोर्ट फाइल कर दी है, धारा 24 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए धारा 21 के अधीन फाइल की गयी वार्षिक

विवरणी के आधार पर या, यथास्थिति, धारा 73 के अधीन फाइल की गयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर उस वर्ष के लिए निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई व्यवहारी अपने निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना देकर तिमाही निर्धारण का विकल्प उस वर्ष, जिसके लिए ऐसा विकल्प लिया जा रहा है, के प्रारंभ से तीस दिन के भीतर-भीतर दे सकेगा। ऐसा व्यवहारी, जिसने ऐसा विकल्प दिया है और विहित समय के भीतर विवरणी फाइल कर दी है, धारा 24 के उपबंधों के अध्याधीन, धारा 21 के अधीन फाइल की गयी विवरणी के आधार पर उस तिमाही के लिए जिससे वह सम्बन्धित है, निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा। तथापि, वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 तक ऐसा विकल्प विहित रीति से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं. 6) के प्रारम्भ की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर दिया जा सकेगा।

(3) उप-धारा (1) या (2) के अधीन निर्धारित रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों की एक सूची इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित की जा सकेगी और ऐसा प्रकाशन, जहां कहीं भी अपेक्षित हो, ऐसे व्यवहारियों को सम्यक् सूचना समझा जायेगा।

24. निर्धारण.- (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा दी गयी प्रत्येक विवरणी उसकी शुद्धता का सत्यापन करने के लिए ऐसी संवीक्षा के अध्याधीन होगी जो आयुक्त द्वारा अवधारित की जाये और यदि कोई भूल पायी जाती है तो निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी व्यवहारी पर विहित प्ररूप में एक नोटिस ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, भूल का सुधार करने और पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने के लिए तामील करेगा।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने तिमाही निर्धारण का विकल्प दिया है, उप-धारा (1) के अधीन जारी नोटिस के अनुसरण में,-

(क) नोटिस के निबंधनों के अनुसार पुनरीक्षित विवरणी फाइल करता है और कर, यदि कोई हो तो निक्षिप्त कर देता है, वहां उसे ऐसी पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।

(ख) पुनरीक्षित विवरणी फाइल नहीं करता है या व्यवहारी द्वारा फाइल की गयी विवरणी नोटिस के निबंधनों के अनुसार नहीं है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर व्यवहारी का अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।

(3) जहां रजिस्ट्ररीकृत व्यवहारी जो उप-धारा (2) के अधीन नहीं आते हैं, उप-धारा (1) के अधीन जारी नोटिस के अनुसरण में,-

(क) यदि नोटिस तिमाही विवरणी के लिए जारी किया जाता है और व्यवहारी नोटिस के निबंधनों के अनुसार पुनरीक्षित विवरणी फाइल कर देता है और कर को, यदि कोई हो, निक्षिप्त कर देता है और वार्षिक विवरणी में कोई अन्य भूल नहीं पायी जाती है तो वह धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा;

(ख) यदि वार्षिक विवरणी के लिए नोटिस जारी किया जाता है और व्यवहारी नोटिस के निबंधनों के अनुसार पुनरीक्षित विवरणी फाइल कर देता है और कर को, यदि कोई हो, निक्षिप्त कर देता है, तो वह ऐसी पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा;

(ग) पुनरीक्षित विवरणी फाइल नहीं करता है या व्यवहारी द्वारा फाइल की गयी विवरणी नोटिस के निबंधनों के अनुसार नहीं है तो निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर व्यवहारी का अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।

(4) राजस्थान वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा हटायी गयी।

(4क) राजस्थान वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा हटायी गयी।

(5) इस धारा के अधीन कोई भी निर्धारण आदेश सुसंगत वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जायेगा; तथापि, आयुक्त किसी विशिष्ट मामले में, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी समय सीमा को छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(6) उप-धारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां कोई निर्धारण आदेश किसी अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी या किसी सक्षम न्यायालय के किसी आदेश के परिणामस्वरूप या उसे प्रभावकारी बनाने के लिए पारित किया गया है तो निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे आदेश की संसूचना के दो वर्ष के भीतर-भीतर उसे पूरा कर लिया जायेगा। तथापि, आयुक्त किसी विशिष्ट मामले में लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी समय सीमा को छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

25. कर के परिवर्जन या अपवंचन के मामले में निर्धारण.- (1) से (3) XX XX

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, वहां ऐसा नोटिस जारी करने वाला प्राधिकारी सुसंगत वर्ष या, यथास्थिति, तिमाही के लिए निर्धारण करने के लिए सक्षम होगा; और पहले से किया गया निर्धारण, यदि कोई हो, इस धारा के अधीन किये गये निर्धारण के अध्यक्षीन होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "मामला बनाने की तारीख से" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको किसी व्यवहारी को इस धारा के अनुसरण में प्रथम बार कोई नोटिस जारी किया जाता है।

26. छूट गया निर्धारण.- (1) कोई निर्धारण-

- (क) ऐसे व्यक्ति का है जो रजिस्ट्रीकरण कराने के दायित्वाधीन है, किन्तु जिसने स्वयं को रजिस्ट्रीकृत नहीं कराया है; या
- (ख) जिसमें, किसी भी कारण से, इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या किसी भी फीस या राशि का उद्ग्रहण पूर्णतः या भागतः छूट गया है; या
- (ग) जिसमें कर किसी भी रूप में या किन्हीं भी परिस्थितियों के अधीन पूर्णतः या भागतः अनिर्धारित या अवनिर्धारित हुआ है,-

कोई छूट गया निर्धारण समझा जायेगा और निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिलेख पर की सामग्री के आधार पर या ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, उप-धारा (3) में उपबंधित समय-सीमा के भीतर-भीतर ऐसा निर्धारण पूरा करेगा। **स्पष्टीकरण.-** इस धारा के अधीन के निर्धारण में कारबार का

वह भाग सम्मिलित नहीं होगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पहले ही निर्धारित हो चुका है या निर्धारित किया हुआ समझा जा चुका है।

(2) XX XX XX

(3) उप- धारा (1) और (2) के अधीन का कोई भी नोटिस, विवरणी की किसी भी कालावधि के लिए किसी भी छूट गये निर्धारण के संबंध में, सुसंगत विवरणी की कालावधि की समाप्ति से, पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं किया जायेगा और उक्त उप-धाराओं के अधीन के कोई भी निर्धारण आठ वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पूरा नहीं किया जायेगा, किन्तु यह परिसीमा किसी अपील प्राधिकरण या कर बोर्ड या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश में अंतर्विष्ट किसी भी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप या उसे प्रभावी करने के लिए किये जाने वाले किसी भी निर्धारण पर लागू नहीं होगी।

(4) XX XX XX

XX XX XX XX

27. व्यवहारी की लेखापरीक्षा.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन को अग्रसर करने की दृष्टि से, आयुक्त ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों के, जो आयुक्त द्वारा किसी मानदण्ड के लागू किये जाने के आधार पर या यदा-कदा चयन आधार पर चयनित किये जाते हैं, या जिनके संबंध में आयुक्त के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि उनके कारबार की विस्तृत संवीक्षा आवश्यक है, कारबार की लेखापरीक्षा की व्यवस्था कर सकेगा।

(2) व्यवहारी की लेखापरीक्षा लेखापरीक्षक द्वारा विहित रीति से की जायेगी।

(3) लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा करते समय धारा 75 के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करेगा और व्यवहारी की लेखापरीक्षा कालावधि की लेखा पुस्तकों, व्यापार स्टॉक और संबंधित दस्तावेजों की परीक्षा करेगा।

(4) यदि ऐसी लेखापरीक्षा पर, व्यवहारी द्वारा फाइल की गयी विवरणियां सही नहीं पायी जाती हैं या कर के किसी परिवर्जन या अपवंचन का पता चलता है तो लेखापरीक्षक व्यवहारी को पता चले फर्कों का ब्यौरा अंतर्विष्ट करते हुए हेतुक दर्शित करने का नोटिस जारी करेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन जारी किये गये नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर लेखापरीक्षक, व्यवहारी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् उसके कर और अन्य संबंधित दायित्वों का निर्धारण करेगा और ऐसे आदेश को अपने अव्यवहित उच्चाधिकारी से मांग नोटिस के साथ व्यवहारी को उसे जारी करने के पूर्व अनुमोदित करवायेगा। जहां व्यवहारी उत्तर देने में विफल रहता है वहां लेखापरीक्षक इस अधिनियम के अधीन व्यवहारी के दायित्व का अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा। ऐसा निर्धारण उस सुसंगत कालावधि के लिए व्यवहारी का निर्धारण समझा जायेगा और पहले से किया गया निर्धारण, यदि कोई हो, इस धारा के अधीन किये गये निर्धारण के अध्यक्षीन होगा।

XX

XX

XX

XX

38. कर या मांग के संदाय के लिए दायित्व.- (1) से (6) XX XX
(7) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, आयुक्त,

(क) राज्य सरकार की सिफारिश पर, रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के अधीन गठित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा रूग्ण घोषित किसी औद्योगिक इकाई द्वारा संदेय मांग की वसूली को, ब्याज के संदाय या दर के संबंध में ऐसी सीमा तक, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी शर्तों पर, आस्थगित कर सकेगा, जो उचित समझी जाये:

(ख) ऐसी जांच कर लेने के पश्चात् जो वह उचित समझे और ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिए कर बकाया के संदाय का आस्थगन अनुज्ञात कर सकेगा और तत्पश्चात् ऐसी रूग्ण औद्योगिक इकाइयों और ऐसी औद्योगिक इकाइयों, जो सहज रूग्णता का सामना कर रही हैं, और जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, के मामले में साठ मासिक किस्तों में उनकी वसूली का आदेश कर सकेगा।

XX

XX

XX

XX

53. प्रतिदाय.- (1) से (3) XX XX XX

(4) इस अधिनियम के अधीन प्रतिदेय कोई रकम उस तारीख से, जिसको वह देय हो जाती है, तीस दिवस के भीतर-भीतर प्रतिदत्त दी जायेगी और यदि ऐसी रकम उपरोक्त तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर प्रतिदत्त नहीं की जाती है तो उस पर, उपरोक्त कालावधि की समाप्ति की तारीख से संदाय की तारीख तक, ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, ब्याज देय होगा।

(5) से (6)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

61. कर के परिवर्जन या अपवंचन के लिए शास्ति.- (1) जहां किसी भी व्यवहारी ने उसके द्वारा दी गयी किसी भी विवरणी से कोई भी विशिष्टियां छिपा ली हों या उसमें जानबूझकर गलत विशिष्टियां दी हों या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संधारित किये जाने के लिए अपेक्षित अपने लेखाओं, रजिस्ट्रों और अभिलेखों से विक्रय या क्रय के किसी भी संव्यवहार को छिपा लिया हो या किसी भी अन्य रीति से कर का परिवर्जन या अपवंचन किया हो वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा यथा-प्राधिकृत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई भी अन्य अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यवहारी, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के अतिरिक्त, परिवर्जित या अपवंचित कर की रकम के दुगुने के बराबर की राशि शास्ति के रूप में संदत्त करेगा।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां किसी व्यवहारी ने आगत कर मुजरा गलत रूप से प्राप्त किया है वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा यथा-प्राधिकृत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई भी अन्य अधिकारी आगत कर के ऐसे मुजरे को प्रतिवर्तित कर देगा और ऐसे व्यवहारी पर-

(क) ऐसे मामले में जिसमें ऐसा मुजरा मिथ्या या कूटरचित मूपक बीजक के आधार पर प्राप्त किया जाता है तो ऐसे गलत मुजरे की रकम के चौगुने के बराबर शास्ति; और

(ख) अन्य मामलों में, ऐसे गलत मुजरे की रकम के दुगुने के बराबर शास्ति,-
अधिरोपित करेगा। XX XX XX
XX

67. अपराधों के लिए अभियोजन.- (1) जहां कोई भी व्यक्ति,-

- (क) यद्यपि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, तथापि अपने द्वारा किये गये किसी भी विक्रय या क्रय के समय या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या गठित, किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष कोई भी कथन या घोषणा करते समय यह मिथ्या व्यपदेशन करता है कि वह कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी है; या
- (ख) जानते हुए मिथ्या लेखे, विक्रय और क्रय बीजक मूपक बीजक, रजिस्टर या दस्तावेज तैयार करता है या प्रस्तुत करता है या जानते हुए अपने कारबार के संबंध में मिथ्या विवरणियां प्रस्तुत करता है, या इस अधिनियम या नियमों या अधिसूचनाओं के अधीन अभिलिखित किये जाने के लिए अपेक्षित किसी भी कथन में या फाइल किये जाने के लिए अपेक्षित किसी भी घोषणा में कोई मिथ्या प्रकटीकरण या प्रकथन करता है; या
- (ग) किसी भी रीति से कर का कपटपूर्ण परिवर्जन या अपवंचन करता है या अपने कर दायित्व को जानबूझकर छिपाता है; या
- (घ) किसी भी मांग नोटिस की रकम संदत्त करने में विफल रहता है और उसके द्वारा मांग के नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् कम से कम छह मास की कालावधि व्यपगत हो गयी है;

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के अधीन का कोई भी अपराध तब तक एक सतत अपराध समझा जायेगा जब तक कि पूर्ण संदाय नहीं कर दिया जाता; या

- (ड) धारा 50 और 91 के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस की जानबूझकर अवहेलना करता है; या
- (च) इस अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी को कारबार के स्थान या ऐसे किसी भी अन्य स्थान में, जहां माल या लेखे, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज रखे जाने का विश्वास हो, प्रवेश करने, उसका निरीक्षण करने और तलाशी लेने से किसी भी रीति से रोकता है या बाधा पहुंचाता है, या ऐसे अधिकारी को माल या लेखे, रजिस्टर और दस्तावेज अभिगृहीत करने से रोकता है या बाधा पहुंचाता है; या

- (छ) माल का अभिवहन कर रहे ऐसे यान या वाहक को, जिसका वह ड्राइवर या अन्यथा प्रभारी है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निरीक्षण किये जाने के लिए रोकने में विफल रहता है या माल का या माल का अभिवहन कर रहे यान या वाहक का, किसी जांच-चौकी या नाके के प्रभारी या आयुक्त द्वारा उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए इस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किये जाने से रोकता है या बाधा पहुंचाता है; या
- (ज) संचलन के दौरान माल के साथ के वाउचरों या मार्ग पत्रकों या माल की रसीदों या अन्य दस्तावेजों में, माल के परेषकों या परेषितियों के गलत या कल्पित नाम या पते या माल का गलत ब्यौरा या गलत विशिष्टियां दर्शित करते हुए किसी भी माल का राजस्थान राज्य में आयात या से निर्यात करता है; या
- (झ) आगत कर का गलत मुजरा कपटपूर्वक प्राप्त करता है; या
- (ञ) पूर्वोक्त रूप से ऐसे किसी भी अपराध के किये जाने में किसी भी व्यक्ति की सहायता या दुष्प्रेरण करता है;

वहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा या किसी भी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा, आयुक्त की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात्, शिकायत किये जाने पर, वह, अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी और पांच हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से और खण्ड (ख), (ग), (घ), (छ) और (झ) के अधीन आने वाले अपराधों के लिए तीन मास के सादा कारावास के न्यूनतम दण्डादेश से दण्डनीय होगा।

(2) से (4) XX XX XX

XX XX XX XX

91. आयुक्त की साधारण शक्तियां.- (1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आयुक्त, इस अधिनियम और नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विशिष्टतया या साधारणतया, दिशा-निर्देश निश्चित करने या प्रशासनिक अनुदेश जारी करने के लिए सशक्त होगा।

(2) शासकीय उपयोग के प्रयोजनों के लिए, आयुक्त, किसी भी समाचारपत्र में या ऐसी अन्य रीति से नोटिस देकर, जो वह उचित समझे, सभी व्यवहारियों से या व्यवहारियों के किसी भी वर्ग से या व्यक्तियों से ऐसी सूचना, विवरण या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जो इस निमित्त जारी किये गये नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये।

XX XX XX XX

95. स्वचलित प्रणाली.- (1) XX XX XX

(2) जहां कोई भी नोटिस, संसूचना या सूचना किसी स्वचलित डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली पर तैयार की जाती है और किसी भी व्यवहारी या व्यक्ति पर समुचित रूप से तामील की जाती है वहां उक्त नोटिस, संसूचना या सूचना पर किसी भी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक नहीं होगा और उक्त नोटिस, संसूचना या सूचना केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि वह किसी ऐसे अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित नहीं है।

XX XX XX XX

96. कर समझौता बोर्ड का गठन.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन संदेय कर की बकाया मांग, या कर की बकाया, ब्याज या शास्ति से संबंधित ऐसे विवादों, जो विहित किये जायें, को सुलझाने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर समझौता बोर्ड का गठन कर सकेगी जिसमें अध्यक्ष और इतने अन्य सदस्य होंगे जितने वह ठीक समझे; और ऐसा बोर्ड ऐसे विवादों को सुलझाने का तब जिम्मा लेगा जब संबंधित व्यवहारी या व्यक्ति द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाये।

(2) कर समझौता बोर्ड को ऐसी शक्तियां होंगी और वह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाये।

(3) कर समझौता बोर्ड द्वारा पारित किया गया समझौते का आदेश अंतिम होगा और किसी भी सिविल न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

XX XX XX XX

2. राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 से लिये गये
उद्धरण

(1996 का अधिनियम सं. 9)

XX

XX

XX

XX

12. रजिस्ट्रीकरण.- (1) इस अधिनियम के अधीन कर देने का दायी प्रत्येक होटल-वाला समुचित विलास-कर प्राधिकारी से ऐसी रीति से और ऐसे प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करेगा जो विहित किया जाये।

(2) से (3)

XX

XX

XX

(4) यदि विलास-कर अधिकारी को इस बात का समाधान हो जाये कि रजिस्ट्रीकरण का आवेदन सही है तो वह आवेदक को रजिस्टर कर लेगा और उसे विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी कर देगा।

(5) से (6)

XX

XX

XX

(7) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत होटलवाला कारबार के रूप में, स्थान उपलब्ध कराने का अपना क्रियाकलाप बन्द, अन्तरित या अन्यथा व्ययित करता है या जहां वह कर देने का दायी नहीं रहता है वहां विलास-कर अधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसे होटलवाले के विहित प्ररूप में किये गये आवेदन पर, ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को ऐसी तारीख से, जो वह नियमों के अनुसार नियत कर, रद्द कर देगा:

परन्तु होटलवाले के आवेदन पर या अन्यथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के रद्दकरण का प्रभाव होटलवाले के, रद्दकरण की तारीख तक की किसी भी कालावधि के लिए शोधय कर (जिसके अन्तर्गत कोई भी शास्ति या ब्याज है) देने के दायित्व पर नहीं पड़ेगा चाहे ऐसा कर (जिसके अन्तर्गत कोई भी शास्ति या ब्याज है) रद्दकरण की तारीख से पूर्व निर्धारित किया गया हो या पश्चात्।

XX

XX

XX

XX

20. ब्याज का उद्ग्रहण.- यदि कोई होटलवाला इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर संदत्त करने के लिए उससे अपेक्षित समय के भीतर-भीतर कर संदत्त नहीं करता है या इस अधिनियम में उपबन्धित समय के भीतर-भीतर निर्धारण, कर परिशुद्धि,

पुनर्निर्धारण या अन्य आदेश के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी मांग को जमा नहीं करता है तो वह उस अंतिम दिन के, जिस तक उसे ऐसा कर या मांग संदत्त कर देनी चाहिये थी, पश्चात् प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए ऐसे कर या मांग की रकम के दो प्रतिशत की दर से ब्याज देने का दायी होगा।

XX

XX

XX

XX

3. राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 से लिये गये उद्धरण (1962 का अधिनियम सं. 12)

XX

XX

XX

XX

3. उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत्-शुल्क.- किसी उपभोक्ता द्वारा या उर्जा का उत्पादन करने वाले किसी प्रदायक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के उपयोग या उपभोग के लिए उपभुक्त उर्जा पर दस पैसे यूनिट से अनधिक ऐसी दर से जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जाये, संगणित शुल्क (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'विद्युत शुल्क' कहा गया है) राज्य सरकार के लिए उद्गृहीत और उसे संदत्त किया जायेगा:

परन्तु-(1) किसी उपभोक्ता द्वारा प्रदायक से इतने दिनों से अनधिक किसी कालावधि के लिए, ऐसे प्रयोजन के लिए और इतनी यूनिटों से अधिक के लिए, जो विहित की जायें, अभिप्राय किसी अस्थायी कनेक्शन के अधीन उर्जा के उपभोग के संबंध में शुल्क ऐसी दर से संगणित किया जा सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर नियत की जायें;

(1-क) इस प्रकार उद्गृहीत शुल्क और प्रति यूनिट प्रभारित शुद्ध दर ऐसी दर से अधिक नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर अधिसूचित की जाये; और

(1-ख) जहां उर्जा किसी कृषक द्वारा किसी मीटर-रहित प्रदाय के अधीन कृषि कार्य में उपभुक्त की जाये वहां विद्युत् शुल्क ऐसी दर से उद्गृहीत और प्रभारित किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये।

(2) निम्नलिखित द्वारा उपभुक्त उर्जा पर विद्युत शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जायेगा-

- (क) भारत सरकार;
- (ख) भारत सरकार द्वारा किसी रेलवे के संनिर्माण, संधारण या चलाये जाने के सम्बन्ध में;
- (खख) जहां उर्जा का उत्पादन 100 वोल्ट्स से अनधिक किसी वोल्टेज पर होता है;
- (घ) निम्नलिखित वर्ग की संस्थाओं द्वारा, अर्थात:-
 - (i) अस्पताल या औषधालय जो निजी लाभ के लिए नहीं चलाये जाते हैं,
 - (ii) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं,
 - (iii) पूजा के सार्वजनिक स्थान,

इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वाणिज्यिक या निवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भवनों या भवनों के भागों में उपभुक्त उर्जा पर इस उपखंड के अधीन छूट लागू नहीं होगी।

(3) जब राज्य सरकार का यह मत हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निबंधनों, शर्तों और निर्बंधनों पर, जो अधिसूचना में अधिकथित किये जायें-

- (क) (i) उपभोक्ता द्वारा किसी भी उद्योग में माल के विनिर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण या मरम्मत में;
- (ii) किसी व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के उपयोग या उपभोग करने के लिए ऊर्जा के उत्पादन में;
- (iii) खान अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) में यथा परिभाषित किसी भी खान द्वारा या उसके संबंध में-

उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत् शुल्क को,

(ख) लोक मार्गों पर प्रकाश के प्रयोजनार्थ या उसके संबंध में किसी नगरपालिका, पंचायती राज संस्थाओं या अन्य किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या उसके संबंध में उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत् शुल्क को,

(ग) उपभोक्ताओं के ऐसे अन्य वर्ग द्वारा, जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये, उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत् शुल्क को,

चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से कम कर सकती है या उसमें छूट दे सकती है, तथापि, खण्ड (क) के मामले में इस शर्त के अध्यक्षीन रहते हुए कि इस प्रकार की गयी कोई कमी या छूट वाणिज्यिक या निवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भी परिसर के संबंध में लागू नहीं होगी।

XX

XX

XX

XX

4. राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 से लिये गये उद्धरण (1957 का अधिनियम सं. 24)

XX

XX

XX

XX

3. परिभाषाएं- इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,- (1) "प्रवेश" में किसी दर्शक के रूप में या किसी श्रोता के रूप में प्रवेश और मनोविनोद के प्रयोजनार्थ किसी मनोरंजन में भाग लेने हेतु प्रवेश सम्मिलित है; (2) "मनोरंजन स्थल पर प्रवेश" में ऐसे किसी स्थान में प्रवेश सम्मिलित है, जहां किसी मनोरंजन का आयोजन किया जाता है; 2(क) से (4) XX

XX

XX

(4क) "डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा" से उपग्रह प्रणाली का उपयोग करते हुए टेलीविजन संकेतों को, केबल सेवा जैसे किसी बिचौलिये के माध्यम से गुजारे बिना, सीधे ही ग्राहकों के परिसर में भेजकर बहुचैनल टेलविजन कार्यक्रमों का वितरण करना अभिप्रेत है।

(4कक) से (5)

XX

XX

XX

(6) "मनोरंजन कर" से वह कर अभिप्रेत है जो धारा 4, 4कक और 4ककक के अधीन उद्गृहीत और प्रभारित किया जाए और इसमें धारा 6क के अधीन संदेय अतिरिक्त कर सम्मिलित है;

(6क) XX XX XX

(7) "प्रवेश के लिए शुल्क का संदाय" में निम्नलिखित सम्मिलित है-

- (क) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई संदाय जिसे मनोरंजन के किसी स्थान के एक भाग में प्रवेश दिये जाने के बाद उसके किसी दूसरे भाग में प्रवेश दिया जाता है जिसमें प्रवेश के लिए ऐसा संदाय अपेक्षित है जिस पर कोई कर या कर की ऊंची दर पर किया गया कोई संदाय,
- (ख) मनोरंजन स्थान में सीटों या अन्य स्थान के लिए किया गया कोई संदाय,
- (ग) किसी मनोरंजन के कार्यक्रम या कथासार के लिए कोई संदाय, और
- (घ) मनोरंजन से संबंधित किसी भी प्रयोजन के लिए कोई संदाय जो किसी व्यक्ति से मनोरंजन स्थल पर उसके उपस्थित होने अथवा उपस्थित रहने की शर्त के रूप में अपेक्षित हो और जो मनोरंजन स्थल पर उसके प्रवेश के लिए किये जाने वाले संदाय, यदि कोई हो, के अतिरिक्त हो;

परन्तु इस अधिनियम के अधीन उद्गृहणीय मनोरंजन कर या अतिरिक्त मनोरंजन कर या ऐसे किसी भी कर पर कोई भी अधिभार प्रवेश हेतु संदाय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे मनोरंजन कर, अतिरिक्त मनोरंजन कर या अधिभार के कारण देय रकम मनोरंजन स्थल पर प्रवेश को प्राधिकृत करने वाले टिकट पर पृथकतः और अभिव्यक्ततः दिखला दी गयी है।

(8) "स्वत्वधारी" में किसी मनोरंजन के संबंध में, इसके प्रबंध के लिए उत्तरदायी या तत्समय प्रभारी कोई व्यक्ति सम्मिलित है;

(8क) से (11) XX XX XX

(11) "ग्राहक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो उसके द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क के स्वत्वधारी को उपदर्शित किसी स्थान पर केबल टेलीविजन नेटवर्क के संकेत, उनको किसी अन्य व्यक्ति को और पारेषित किये बिना, प्राप्त करता है;

स्पष्टीकरण.- होटलों के मामले में ऐसे प्रत्येक कक्ष या परिसर को, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क के संकेत प्राप्त करने की सुविधा से सम्बद्ध है, ग्राहक माना जायेगा।

(12) से (13) XX XX XX

4. प्रवेश के लिये संदाय पर कर का उद्ग्रहण.- (1) किसी मनोरंजन स्थल पर प्रवेश के लिए समस्त संदायों पर ऐसी दर से, जो प्रवेश के लिए संदाय के 100 प्रतिशत से अधिक न हो और जो किसी भी एक मामले में पांच पैसे से कम न हो और जिसे समय-समय पर राज्य सरकार अधिसूचित करे, उद्ग्रहीत, वसूल और राज्य सरकार, को संदत्त किया जायेगा, कर की रकम जब भी आवश्यक हो, पांच पैसे के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित की जायेगी, ढाई पैसे या अधिक के भाग को पांच पैसे के रूप में संगणित किया जायेगा और ढाई पैसे से कम को छोड़ दिया जायेगा।

(1क) से (6) XX XX XX
XX XX XX XX

4कक. केबल सेवा पर कर का उद्ग्रहण.- (1) केबल सेवा उपलब्ध कराने वाला किसी केबल टेलीविजन नेटवर्क का स्वत्वधारी छह सौ रुपये प्रति ग्राहक प्रति वर्ष से अनधिक की ऐसी दरों पर मनोरंजन कर का संदाय करने का दायी होगा जो राज्य सरकार इस निमित्त समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित करे। (2) उप-धारा (1) में की कोई भी बात, राज्य सरकार को किसी गृहस्थी के या होटलों के विभिन्न प्रवर्गों के मनोरंजन के लिए मनोरंजन कर की भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित करने से निवारित नहीं करेगी।(3) जहां ग्राहक कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट है वहां स्वत्वधारी उप-धारा (1) के अधीन संदाय के बदले में राज्य सरकार को समेकित संदाय, ऐसी शर्तों पर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये और ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित करे, संदत्त कर सकेगा और होटलों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लिए समेकित संदाय की भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकेंगी।

4ककक. डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा पर कर का उद्ग्रहण.- डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा का स्वत्वधारी, प्रतिग्राहक मासिक अभिदान प्रभार के बीस प्रतिशत से

अनधिक की ऐसी दर से, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित करे, मनोरंजन कर संदत्त करने का दायी होगा और ग्राहकों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लिए भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकेंगी।

XX

XX

XX

XX

5ख. कर-निर्धारण.- (1) XX

XX

XX

(2) यदि धारा 5 की उप-धारा (3) और धारा 5क की उप-धारा (1) के अधीन स्वत्वधारी द्वारा विहित कालावधि के भीतर कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती है या उसके द्वारा प्रस्तुत विवरणी अशुद्ध या अपूर्ण प्रतीत होती है, तो विहित प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, धारा 4, 4क, 4कक, 4ककक और 6क के समस्त या किन्हीं उपबंधों के अधीन देय कर अवधारित करेगा और अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से स्वत्वधारी पर कर निर्धारण करेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कार्रवाई करने के पूर्व स्वत्वधारी को यह साबित करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत कोई विवरणी सही और पूर्ण है या उसकी ओर से कोई विवरणी देय नहीं थी।

(3)

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

6. मनोरंजन स्थल पर प्रवेश.- (1) इस अधिनियम द्वारा यथा-अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे किसी व्यक्ति को छोड़कर, जिसे किसी विधि द्वारा या अन्यथा किसी मनोरंजन के संबंध में उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करना पड़ता है, किसी व्यक्ति को संदाय पर ऐसे किसी मनोरंजन स्थल पर जहां संदाय मनोरंजन कर के अध्यक्ष होता है, राज्य सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजनार्थ जारी किये गये, छपे हुए, समुदभृत, उत्कीर्ण या आसंजक स्टाम्प (जो पहले प्रयुक्त न हुआ हो) और जो यह बताने वाला हो कि समुचित मनोरंजन कर संदत्त कर दिया गया है, से स्टाम्पित टिकट के बिना प्रवेश नहीं दिया जायेगा। (2)

XX

XX

XX

10-ख. केबल सेवा कर के अंशदान के लिए शास्ति.- जहां केबल सेवा उपलब्ध कराने वाला केबल टेलीविजन नेटवर्क का स्वत्वधारी, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी किये गये किसी आदेश या निदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है, वहां वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो हजार रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

XX

XX

XX

XX

5. राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 से लिये गये उद्घरण

(1999 का अधिनियम सं. 13)

XX

XX

XX

XX

3. कर का उद्ग्रहण.- (1) किसी भी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए लाये गये किसी भी माल के प्रवेश पर कर ऐसी तारीख से और माल के मूल्य के दस प्रतिशतसे अनधिक की ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, उद्ग्रहीत, संगृहीत और राज्य सरकार को संदत्त किया जायेगा, और भिन्न-भिन्न स्थानीय क्षेत्रों के संबंध में भिन्न-भिन्न तारीखें और भिन्न-भिन्न दरे विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।

XX

XX

XX

XX

6. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 से लिये गये उद्घरण
(1999 का अधिनियम सं. 14)

XX

XX

XX

XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,-

(i) से (xxii)

XX

XX

XX

(xxiii) ऐसी किसी भी सम्पत्ति के संबंध में, जो लिखत की विषय वस्तु है, "बाजार मूल्य" से वह कीमत, जो ऐसी सम्पत्ति के लिए प्राप्त हुई होती यदि उसे उक्त लिखत के निष्पादन की तारीख को खुले बाजार में बेचा जाता, या लिखत में कथित प्रतिफल, इनमें से जो भी उच्चतर हो, अभिप्रेत है;

(xxiv) से (xxxvii)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

4. स्टाम्प शुल्क का नकद संदाय.- (1) जहां राज्य सरकार या राज्य सरकार के अनुदेशों के अधीन कलक्टर राज-पत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा घोषणा करता है कि किसी भी अंकित मूल्य के आसंजक या छापित स्टाम्प विक्रय के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टॉक में नहीं है तो इस अधिनियम में या इसके अधीन बनाये गये नियमों में किसी बात के होते हुए भी, और उस कालावधि के दौरान, जिसमें उक्त आदेश प्रवृत्त रहता है,-

- (i) इस अधिनियम के अधीन स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य कोई भी लिखित किसी अस्टाम्पित कागज पर निष्पादित की जा सकेगी;
- (ii) ऐसी लिखित पर अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क किसी भी सरकारी कोषागार को नकद संदत्त किया जा सकेगा या उसके द्वारा नकद संगृहीत किया जा सकेगा और नकदी प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा उसके लिए सम्यक् रूप से रसीद या चालान दिया जावेगा;
- (iii) सरकारी कोषागार का प्रभारी अधिकारी, उक्त किसी भी लिखत पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क नकद में प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उस लिखत पर, जिसके लिए स्टाम्प शुल्क का नकद संदाय किया गया है, इस बात का सम्यक् सत्यापन करने के पश्चात् कि ऐसी लिखत के लिए स्टाम्प शुल्क का नकद संदाय कर दिया गया है और उक्त रसीद या चालान को रद्द करने के पश्चात्, जिससे कि उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सके, निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात्:-

"..... रुपये का स्टाम्प शुल्क, रसीद/चालान सं..... दिनांक द्वारा नकद संदत्त किया गया।"

- (iv) खण्ड (iii) के अधीन पृष्ठांकित लिखत इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से अस्टाम्पित समझी जावेगी और समस्त आशयों और समस्त प्रयोजनों के लिए उसका इसी रूप में उपयोग किया जा सकेगा और उस पर कार्रवाई की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण.- उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ "सरकारी कोषागार" के अन्तर्गत कोई सरकारी उप-कोषागार और ऐसा कोई भी अन्य स्थान, जिसे राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश ऐसे समय तक प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये:

परन्तु राज्य सरकार या राज्य सरकार के अनुदेशों के अधीन कलक्टर राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त आदेश का कालावधि, समय-समय पर, ऐसे और समय के लिए बढ़ा सकेगा जो असंजक या छापित स्टाम्पों के विक्रय के लिए स्टॉक उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक समझा जाये।

(3) राज्य सरकार, राज-पत्र में आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि सरकार द्वारा या कलक्टर द्वारा या किसी सरकारी कोषागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन प्रयोक्तव्य शक्ति का प्रयोग ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जिसे उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(4) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात भारत के संविधान की सप्तम् अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 91 में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के संदाय को लागू नहीं होगी।

(5) इस धारा के अधीन कोई आदेश संपूर्ण राज्य या राज्य के किसी भाग के लिए किया जा सकेगा।

(6) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, उस कालावधि के दौरान, जिसमें इस धारा के अधीन कोई आदेश प्रवृत्त रहे, ऐसे किसी स्टाम्प को अविधिमान्य नहीं बनायेगी जिसका उपयोग इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार किया जाये।

XX

XX

XX

XX

39. सम्यक् रूप से स्टाम्पित न की गयी लिखतें साक्ष्य आदि में ग्राह्य हैं.- इस अधिनियम के अधीन शुल्क से प्रभार्य कोई भी लिखत जब तक कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा, जो विधि द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकार रखता है, किसी भी प्रयोजन के लिए साक्ष्य में ग्राह्य

नहीं होगी अथवा ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा या किसी लोक अधिकारी द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की जायेगी या वह रजिस्ट्रीकृत या अधिप्रमाणीकृत नहीं की जायेगी:

परन्तु,-

(क) कोई ऐसी लिखत, ऐसे सभी न्यायसंगत अपवादों के अध्यक्षीन रहते हुए निम्नलिखित का संदाय करने पर साक्ष्य में ग्राह्य होगी,-

(i) वह शुल्क जिससे वह प्रभार्य है या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित लिखत की दशा में, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम, और

(ii) एक सौ रुपये या कमी वाले भाग की दस गुनी रकम, जो भी अधिक हो, की शास्ति;

(ख) से (छ)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

43. धारा 42 की उप-धारा (1) के अधीन संदत्त की गयी शास्ति वापस लौटा देने की कलक्टर की शक्ति.- (1) जब किसी लिखत की कोई प्रति धारा 42 की उप-धारा (1) के अधीन कलक्टर को भेजी जाती है, तब यदि वह उचित समझें, तो एक सौ रुपये की शास्ति से अधिक शास्ति का कोई भी भाग, जो ऐसी लिखत की संदत्त किया गया है, वापस लौटा सकेगा।

(2) जब ऐसी लिखत केवल इस कारण परिबद्ध की गयी है कि वह धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखी गयी है, तब कलक्टर इस प्रकार संदत्त की गयी पूरी शास्ति वापस लौटा सकेगा।

44. परिबद्ध की गयी लिखतों को स्टाम्पित करने की कलक्टर की शक्ति.- (1) जब कलक्टर,-

(क) किसी लिखत को धारा 37 के अधीन परिबद्ध करता है, या

(ख) धारा 42 की उप-धारा (2) के अधीन उसे भेजी गयी किसी लिखत को प्राप्त करता है, और उस अधिनियम के अधीन ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य है, जो वह निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगा,-

- (i) यदि उसकी राय है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तो वह उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या, यथास्थिति, वह इस प्रकार से प्रभार्य नहीं है;
- (ii) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य है और सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो वह यह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और साथ-साथ एक सौ रुपये की शास्ति, अथवा यदि वह ठीक समझता है तो उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के दस गुने से अनधिक रकम, चाहे ऐसी रकम एक सौ रुपये से अधिक हो या कम हो, संदत्त की जाये:

परन्तु जब ऐसी लिखत केवल इस कारण से परिबद्ध की गयी है कि वह धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखी गयी है, तब यदि कलक्टर ठीक समझे तो वह इस धारा द्वारा विहित की गयी पूरी शास्ति की माफी दे सकेगा।

(2) से (3)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

51. कम मूल्यांकित लिखतें किस प्रकार मूल्यांकित की जायेंगी.- (1) से (2) XX

(3) उप-धारा (1) या (2) के अधीन लिखत के प्राप्त होने पर, कलक्टर पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और विहित रीति से जांच करने के पश्चात् बाजार-मूल्य और प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की कमी के दस गुना से अनधिक की शास्ति और उस संदेय अधिभार यदि कोई हो, सहित शुल्क अवधारित करेगा और यदि शास्ति और अधिभार, यदि कोई हो, सहित शुल्क की रकम शास्ति और अधिभार, यदि कोई हो, सहित पूर्व में संदत्त शुल्क की रकम से अधिक हो तो वह कम रकम, शास्ति और अधिभार, यदि कोई हो, सहित शुल्क संदत्त करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा संदेय होगी।

(4)	XX	XX	XX
-----	----	----	----

(5) कलक्टर, उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य के सही होने के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजनार्थ उप-धारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति से या निष्पादक से या किसी भी अन्य व्यक्ति से, उप-धारा (1) या (2) के अधीन उसे निर्दिष्ट न की गयी कोई भी लिखत स्वप्रेरणा से या उप-धारा (4) के अधीन किये गये निर्देश मंगवा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा, और यदि ऐसी परीक्षा के पश्चात् उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी सम्पत्ति का बाजार-मूल्य लिखत में सही तौर पर उपवर्णित नहीं किया गया है तो वह, उप-धारा (3) में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार बाजार-मूल्य और उस पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की कमी के दस गुने से अनधिक की शास्ति के साथ-साथ स्टाम्प शुल्क की रकम अवधारित कर सकेगा, जो स्टाम्प शुल्क और शास्ति संदत्त करने के दायी व्यक्ति द्वारा संदेय होगी।

(6) से (7) XX XX XX
XX XX XX XX

53. दस्तावेज के सही स्वरूप का अवधारण और समुचित शुल्क की वसूली.- (1)
से (2) XX XX XX

(3) उप-धारा (1) या (2) के अधीन दस्तावेज या लिखत के प्राप्त होने पर कलक्टर, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् दस्तावेज या लिखत का सही स्वरूप और प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की कमी के दस गुने से अनधिक की शास्ति और उस पर संदेय अधिभार, यदि कोई हो, सहित शुल्क अवधारित करेगा और इस प्रकार अवधारित शास्ति और अधिभार, यदि कोई हो सहित शुल्क के या उसकी पूर्ति करने के लिए अपेक्षित रकम के संदाय की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) XX XX XX

(5) कलक्टर उस दस्तावेज या लिखत के स्वरूप के संबंध में उसके सही होने के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजनार्थ उप-धारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति से या निष्पादक से या किसी भी अन्य व्यक्ति से, उप-धारा (1) या (2) के अधीन उसे निर्दिष्ट न किया गया कोई भी दस्तावेज या लिखत, जो रजिस्ट्रीकृत कर दी गयी है और निष्पादक को या किसी भी अन्य व्यक्ति को वापस कर दी गयी है, स्वप्रेरणा से या उप-धारा (4) के अधीन या अन्यथा किये गये निर्देश पर मंगवा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और पक्षकारों को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यदि

<p>5क. किसी व्यापारिक सदस्य द्वारा धारा 2 के खण्ड (िक) और (xxxvi) में निर्दिष्ट किसी संगम या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कार्यान्वित संव्यवहार का अभिलेख (इलैक्ट्रानिक या अन्यथा)",</p>	
<p>(क) यदि सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय और क्रय से संबंधित हो</p>	<p>प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक करोड़ रुपये या उसके भाग के लिए पचास रुपये।</p>
<p>(ख) यदि उपर्युक्त मद (क) के अधीन आने वाली से भिन्न प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय से संबंधित हो.-</p>	
<p>(i) परिदान के मामले में</p>	<p>प्रत्येक 10,000 रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया।</p>
<p>(ii) अपरिदान के मामले में</p>	<p>प्रत्येक 10,000 रुपये या उसके भाग के लिए बीस पैसे।</p>
<p>(ग) यदि भावी और विकल्प व्यापार से संबंधित हो।</p>	<p>प्रत्येक 10,000 रुपये या उसके भाग के लिए बीस पैसे।</p>
<p>(घ) यदि किसी संगम के माध्यम से या अन्यथा व्यापार की गयी वस्तुओं की अग्रिम संविदा से संबंधित हो।</p>	<p>प्रत्येक 1,00,000 रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया।</p>
<p>स्पष्टीकरण-I इस अनुच्छेद के अधीन संदत्त कोई शुल्क अनुच्छेद 5, 18, 34, 40 या, यथास्थिति, 52 के अधीन प्रभार्य शुल्क, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित की जायेगी।</p> <p>स्पष्टीकरण-II खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए प्रतिभूति का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में परिभाषित है"</p>	

6. से 20	XX	XX	XX
21. धारा 2(xi) द्वारा यथा-परिभाषित हस्तान्तरण-पत्र,-			
(i)	यदि स्थावर संपत्ति से संबंधित हो।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का ग्यारह प्रतिशत।	
(ii)	यदि जंगम सम्पत्ति से संबंधित हो।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का आधा (0.5) प्रतिशत।	
(iii)	यदि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) की धारा 394 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 44-क के अधीन किये गये आदेश से संबंधित हो।	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दस प्रतिशत।	
छूट: भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 14) के अधीन की गयी प्रविष्टि द्वारा प्रतिलिप्याधिकार का समनुदेशन।			
स्पष्टीकरण.- (i) इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय कर के करार या अप्रतिसंहरणीय मुख्तारनामों या हस्तान्तरण-पत्र, या पट्टे यथा आबण्टन-पत्र, पट्टा, अनुज्ञप्ति आदि, के अनुक्रम में निष्पादित किसी भी अन्य लिखत को ऐसी लिखत के निष्पादन के पूर्व, निष्पादन के समय या उसके पश्चात् ऐसी सम्पत्ति के कब्जे के अंतरण के मामले में हस्तान्तरण-पत्र समझा जायेगा और उस पर तदनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा: परन्तु धारा 51 के उपबन्ध ऐसे करार या मुख्तारनामों या लिखतों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी हस्तान्तरण-पत्र को लागू होते हैं: परन्तु यह और कि ऐसे करार या मुख्तारनामों या लिखत पर पहले ही संदत्त स्टाम्प शुल्क को ऐसी लिखत के अनुसरण में, किसी हस्तान्तरण-पत्र या पट्टे के पश्चात् वर्ती			

निष्पादन के समय उस हस्तान्तरण-पत्र या पट्टे पर प्राभार्य शुल्क की रकम के प्रति समायोजित किया जायेगा।	
स्पष्टीकरण.- (ii) खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति का बाजार-मूल्य हस्तान्तरिती कम्पनी द्वारा या तो विनिमय के रूप में या अन्यथा निर्गमित या आवंटित शेयरों की कुल मूल्य की रकम और ऐसे आमेलन या, यथास्थिति, पुनर्गठन के लिए संदत्त प्रतिफल की रकम यदि कोई हो, को समझा जायेगा।	
22. से 58.	XX XX XX
XX	XX XX XX XX

**7. राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 से लिये गये उद्धरण
(1951 का अधिनियम सं. 11)**

XX XX XX XX

"4-घ. ग्रीन कर का उद्ग्रहण.- (1) इस अधिनियम की धारा 4, 4-ख और 4-ग के अधीन उद्ग्रहीत कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त ऐसे थानों पर, स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे समय पर, इस सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम दरों से अनधिक ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाये, "ग्रीन कर" के नाम से एक उपकर उद्ग्रहीत और संगृहीत किया जायेगा।

क्र.सं.	यान का वर्ग	समय	उपकर की अधिकतम दर (रुपये में)
1	2	3	4
1.	गैर परिवहन यान (क) दुपहिया (ख) दुपहिया से भिन्न	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के	750.00 1500.00

		अधीन सुपुर्दगी के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 की उप-धारा (10) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय।	
2.	परिवहन यान	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन सुपुर्दगी के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 56 के अधीन सही हालत में होने के प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय।	600.00

(2) अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, उनको छोड़कर जो कर के प्रतिदाय से संबंधित हैं, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन संदेय उपकर के अधिरोपण, संदाय, संगणना और वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के अधिरोपण, संदाय, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।

XX

XX

XX

XX

5. कर का संदाय.- (1) इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है उसे छोड़कर और उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन, धारा 4, धारा 4-ख और धारा 4-ग के अधीन उद्ग्रहणीय कर, मोटर यान के प्रत्येक स्वामी द्वारा या उस पर कब्जा नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से, अग्रिम रूप से संदत्त किया जायेगा:

परन्तु यदि राज्य सरकार का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने के पर्याप्त कारण हैं तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर देने के दायी विशेष वर्गों के यानों या व्यक्तियों के मामले में कर के संदाय की समय-सीमा को भविष्य या भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ा सकेगी:

परन्तु यह और कि धारा 4-ग के अधीन संदेय एकमुश्त कर एक बार में या एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर तीन समान किस्तों में ऐसी रीति से संदत्त किया जा सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये:

परन्तु यह भी कि धारा 4-ग के द्वितीय परन्तुक के अधीन विनिर्दिष्ट किये गये यानों के वर्ग की दशा में, कर, ऐसी रीति से, पूर्ण रूप से संदत्त किया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

(2) से (4) XX XX XX
 XX XX XX XX

**8. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 से लिये गये उद्धरण
 (1950 का अधिनियम सं. 2)**

XX XX XX XX

25. सैनिक छावनियों में मदिरा का विनिर्माण एवं विक्रय.- ऐसे स्थानों की सीमाओं के भीतर, जिनमें कोई सैनिक बल अवस्थित है और उन सीमाओं से ऐसी दूरी के भीतर, जो कि राज्य सरकार किसी भी मामले में विहित करे, मदिरा के विनिर्माण या विक्रय के लिए या धारा 24 के अधीन मदिरा के संबंध में किसी अनन्य विशेषाधिकार के लिए कोई अनुज्ञप्ति कमाण्डिंग आफिसर की सहमति के बिना नहीं दी जाएगी।

XX XX XX XX

42. मुख्य आबकारी प्राधिकारी को नियम बनाने की शक्ति.- आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन, निम्नांकितों के लिए नियम बना सकता है,-

(क) किसी भी आबकारी योग्य वस्तु के विनिर्माण, प्रदाय, भण्डारकरण या विक्रय को और निम्नांकितों को विनियमित करने के लिए;

(i) उक्त वस्तु या औषधि द्रव्य के विनिर्माण, प्रदाय, भण्डारकरण या विक्रय के लिए किसी भी स्थान का परिनिर्माण, उसमें परिवर्तन,

उसकी मरम्मत, उसका निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रबंध और नियंत्रण तथा उसमें के फिटिंग्स, औजार और यंत्र का रख-रखाव;(ii) हेम्प के पौधे (कनोविस सतिवा) की खेती,

(iii) हेम्प के पौधे (कनोविस सतिवा) ऐसे प्रभागों का संग्रहण जिनसे कोई मादक औषधि-द्रव्य बनाया जा सकता है और उनसे मादक द्रव्यों का विनिर्माण,

(iv) विक्रय के प्रयोजनार्थ शराब को बोतलों में भरा जाना,

(ख) किसी भाण्डागार में किसी भी आबकारी योग्य वस्तु के जमा कराये जाने और उसके उक्त किसी भी भाण्डागार से या किसी भी आसवनी, घट-भभके या मद्य-निर्माणशाला से हटाये जाने को विनियमित करने के लिए,

(ग) किसी भी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या पास के, या किसी भी आबकारी योग्य वस्तु के संग्रह के, संबंध में संदेय फीस की स्केल या उक्त फीस नियत करने की रीति विहित करने के लिए,

स्पष्टीकरण:- इस उप-खण्ड के अधीन अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्रों, पासों या संग्रहागारों के विभिन्न वर्गों के लिए, और विभिन्न क्षेत्रों के लिए फीस विभिन्न दरों पर विहित की जा सकेगी।

(घ) किसी शुल्क या फीस के संदाय का समय, स्थान और रीति विनियमित करने के लिए,

(ङ) निम्नलिखित मामलों के लिए उपबंध करने के लिए और उन निर्बन्धनों को जिनके अधीन, और उन शर्तों को जिन पर, कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र या पास दिया जा सकेगा, विहित करने के लिए-

(i) किसी भी आबकारी योग्य वस्तु के साथ हानिकर या आपत्तिजनक समझे जाने वाले किसी पदार्थ के सम्मिश्रण का प्रतिधेय,

(ii) किसी अनुज्ञप्त विनिर्माता या अनुज्ञप्त विक्रेता द्वारा शराब की तेजी में अपचयन का प्रतिधेय,

- (iii) किसी आबकारी योग्य वस्तु की तेजी, कीमत या मात्रा नियत करना, जिससे अधिक या कम न तो उस वस्तु का विक्रय या प्रदाय किया जायेगा और न ही वह कब्जे में रखी जायेगी, और वह मात्रा निश्चित करना जिससे अधिक विकृतिकृत स्पिरिट कब्जे में नहीं रखी जायेगी तथा किसी भी आबकारी योग्य वस्तु की किस्म का मानक विहित करना,
- (iv) नकद के सिवाय विक्रय का प्रतिधेय,
- (v) वे दिन और घंटे नियत करना, जिनके दौरान कोई भी अनुज्ञप्त परिसर खुले रखे या नहीं रखे जा सकेंगे और ऐसे परिसरों को विशेष अवसरों पर बंद रखना,
- (vi) उन परिसरों का स्वरूप जिनमें किसी आबकारी योग्य वस्तु का विक्रय हो सकता है और उक्त परिवारों पर लगाये जाने वाले नोटिसों का विनिर्देश,
- (vii) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा रखे जाने वाले लेखाओं और प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों का प्ररूप, और
- (viii) अनुज्ञप्तियों के हस्तान्तरण का विनियमन,
- (च) (i) उस पदार्थ और प्रक्रिया की घोषणा करने के लिए, जिसके द्वारा भारत में निर्मित स्पिरिट का विकृतीकरण किया जायेगा,
- (ii) उक्त स्पिरिट को आबकारी अधिकारियों की मार्फत या उनके पर्यवेक्षण में विकृतीकरण कराने के लिए,
- (iii) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि आया उक्त स्पिरिट विकृतिकृत हो गयी है।
- (छ) उपयोग के अनुपयुक्त समझी गयी किसी भी आबकारी योग्य वस्तु को नष्ट किये जाने या अन्यथा उसके व्ययन के लिए उपबंध करने के लिए,
- (ज) अधिहृत वस्तुओं के व्ययन को विनियमित करने के लिए।

67. अपराधों का संज्ञान और जुर्मानों का आबकारी विभाग में जमा किया जाना.-

(1) कोई भी मजिस्ट्रेट.-

(क) धारा 54 या धारा 54ख या धारा 54घ धारा 57 या धारा 59 या धारा 63 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान अपनी स्वयं की जानकारी या संदेह या किसी शिकायत या आबकारी अधिकारी की रिपोर्ट के बिना नहीं करेगा, या

(ख) XX XX XX

(2) से (3) XX XX XX

XX

XX

XX

XX

(Authorized English Version)

THE RAJASTHAN FINANCE BILL, 2014

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990, the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962, the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957, the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999, the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951, the Rajasthan Excise Act, 1950, the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, and to provide for the levy and collection of infrastructure development cess on sale or purchase of certain goods in the State of Rajasthan, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2014-15 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2014.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 42, 44, 45 and 46 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

3. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing expression “rupees two lacs”, the expression “rupees five lacs” shall be substituted.

4. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In sub-section (4) of section 16 of the principal Act, after the existing clause (a) and before the existing clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(aa) a dealer has discontinued business at his principal place of business; or”.

5. Amendment of section 18, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 18 of the principal Act, for the existing sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) The input tax credit under sub-section (1) shall be allowed only after verification of the deposit of tax payable by the selling dealer in the manner as may be notified by the Commissioner.”.

6. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 20 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (2), for the existing expression “six percent”, the expression “twenty percent” shall be substituted; and
- (ii) the existing sub-section (2A) shall be deleted.

7. Amendment of section 22, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing sub-section (4) of section 22 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(4) No order under this section shall be passed after the last date of submission of annual return for that year.”.

8. Amendment of section 23, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing section 23 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“23. Self Assessment.- Every registered dealer who has furnished, all the returns under the provisions of section 21 or audit report as contemplated in section 73 along with all the returns under section 21, for the year, before issuance of any notice under sub-section (2) of section 24, shall, subject to the provisions of section 24, be deemed to have been assessed on the basis of such returns and such audit report, as the case may be.”.

9. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing section 24 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“24. Assessment.- (1) Assessment of a dealer shall be for a year and it shall be made after the last date of furnishing of annual return for the year. However, the assessment of a closed business may be made immediately after its closure.

(2) Every return furnished by a registered dealer shall be subject to such scrutiny as may be determined by the Commissioner, to verify its correctness, and if any error is detected in any return or returns, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner shall serve a notice in the prescribed form to the dealer for rectification of the errors and the dealer may file a revised return within such period as specified therein.

(3) Where the dealer, in pursuance of the notice issued under sub-section (2),-

- (a) furnishes the revised return or returns, as the case may be, in terms of the notice and deposits the tax, interest, late fee, if any, he shall be deemed to have been assessed under section 23;
- (b) does not furnish revised return or returns, as the case may be, or the revised return or returns, as the case may be, furnished by the dealer is not in terms of the notice, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner, after giving an opportunity of being heard to the dealer and after conducting such enquiry as he may consider necessary, shall assess the dealer to the best of his judgment on the basis of the material available on record.

(4) Where a dealer, fails to furnish return in accordance with the provisions of section 21, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner, after giving an opportunity of being heard to the dealer and after conducting such enquiry as he may consider necessary, shall assess the dealer to the best of his judgment on the basis of the material available on record and shall impose a penalty, for non-filing of returns, of an amount equal to twenty percent of the net tax payable subject to a minimum of five thousand rupees.

(5) No assessment order under this section shall be passed after the expiry of two years from the end of the relevant year. However, the Commissioner may for reasons to be recorded in writing, extend such time limit in any particular case by a period not exceeding six months.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), where any proceeding relating to an assessment is subject to adjudication before the Tax Board or a competent court or any other authority under this Act, assessment in such matters may be passed within two years from the final adjudication of such proceedings. The limitation of two years shall be counted from the date of communication of the order of such final adjudication to the assessing authority.”.

10. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 25 of the principal Act, for the existing sub-section (4), the following shall be substituted, namely:-

“(4) Notwithstanding anything contained in this Act, where notice has been issued under sub-section (1), the authority issuing such notice shall be competent to make the assessment for the relevant year.

(5) No notice under sub-section (1) shall be issued after the expiry of five years from the end of the relevant year.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-sections (3) and (5), where any proceeding relating to an assessment is subject to adjudication before the Tax Board or a competent court or any other authority under this Act, assessment in such matters may be passed within two years from the final adjudication of such proceedings. The limitation of two years shall be counted from the date of communication of the order of such final adjudication to the assessing authority.”.

11. Amendment of section 26, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 26 of the principal,-

- (i) the existing Explanation of sub-section (1) shall be deleted; and
- (ii) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

“(3) No notice under sub-section (1) shall be issued after the expiry of five years, and no assessment under this section shall be made after the expiry of eight years, from the end of the relevant year.

(3A) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), where any proceeding relating to an assessment is subject to adjudication before the Tax Board or a competent court or any other authority under this Act, assessment in such matters may be passed within two years from the final adjudication of such proceedings. The limitation of two years shall be counted from the date of communication of the order of such final adjudication to the assessing authority.”.

12. Amendment of section 27, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 27 of the principal Act, after the existing sub-section (5), the following shall be added, namely:-

“(6) No notice under sub-section (4) shall be issued after the expiry of five years, and no assessment under this section shall be made after the expiry of eight years, from the end of the relevant year.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), where any proceeding relating to an assessment is subject to adjudication before the Tax Board or a competent court or any other authority under this Act, assessment in such matters may be passed within two years from the final adjudication of such proceedings. The limitation of two years shall be counted from the date of communication of the order of such final adjudication to the assessing authority.”.

13. Amendment of section 38, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 38 of the principal Act, for the existing sub-section (7), the following shall be substituted, namely:-

“(7) Notwithstanding anything contained in this Act the State Government may defer the recovery of demand payable by an industrial

unit declared sick under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 as amended from time to time (Central Act No. 1 of 1986) to such extent, for such period and on such conditions with regard to the payment or rate of interest as may be deemed proper.”.

14. Insertion of section 51B, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- After the existing section 51A and before the existing section 52 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“**51B. Rebate of tax.-** Notwithstanding anything contained in this Act, if the State Government is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, and subject to such conditions as may be specified therein, allow, whether prospectively or retrospectively, a rebate up to the full amount of tax to such dealers or class of dealers as may be specified in the notification.”.

15. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing sub-section (4) of section 53 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(4) Where refund of any amount becomes due to a dealer, he shall be entitled to receive, in addition to the amount of refund, simple interest at such rate as may be notified by the State Government with effect from 1st April of the year immediately following the year to which it relates upto the date of payment:

Provided that where the dealer has paid any amount of tax after the closing of the year and such amount is required to be refunded, no interest shall be payable for the period prior to the date of the deposit of such amount.”.

16. Amendment of section 61, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing sub-section (1) of section 61 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(1) Where any dealer has-

- (a) disclosed taxable turnover of sale of goods in any return furnished by him at a lower rate of tax than the rate of tax as specified under this Act or otherwise furnished inaccurate particulars deliberately in the return furnished by him; or
- (b) incorporated any transaction of sale or purchase in his accounts, registers or documents required to be maintained by him under

this Act at a lower rate of tax than the rate of tax as specified under this Act; or

- (c) concealed any particulars from any return furnished by him; or
- (d) concealed any transactions of sale or purchase from his accounts, registers or documents required to be maintained by him under this Act; or
- (e) failed to get himself registered as required under section 11 of this Act and has avoided tax; or
- (f) avoided or evaded tax in any other manner,

the assessing authority or any officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorised by the Commissioner, after giving him a reasonable opportunity of being heard, by order in writing, impose upon him by way of penalty in addition to tax payable by him under this Act, a sum equal to two times the amount of tax avoided or evaded.”.

17. Amendment of section 67, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In sub-section (1) of section 67 of the principal Act, for the existing expression “be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months and with fine not exceeding rupees five thousand, and for the offences covered under clauses (b), (c), (f), (g), and (i) with a minimum sentence of simple imprisonment of three months.”, the expression

- “(I) for offences described under clauses (c) or (i) or offences where amount of demand notice exceeds rupees one crore under clause (d) be punishable with simple imprisonment for a term which may extend upto three years and also be liable to fine but the minimum sentence shall not be less than simple imprisonment of six months and fine of rupees five thousand; and
- (II) for other offences not covered under clause (I), be punishable with simple imprisonment for a term which may extend upto six months and also be liable to fine.”

shall be substituted.

18. Amendment of section 91, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- For the existing section 91 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“91. General Powers of the Commissioner.- (1) The Commissioner may from time to time, issue such orders, instructions and directions to all

officers and persons employed in the execution of this Act as he may deem fit for the administration of this Act, and all such officers and persons shall observe and follow such orders, instructions and directions of the Commissioner.

(2) For the purposes of official use, the Commissioner may, by notice in any newspaper, or in such other manner as he deems proper, call upon all dealers or any class of dealers or persons to furnish such information, statement or return as may be specified in the notice issued in this behalf.

(3) No such orders, instructions, or directions shall be issued under sub-section (1) so as to interfere with the discretion of any appellate authority in the exercise of its appellate functions.

(4) Without prejudice to the generality of the foregoing power, the Commissioner may, on his own motion or on an application by a registered dealer liable to pay tax under this Act, if he considers it necessary or expedient so to do, for the purpose of maintaining uniformity in the work of assessments and collection of revenue, clarify the rate of tax payable under this Act in respect of goods liable to tax under this Act, and all officers and persons employed in the execution of this Act shall observe and follow such clarification.

(5) No such application under sub-section (4) shall be entertained unless it is accompanied by proof of payment of such fee, paid in such manner, as may be prescribed.”.

19. Amendment of section 95, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In section 95 of the principal Act, for the existing sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) Where any return, application, communication or intimation is submitted by a dealer or his business manager or by a person, electronically through the official website of the Commercial Taxes Department, such return, application, communication or intimation shall be deemed to be submitted by him, if the dealer or business manager or person has given his consent to use the website for e-filing in the prescribed manner:

Provided that dealer or business manager or person, who has consented to use the official website of the Department shall not retract from or repudiate such e-documents submitted by him through the website.

(3) Where any notice, communication or intimation is served on a dealer or his business manager or any person electronically through the official website of the Commercial Taxes Department, then, said notice, communication or intimation shall not be deemed to be invalid only on the ground that it is not personally signed or digitally signed or is not served properly.”.

20. Amendment of section 96, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- The existing section 96 of the principal Act shall be deleted with effect from 5th day of October, 2014.

CHAPTER III AMENDMENT IN THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990

21. Amendment of section 12, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- In section 12 of the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

- (i) in sub-section (1), for the existing expression “Luxury Tax Officer”, the expression “Luxury Tax Officer or any other Officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner in this behalf ” shall be substituted;
- (ii) in sub-section (4), for the existing expression “Luxury Tax Officer”, the expression “Luxury Tax Officer or any other Officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner in this behalf ” shall be substituted; and
- (iii) in sub-section (7), for the existing expression “Luxury Tax Officer”, the expression “Luxury Tax Officer or any other Officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner in this behalf ” shall be substituted.

22. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 9 of 1996.- In section 20 of the principal Act, for the existing expression “at the rate of two percent of the amount of such tax or demand”, the expression “at such rate as may be notified by the State Government” shall be substituted.

CHAPTER IV AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962

23. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 12 of 1962.- For the existing clause (3) of the proviso to section 3 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962), the following shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted, namely:-

“(3) where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, exempt fully or partially, whether prospectively or retrospectively, from payment of electricity duty payable on energy consumed by any consumer or class of consumers, without any condition or with such condition as may be specified in the notification.”.

CHAPTER V
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ENTERTAINMENTS AND ADVERTISEMENTS
TAX ACT, 1957

24. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- In section 3 of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, -

- (i) for existing clause (1) the following shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted, namely:-

“(1) “addressable system” means an electronic device or more than one electronic devices put in an integrated system through which television signals and value added services can be sent in encrypted or unencrypted form, which can be decoded by the device or devices at the premises of the subscriber within the limits of the authorization made, on the choice and request of such subscriber, by the service provider to the subscriber;

(1A) “admission” includes admission as a spectator or as one of an audience and admission for purpose of amusement by taking part in an entertainment and in case of entertainment through cable television network and direct to home broadcasting service, each connection to a subscriber shall be deemed to be an admission;”;

- (ii) for existing clause (2) the following shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted, namely:-

“(2) “admission to an entertainment” includes admission to any place in which the entertainment is held and in case of entertainment through cable service and direct to home broadcasting service, with or without cable connection, each connection to a subscriber shall be deemed to be an admission to an entertainment;”;

(iii) clause (4A) shall be substituted by the following, namely,-

“(4A) “direct to home broadcasting service” means distribution of multi-channel television and radio programmes and similar content by using a satellite system, by providing signals directly to subscriber’s premises without passing through an intermediary or otherwise;”;

(iv) clause (6) shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted by the following, namely, -

“(6) “entertainment tax” means the tax levied and charged under sections 4 and 4AA and includes the additional tax payable under section 6A;”;

(v) in clause (7),-

(i) for the existing punctuation mark “:” appearing at the end of sub-clause (d), the punctuation mark “;” shall be substituted; and

(ii) after the sub-clause (d), so amended and before the existing proviso, the following shall be inserted, namely:-

“(e) any payment made by a person by way of contribution, subscription, installation or connection charges or any other charges, excluding service tax paid under the Finance Act, 1994 (Central Act No. 32 of 1994), collected in any manner whatsoever for cable service;

(f) any payment made by a person by way of contribution, subscription, installation or connection charges or any other charges, excluding service tax paid under the Finance Act, 1994 (Central Act No. 32 of 1994), collected in any manner whatsoever for entertainment through cable service or through direct to home

broadcasting service for distribution of television signals and value added services with the aid of any types of addressable system, which connects a television set or computer system at a residential or non-residential place of subscriber's premises, directly to the satellite or otherwise:";

- (vi) the existing clause (8) shall be substituted by the following, namely:-

“(8) “proprietor”, in relation to any entertainment, includes any person –

- (a) connected with the organisation of the entertainment, or
- (b) charged with a work of admission to the entertainment, or
- (c) responsible for, or for the time being in charge of, the management thereof, or
- (d) having licence to provide direct to home broadcasting service, by the Central Government under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (Central Act No.13 of 1885), and Indian Wireless Telegraph Act, 1933 (Central Act No. 17 of 1933) and also includes service provider of cable television signals and value added services registered or licensed under the Cable Television Network (Regulation) Act, 1995 (Central Act No.7 of 1995);”;

- (vii) for existing clause (11A), the following shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted, namely:-

“(11A) “subscriber” means a person who receives the signals of television network and value added services from a proprietor at a place indicated by him, without further transmitting it to any other person:

Provided that, in case of further transmission of signals of cable television network, each room or premises where signals of cable television network are transmitted shall be treated as a subscriber:

Provided further that, in case of direct to home broadcasting service, every television set or computer set receiving the signals shall be treated as a subscriber;”.

25. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- In sub-section (1) of section 4 of the principal Act, after the existing expression “admission to an entertainment,” and before the existing expression “a tax at such rate”, the expression “other than an entertainment to which section 4AA applies,” shall be inserted.

26. Amendment of section 4AA, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- For the existing section 4AA of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“4AA. Levy of Tax on Cable Service and Direct to Home Broadcasting service.- (1) Subject to the provisions of this Act, there shall be charged, levied and paid an entertainment tax on all payments for admission to an entertainment through a direct to home broadcasting service or through a cable service with addressable system or otherwise, other than entertainment to which section 4 applies, at such rates not exceeding twenty percent of the payment for admission for every subscriber, as the State Government may, notify in this behalf.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may fix the rates of tax for the tax payable under this section a fixed amount, as may be notified but not exceeding rupees fifty, per subscriber per month or part thereof.

(3) Nothing in sub section (1) shall preclude the State Government from notifying different rates of entertainment tax for house hold or for different categories of hotels.

(4) Where the subscriber is a hotel or a restaurant, the proprietor may, in lieu of payment under sub section (1), pay a compounded amount to the State Government on such conditions and in such manner as may be prescribed and at such rate as the State Government may, notify and different rates of compounded amount may be notified for the different category hotels and restaurants.”.

27. Amendment of section 4AAA, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- The existing section 4AAA of the principal Act shall be deleted.

28. Amendment of section 5B, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- In sub-section (2) of section 5B of the principal Act, the existing expression “,4AAA” shall be deleted.

29. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- In section 6 of the principal Act,-

- (i) In sub-section (1), after the expression “subject to the entertainment tax” and before the expression, “, except with a ticket”, the expression “payable under section 4,” shall be inserted;
- (ii) In sub-section (3), after the existing expression, “tax is payable under” and before the existing expression “this Act”, the expression, “section 4 of” shall be inserted.

30. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- For the existing section 8 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“8. Refund.- (1) Where any amount is refundable to a proprietor or a person under the provisions of this Act, the prescribed authority shall, after having duly verified the fact of deposit of such amount, refund to such proprietor or person such amount in the prescribed manner.

(2) An amount refundable under this Act shall be refunded within thirty days from the date of submission of application and if such amount is not refunded within the aforesaid period of thirty days, the proprietor shall be entitled to get interest with effect from the date succeeding the date of expiry of the aforesaid period upto the date of payment, at such rate as may be notified by the State Government.

(3) Notwithstanding anything contained in this section or in any other law for the time being in force, only the proprietor or the person, who has actually suffered the incidence of tax or has paid the amount, can claim a refund and the burden of proving the incidence of tax so suffered or the amount so paid shall be on the proprietor or the person claiming the refund.”.

31. Amendment of section 9A, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- In clause (a) of section 9A of the principal Act, the existing expression “,4AAA” shall be deleted.

32. Amendment of section 10B, Rajasthan Act No. 24 of 1957.- For the existing section 10B of the principal Act, the following shall be substituted, namely,-

“10B. Penalty for non-payment of Tax on cable service and direct to home broadcasting service.- Where the proprietor of a cable

television network providing cable service or a proprietor of a direct to home broadcasting service, contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder or fails to comply with any order or direction issued in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder, shall on conviction, be punishable with a sentence of simple imprisonment not exceeding six months or fine not exceeding two thousand rupees or both.”.

CHAPTER VI

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS ACT, 1999

33. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 13 of 1999.- In sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999), for the existing expression “twenty percent” the expression “sixty five percent”, shall be substituted.

CHAPTER VII

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

34. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) after the existing clause (x) and before the existing clause (xi), the following shall be inserted, namely:-

“(x-a) “Concession agreement” means an agreement involving a grant of rights, land or property by the State Government, local authority, public sector undertaking or other statutory entity to provide some service on commercial basis using such assets of the State Government or a local authority or a public sector undertaking, as the case may be, subject to certain conditions;”;

(ii) after the existing clause (xxi) and before the existing clause (xxii), the following shall be inserted, namely:-

“(xxi-a) “Leave and Licence” means any instrument, whether called leave or licence or called by any other name, by which one

person grants to another, or to a definite number of other persons, a right to do, or continue to do, in or upon the immovable property of the granter, something which would, in the absence of such right, be unlawful, and such right does not amount to an easement or an interest in property;"; and

(iii) for the existing clause (xxiii), the following shall be substituted, namely:-

“(xxiii) “market value” in relation to any property, which is the subject matter of an instrument, means the price which such property would have fetched or would fetch if sold in open market on the date of execution of such instrument as determined by in such manner and by such authority as may be prescribed by rules made under this Act or the consideration stated in the instrument, whichever is higher;”.

35. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing section 4 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“4. Payment of stamp duty in cash.- (1) Notwithstanding anything contained in section 10,-

- (i) any instrument chargeable with the stamp duty may be executed on an unstamped paper; and
- (ii) the stamp duty chargeable on such instrument may be paid or collected in such manner as the State Government may prescribe by rules.

(2) The registering officer or any other officer authorized by the State Government shall, on production of such proof of payment of stamp duty under clause (ii) of sub-section (1) as the State Government may prescribe by rules, endorse on the instrument the amount of stamp duty so paid in such manner as the State Government may prescribe by rules.

(3) An instrument endorsed under sub-section (2) shall be deemed to be duly stamped under this Act and may be used or acted upon as such to all intents and for all purposes.”.

36. Insertion of section 4-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 4 and before the existing section 5 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“4-A. Rounding off of fractions in duty, fee or surcharge payable or allowances to be made.- In determining the amount of duty, surcharge or fee payable, or of the allowances to be made, under this Act, any fraction of 10 rupees, equal to or exceeding 50 paise shall be rounded off to next 10 rupees, and any fractions of less than 50 paise shall be disregarded.”.

37. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing sub-clause (ii) of clause (a) of proviso to section 39 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(ii) a penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but such penalty shall not exceed to two times of the deficient stamp duty.”.

38. Amendment of section 43, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing section 43 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“43. Collector's power to refund penalty under sub-section (1) of section 42.- Where a copy of an instrument which has been impounded only because it has been written in contravention of section 13 or section 14 is sent to the Collector under sub-section (1) of section 42, he may refund whole penalty paid in respect of such instrument.”.

39. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 44 of the principal Act, for the existing expression “a penalty of one hundred rupees; or, if he thinks fit an amount not exceeding ten times the amount of the proper duty or of the deficient portion thereof, whether such amount exceeds or falls short of one hundred rupees:”, the expression “a penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained unstamped or insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but not exceeding two times of the deficient stamp duty:” shall be substituted.

40. Amendment of section 51, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 51 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

“(3) On receipt of the instrument under sub-section (1) or (2), the Collector shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and after holding an enquiry in the prescribed manner, determine the market value and stamp duty including the penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained unstamped or insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but not exceeding two times of the deficient stamp duty, and surcharge, if any, payable thereon and if the amount of stamp duty including penalty and surcharge, if any, so determined exceeds the amount of stamp duty including penalty and surcharge, if already paid, the deficient amount shall be payable by the person liable to pay the stamp duty including penalty and surcharge, if any.”; and

(ii) for the existing sub-section (5), the following shall be substituted, namely:-

“(5) The Collector may, *suo motu* or on a reference made under sub-section (4) call for and examine any instrument not referred to him under sub-section (1) or (2), from any person referred to in sub-section (4) or the executant or any other person for the purpose of satisfying himself as to correctness of the market value of the property, and if after such examination, he has reason to believe that the market value of such property has not been truly set forth in the instrument, he may determine in accordance with the procedure provided in sub-section (3) the market value and the amount of stamp duty, if any, payable thereon together with a penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained unstamped or insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but not exceeding two times of the deficient stamp duty, which shall be payable by the person liable to pay the stamp duty and penalty.”.

41. Insertion of section 52-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 52 and before the existing section 53 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“52-A. Reopening of *ex parte* orders.- (1) Where an order has been passed by the Collector *ex parte* under this Act, the aggrieved person may apply to the Collector for reopening of such order within thirty days from the date of communication of such order to him on the grounds that he did not receive the notice or summons issued to him in the matter or that he was prevented by sufficient cause from complying with any notice or summons issued to him.

(2) If the Collector is satisfied with the ground specified in the application made under sub-section (1), he shall reopen the *ex parte* order and after hearing the aggrieved person may pass such order as he may think proper in the circumstances of the matter within three months from the date of receipt of the application under sub-section (1).”.

42. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 53 of the principal Act,-

- (i) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

“(3) On receipt of document or instrument under sub-section (1) or (2), the Collector shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, determine the correct nature of the document or instrument and the stamp duty including the penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained unstamped or insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but not exceeding two times of the deficient stamp duty, and surcharge, if any, payable thereon and may require the payment of the stamp duty including penalty and surcharge, if any, so determined or the amount required to make up the same.”; and

- (ii) for the existing sub-section (5), the following shall be substituted, namely:-

“(5) The Collector may, *suo motu* or on a reference made under sub-section (4) or otherwise call for and examine any document or instrument not referred to him under sub-section (1) or (2), from any person referred to in sub-section (4) or the executant or any other person, which has been registered and returned to the executant or any other person for the purpose of satisfying himself as to the correctness with regard to the nature of

the document or instrument and if he is satisfied, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, that the nature of document or instrument had not correctly been mentioned or determined, he may determine the correct nature of the document or instrument and the stamp duty, if any, payable thereon together with a penalty at the rate of two percent of the amount of the deficient duty per month or part thereof for the period during which the instrument remained unstamped or insufficiently stamped or twenty five percent of the deficient stamp duty, whichever is higher, but not exceeding two times of the deficient stamp duty, and require payment of stamp duty including penalty, if any, so determined or the amount require to make up the same.”.

43. Insertion of section 56-A, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- After the existing section 56 and before the existing section 57 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“56-A. Power of Inspector General of Stamps to reduce or waive interest and penalty.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, Inspector General of Stamps may on an application made in this behalf by a defaulter, reduce or waive the amount of interest or penalty or both upto a maximum limit of rupees twenty five thousand if the defaulter agrees to deposit the remaining amount of duties, penalties, interest and any other sums required to be paid by him under this Act within thirty days from such order.

(2) If the defaulter fails to deposit the amount specified in sub-section (1) within the time specified in that sub-section, the order of reduction or waiver passed under sub-section (1) shall stand withdrawn on the expiry of aforesaid period of thirty days.”.

44. Amendment of section 72, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing section 72 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“72. Interest on duty, surcharge or penalty.- (1) Where any amount of duty or surcharge is recoverable from a person as a result of any order passed in any proceeding under this Act (including determination, appeal, revision, rectification or otherwise), he shall be liable to pay interest at the rate of twelve per cent compounded per annum on the amount of duty or surcharge from the date of execution of such instrument until the date of payment of such amount.

(2) Where any amount of penalty is recoverable from a person as a result of any order passed under this Act, he shall be liable to pay interest at the rate of twelve percent compounded per annum on the amount of such penalty from the date of such order until the date of payment of such amount.”.

45. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act,-

(i) for the existing clause (f) of Article 5, the following shall be substituted, namely:-

“(f) If relating to any advertisement made for promotion of any product; or programme or event with an intention to make profits or business out of it,-

(i) if the amount agreed does not exceed rupees ten lacs; Two rupees and fifty paise for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract subject to minimum of rupees 100.

(iii) in any other case Five rupees for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract.

(ff) If relating to conferring exclusive rights of telecasting, broadcasting or exhibition of an event or film,-

(i) if the amount agreed does not exceed rupees ten lacs; Two rupees and fifty paise for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract subject to minimum of rupees 100.

(ii) in any other case Five rupees for every rupees 1,000 or part thereof on the amount agreed in the contract.”;

(ii) for the existing Article 5-A, the following shall be substituted, namely:-

“5-A. Record of Transaction (Electronics or Otherwise) effected by a trading member through the

association or stock exchange referred to in section 2, clause (ia) and (xxxvii),-

- | | |
|---|---|
| (a) if relating to sale and purchase of Government securities. | Fifty rupees for every rupees one crore or part thereof of the value of security. |
| (b) if relating to purchase or sale of securities, other than those falling under item (a) above- | |
| (i) in case of delivery | 0.01 percent of the value of security. |
| (ii) in case of non delivery | 0.01 percent of the value of security. |
| (c) if relating to futures and options trading. | 0.01 percent of the value of futures and options trading. |
| (d) if relating to forward contracts of commodities traded through an association or otherwise. | 0.01 percent of the value of the forward contract. |

Explanation.- For the purpose of clause (b), securities shall have the same meaning as defined by the Securities Contract (Regulation) Act, 1956.”;

- (iii) after the existing Article 20 and before the existing Article 21, the following Article shall be inserted, namely:-

“**20-A. Concession agreement** as defined by section 2(x-a) as (i) Rupees 2 lacs, where the total capital investment is upto rupees 10 crore;

Explanation.- Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, a concession agreement executed prior to the date of commencement of the Rajasthan Finance Act, 2014 (Act No.---- of 2014), shall be chargeable (ii) Rupees 10 lacs, where the total capital investment exceeds rupees 10 crore but does not exceed rupees 50 crore;

(iii) Rupees 40 lacs, where

under this Article and shall be stamped within 30 days of such commencement.

the total capital investment exceeds rupees 50 crore but does not exceed rupees 200 crore;

(iv) Rupees 1 crore, where the total capital investment exceeds rupees 200 crore but does not exceed rupees 500 crore;

(v) Rupees 2 crore, where the total capital investment exceeds rupees 500 crore but does not exceed rupees 1000 crore;

(vi) Rupees 5 crore, where the total capital investment exceeds rupees 1000 crore but does not exceed rupees 2500 crore; and

(vii) Rupees 10 crore, where the total capital investment exceeds rupees 2500 crore.”;

(iv) for the existing clause (iii) of Article 21, the following shall be substituted, namely:-

“(iii) if relating to the order under section 394 of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) or section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) in respect of amalgamation, demerger or Two percent on that part of the net worth of the transferor company which is equal to the proportion the value of the immovable property of the transferor company situated in the State of Rajasthan bears to

reconstruction of a company.

the value of the whole of immovable property of the transferor company; in addition to the stamp duty paid on the instrument elsewhere, if any.”;

(v) after the clause (iii), so amended, and before the “Exemption” of Article 21, the following clause shall be inserted, namely:-

“(iv) if relating to Transferable Development Rights (TDR)

Five percent on the market value of the Transferable Development Rights equal to the market value of the corresponding portion of the property leading to such Transferable Development Rights, which is the subject matter of conveyance; or consideration for such conveyance; whichever is higher.”;

(vi) the existing Explanation:- (ii) of Article 21, shall be deleted; and

(vii) After the existing Article 33 and before the existing Article 34, the following Article shall be inserted, namely:-

“33-A. Leave and Licence Agreement relating to immovable property other than the residential property.

One rupee for every hundred rupees or part thereof on the whole amount payable or deliverable plus the total amount of fine or premium or money advanced or to be advanced irrespective of the period for which such leave and licence agreement is executed.”.

CHAPTER VIII
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

46. Amendment of section 4-D, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- For the existing section 4-D of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951(Act No. 11 of 1951), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“4-D. Levy of Green Tax.- (1) There shall be levied and collected a cess called “green tax”, in addition to the tax levied under sections 4, 4-B and 4-C of the Act, on such vehicles suitable for use on road as specified in column (2), at such time as specified in column (3), of the table below at such rates, not exceeding the maximum rates specified in column (4) of the table, as may be fixed by the State Government by notification in the Official Gazette, for the purpose of implementation of various measures to control air pollution.

TABLE

S. No.	Class of the Vehicle	Time	Maximum rate of cess (in Rupees)
1	2	3	4
1.	Non-transport vehicle		
	(a) two wheelers	At the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of certificate of registration under sub-section (10) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988	1000
	(b) four wheeled diesel driven vehicles		
	I. Light Motor Vehicle with engine capacity up to 1500 cc		5000
	II. Light Motor Vehicle with engine capacity above 1500 cc and up to 2000 cc		10000
	III. Light Motor Vehicle with engine capacity above 2000 cc with seating capacity up to 5		10000

	IV. Light Motor Vehicle with engine capacity above 2000 cc with seating capacity more than 5	(Central Act No. 59 of 1988).	25000
	(c) four wheeled petrol/ LPG driven vehicles		
	I. Light Motor Vehicle with engine capacity up to 1500 cc		2000
	II. Light Motor Vehicle with engine capacity above 1500 cc and upto 2000 cc		2500
	III. Light Motor Vehicle with engine capacity above 2000 CC with seating capacity up to 5		3000
	IV. Light Motor Vehicle with engine capacity above 2000 CC with seating capacity more than 5		5000
	(d) other than above fuel driven four wheeled vehicles.		1000
	(e) other Non-transport vehicles.		2000
2.	Transport vehicle	At the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of fitness certificate under	2000

		section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988)	
--	--	---	--

(2) The provisions of this Act and the rules made there under excluding those relating to refund of tax shall, so far as may be, apply in relation to the imposition, payment, computation and recovery of the cess payable under sub-section (1), as they apply to the imposition, payment, computation and recovery of tax payable under this Act.”.

47. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In sub-section (1) of section 5 of the principal Act,-

- (i) in second proviso for the existing expression “three”, the expression “six” shall be substituted; and
- (ii) the existing third proviso shall be deleted.

CHAPTER IX AMENDMENT IN THE RAJASTHAN EXCISE ACT, 1950

48. Deletion of section 25, Rajasthan Act No. 2 of 1950.- The existing section 25 of the Rajasthan Excise Act, 1950 (Act No. 2 of 1950), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, shall be deleted.

49. Amendment of section 42, Rajasthan Act No. 2 of 1950.- In clause (h) of section 42 of the principal Act, for the punctuation mark “.”, appearing at the end, the punctuation mark “;” shall be substituted and after clause (h), so substituted, the following clause shall be inserted, namely:-

- “(i) prescribing the norms of production of excisable articles from any kind of raw material.”.

50. Insertion of section 62A, Rajasthan Act No. 2 of 1950.- After the existing section 62 and before the existing section 63 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“**62A. Offence by company.-** (1) Where an offence under this Act which has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was incharge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the

company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that where a company has different establishments or branches or different units in any establishment or branch, the concerned Head or the person incharge of such establishment, branch, unit nominated by the company as responsible for excisable articles shall be liable for contravention in respect of such establishment, branch or unit:

Provided further that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section,-

(a) “company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) “director”, in relation to a firm, means a partner in the firm.”.

51. Amendment of section 67, Rajasthan Act No. 2 of 1950.- For the existing clause (a) of sub-section (1) of section 67 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(a) under section 54 or section 54B or section 54D or section 57 or section 59 or section 62A or section 63 except on his own knowledge or suspicion or on a complaint or the report of an Excise Officer; or”.

CHAPTER X

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005

52. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 7 of 2005.- After clause (k) and before clause (l) of section 2 of the Rajasthan Fiscal Responsibilities and

Budget Management Act, 2005 (Act No. 7 of 2005), hereafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following clause shall be inserted, namely:-

“(kk) “Rajasthan Development and Poverty Alleviation Fund” means a Fund created under section 6A;”.

53. Insertion of section 6A, Rajasthan Act No. 7 of 2005.- After the existing section 6 and before the existing section 7 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“6A. Rajasthan Development and Poverty Alleviation Fund.- (1) There shall be created a fund called “Rajasthan Development and Poverty Alleviation Fund” (hereinafter referred to as the Fund) in the Public Account of the State.

(2) Tax receipts of the State, comprising of its own taxes and share in central taxes, in any year in excess of 17.5% over previous year and any other revenue receipts, as the State Government may think fit, shall, if the State Legislature by appropriation made by law in this behalf so provides, be credited to the Fund in the ensuing year.

(3) The Fund may be used by the State Government only for the following purposes:-

(a) to meet revenue or capital expenditure in a year wherein tax receipts of the State, comprising of its own taxes and share in central taxes, are estimated to be less than 10% over the previous year;

(b) to meet expenditure on developmental schemes or poverty reduction programmes.

(4) The Fund shall not be used for meeting non-developmental or establishment expenditure as defined by Comptroller and Auditor General of India.”.

CHAPTER XI INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CESS

54. Extent and commencement.- (1) This Chapter shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(2) This Chapter shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

55. Definitions.- (1) In this Chapter, unless the context otherwise requires,-

- (a) “cess” means the infrastructure development cess levied under section 56;
- (b) “infrastructure” means projects relating to roads, bridges, flyovers, metro-railway, electricity generation plants, wind mills, solar plants, transmission and distribution lines, electric sub-stations, water supply system, water filtration and treatment plants, sewage treatment plants, drainage pipelines, sanitation facilities, irrigation structures, irrigation canals and reservoirs, water harvesting and water conservation, industrial corridors, investment and manufacturing zones, special economic zones, education and research, sports, health care, tourism, transportation and such other schemes or projects as may be specified by the State Government from time to time;
- (c) “prescribed” means prescribed by rules made under this Chapter;
- (d) “purchase price”, for the purposes of levying cess under this Chapter, means the amount payable by a dealer as consideration for the purchase of goods including all statutory levies payable; and

(2) Words and expressions used but not defined in this Chapter shall have the meaning assigned to them under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003).

56. Levy and collection of cess.- (1) Subject to the other provisions of this Chapter and the provisions of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), with effect from such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify, there shall be levied and collected a cess on sale or purchase of such goods, at such rates, not exceeding six per cent of the sale or purchase price of the goods, as may be notified by the State Government.

(2) The cess leviable under sub-section (1) shall be in addition to any tax leviable on the sale or purchase of goods specified in sub-section (1) under any other law for the time being in force.

57. Application of proceeds of cess.- The proceeds of the cess levied under this Chapter, reduced by the cost of collection as determined by the State

Government, shall, if State Legislature by appropriation made by law in this behalf so provides, be utilized for all or any of the following objects namely:-

- (a) development of infrastructure; or
- (b) maintenance, renovation or management of infrastructure projects; or
- (c) financing infrastructure development projects.

58. Power to exempt.- If the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, exempt fully or partially, whether prospectively or retrospectively, from payment of cess payable under this Chapter by any person or class of persons, without any condition or with such condition as may be specified in the notification.

59. Furnishing of returns.- Every person shall furnish return in such manner and at such time and with such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, to such officer or authority, as may be prescribed.

60. Applicability of the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003.- Save as otherwise provided in this Chapter, the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) and the rules made thereunder, relating to assessment, collection, interest, penalty, recovery, refunds, appeal and revision shall, *mutatis mutandis*, apply in respect of cess leviable under this Chapter.

61. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Chapter.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for-

- (a) the manner in which accounts relating to the proceeds of the cess shall be maintained;
- (b) the manner in which the proceeds of the cess may be applied on the objects specified in section 57;
- (c) the determination of the cost of collection of the cess; or
- (d) generally to carry out the purposes of this Chapter.

(3) All rules made under this Chapter shall be laid, as soon as may be after they are made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may be comprised in one

session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following. The House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, howsoever, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

Clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 provides for incidence of tax for manufacturers whose annual turnover exceeds rupees two lacs. With a view to give relief to small manufacturers and the artisans, the clause (b) of sub-section (1) of section 3 is proposed to be amended so as to replace the aforesaid amount of two lacs by the amount of five lacs.

Sub-section (4) of section 16 of the said Act provides for cancellation of certificate of registration in certain circumstances. If a dealer changes his principal place of business, without information, it will be difficult to trace him and recover due demand in case of evasion or avoidance of tax. Thus, clause (aa) of sub-section (4) of section 16 of the said Act is proposed to be inserted to cancel the registration of such dealers.

Sub-section (2) of section 18 of the said Act provides for verification of tax deposited for allowing credit of input tax. To keep the uniformity in the system of verification among all assessing authorities, it is proposed that the Commissioner may be authorized to notify the process of verification. Accordingly, suitable amendment is proposed in sub-section (2) of section 18 of the said Act.

Sub-section (2) of section 20 of the said Act provides for deduction of tax by the awarder. The present limit of rate of tax deduction is six percent. The said limit is proposed to be extended from six percent to twenty percent, in order to cover the situations where the tax payable in the execution of works contract may be more than six percent of the contract value. Accordingly, suitable amendment is proposed in sub-section (2) of section 20 of the said Act.

In view of the practical difficulties in implementing the provisions of sub-section (2A) of section 20, it is proposed to delete the said sub-section 20 of the said Act.

Section 22 of the said Act provides for an assessment in case of failure to deposit tax in accordance with provisions of section 20 of the said Act or fails to submit a return as per the provision of section 21 of the said Act. An amendment

in sub-section (4) of section 22 of the said Act is proposed to clarify that assessment should not be done under this section after the date of filing of return.

Section 23 of the said Act provides for self assessment where the annual return has been submitted in the prescribed time. To enlarge the scope of self assessment, section 23 of the said Act is proposed to be amended to cover those dealers who have filed late returns provided they file it before issuance of notice for assessment under section 24. Moreover, the provision for quarterly assessment is to be deleted as very few dealers have opted for quarterly assessment.

Section 24 of the said Act provides for assessment. In cases where the Tax Board or the Appellate Authority passes an order and remands a case and the Department prefers an appeal or revision against the order, the assessment order is to be done within two years of the order. In such cases, it is proposed to pass assessment order, only after final adjudication. Hence section 24 is proposed to be amended. Similar provisions are proposed in section 25, 26 and 27 also.

Clause (b) of sub-section (7) of section 38 of the said Act provides for deferment of tax and instalments in case of incipient sickness. This concession is not proposed to be given in cases of incipient sickness of any industrial enterprise, so it is proposed that the said clause be withdrawn. Accordingly, suitable amendment is proposed in sub-section (7) of section 38 of the said Act.

With a view to allow a rebate up to the full amount of tax to dealers or class of dealers a new section 51B is proposed to be inserted in the said Act.

Sub-section (4) of section 53 of the said Act provides for interest payable on refund to a dealer where such an amount is found refundable interest on such amount is payable to the dealer. It is proposed that interest on refund would be allowed to a dealer from the first day of the April of the succeeding year till the date of refund, in case the amount to be refunded is deposited before the close of the year. Accordingly, suitable amendment is proposed in sub-section (4) of section 53 of the said Act.

Section 61 of the said Act provides penalty for avoidance or evasion of tax. In many cases, it has been observed that dealers are paying tax at lower rate than the rate of tax as specified in the said Act. To clarify these offences for imposition

of penalty, sub-section (1) of section 61 of the said Act is proposed to be amended.

Sub-section (1) of section 67 of the Act provides for prosecution of offences. With a view to have deterrent provisions in certain cases particularly for non-payment of any demand exceeding rupees one crore, and cases of fraud amendment in sub-section (1) of section 67 of the said Act is proposed.

Section 91 of the said Act empowers the Commissioner to issue directions, guidelines etc. for functioning of the department, especially regarding rate of tax payable in order to bring uniformity in the work of assessment. Accordingly, suitable amendment is proposed in section 91 of the said Act.

Section 95 of the said Act is proposed to be amended to give legal sanctity to electronic communication including notices, forms, returns etc.

Section 96 of the said Act provides for Tax Settlement Board. It is proposed to be deleted as the Tax Settlement Board has not served any purpose.

THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990

With a view to have common registration number under the different Acts administered by the Commercial Taxes Department and to have uniformity in the process of registration with the provisions of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, amendment in section 12 of the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 is proposed.

Similarly, to have uniformity in the rate of interest under the said Act and the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, amendment in section 20 of the said Act is proposed.

THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962

Clause (3) of the proviso to section 3 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 provides for exemption for certain class of consumers. Various industrial incentive and promotion schemes provides for exemption from payment of electricity duty to certain class of consumers not covered under the said proviso.

In order to fulfill the commitment of the Government, the said clause is proposed to be amended as if it was always there in the said Act.

THE RAJASTHAN ENTERTAINMENTS AND ADVERTISEMENTS TAX ACT, 1957

The Rajasthan Entertainments and Advertisements Act, 1957 provides for levy of tax on entertainment through cable service and direct to home broadcasting services, apart from tax on other forms of entertainment. The content of entertainment provided through direct to home broadcasting services and cable services is the same but under the said Act there are different provisions for levy of tax and there are different systems of taxation. With a view to have same provisions for entertainment through these services, amendment is proposed to merge sections 4AA and 4AAA into a single section. To differentiate between this class of entertainments and other entertainments amendment in section 4 has also been proposed. Consequential to these proposals amendments in the definition clause and clauses for assessment, interest and penalty are also required. Accordingly amendments in section 3, section 4AA, section 4AAA, section 5B, section 6, section 9A and section 10B are proposed.

Provisions relating to refund are given in section 8 of the said Act. With a view to make them at par with the similar provisions of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, it is proposed to amend the section 8 of the said Act.

THE RAJASTHAN TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS ACT, 1999

Sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 provides the maximum limit of rate of tax under the said Act. Presently it is twenty percent of value of goods. This maximum rate is proposed to be raised to sixty five percent by amending sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999.

THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

At present “Concession agreement” and “Leave and Licence Agreement” are neither defined nor specifically included in the Schedule of the Rajasthan Stamp Act, 1998 and chargeable with stamp duty as simple agreements under Article 5 of the Schedule.

With a view to make provision for stamp duty on these instruments, section 2 is proposed to be amended for defining such instruments and Schedule of the Act is proposed to be amended to include these instruments in the Schedule for providing special rates of stamp duty on these instruments.

The present definition of "market value" does not provide for the determination of market rates of land or property by District Level Committee or other authority. The market rates are being presently determined by District Level Committee or State Government on the basis of the provision under the Rajasthan Stamp Rules without having legal provision in the Act. Therefore definition of "market value" is proposed to be amended under the clause (xxiii) of section 2.

Presently stamp duty can be paid through stamp papers only i.e. impressed or adhesive stamp paper, franking or e-stamp. In exceptional circumstances, when impressed or adhesive stamp papers are not in stock stamp duty can be paid in cash. With advancement in technology, payment and collection of stamp duty can be made easier for general public as well as State Government. Therefore, section 4 is proposed to be suitably amended to make provision for payment of stamp duty through other methods also.

Provision regarding rounding off of fractions in stamp duty does not exist in the Act. Hence for this purpose a new section 4-A is proposed to be inserted.

As per the existing provisions of the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Collector has power to impose penalty in cases of evasion or avoidance of stamp duty at the rate of one hundred rupees to ten times of the amount of stamp duty avoided or evaded. As such the Collector has a wide range of discretion in respect of imposition of penalty. It has come to the knowledge of the State Government that this wide range of discretion generally leads to loss of revenue and inequality to the parties concerned. This wide range of discretion has also decreased the deterrent effect of the penalty to a large extent as the evader always thinks about lowest penalty.

In order to do away with the discretion of Collectors and to relate the penalty with the amount of stamp duty avoided in terms of time and percentage rate so as to ensure that every act of evasion and avoidance attracts penalty commensurate of the amount avoided. It will make clear to the avoider or evader that the profit gained from the avoidance and evasion of stamp duty will have to be paid back by way of penalty. Thus it will have a deterrent effect and would

reduce attempts to evasion and avoidance of stamp duty. Accordingly sections 39, 43, 44, 51 and 53 are proposed to be amended suitably.

At present there is no provision in the Act regarding reopening of the *ex parte* orders passed by Collectors. The aggrieved person has only option to challenge such orders before Rajasthan Tax Board after depositing twenty five percent amount of the demand. A new section 52-A is proposed to be inserted with a view to give chance to the aggrieved person to get decision of Collector on merit in his matter and to save him from financial burden of depositing twenty five percent amount of the demand.

Power to reduce or remit penalty or interest on stamp duty is available to State Government under section 9-A of the Act. These powers are proposed to be given to the Inspector General Registration and Stamps also up to the amount of rupees twenty five thousand so that Inspector General Registration and Stamps can also remit or reduce penalty or interest in appropriate cases on the basis of genuine financial hardship. Hence to make provision for this purpose, a new section 56-A is proposed to be inserted.

According to the provisions of the Act, stamp duty on the document is payable on the date of the execution of such document but under the present provisions of section 72, the interest on the demand of deficient stamp duty is payable from the date of order of the Collector. Secondly, the rate of interest is also payable at the rate of eighteen percent per annum compounded. Therefore, section 72 is proposed to be amended for providing levy of interest from the date of execution of the document and to reduce the rate of interest from eighteen percent compounded annually to twelve percent compounded annually.

With intent to impose specific rate of stamp duty on agreements relating to advertisement made for promotion of any product; or programme or event with an intention to make profits, business out of it and relating to conferring exclusive rights of telecasting, broadcasting or exhibition of an event or film, suitable amendments are proposed in Article 5 of the Schedule.

It is proposed to rationalize the stamp duty rates for Record of Transaction (Electronics or Otherwise) effected by a trading member through the association or stock exchange. Hence Article 5-A of the Schedule is proposed to be amended.

With a view to make Concession agreement chargeable with stamp duty a new Article 20-A is proposed to be inserted in the Schedule.

The rates of stamp duty on the orders of amalgamation, de-merger or reconstruction under Article 21 need to be streamlined considering the fact that it is also charged with stamp duty in other States. Therefore with a view to rationalize the rates as well as method of calculation of stamp duty on the orders of amalgamation or de-merger or reconstruction clause (iii) of the Article 21 of the Schedule is proposed to be amended and Explanation (ii) of the Article 21 of the Schedule is proposed to be deleted.

A new concept of transfer of property through Transferable Development Rights (TDR) has been introduced in the State. Transferable Development Rights (TDR) are as valuable as the land in respect of which such Transferable Development Rights (TDR) are issued. Therefore a new clause (iv) of the Article 21 in the Schedule is proposed to be inserted.

With a view to make Leave and Licence Agreement relating to immovable property other than residential property, chargeable with stamp duty, a new Article 33-A is proposed to be inserted in the Schedule.

THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

Section 4-D of Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 provides the power to impose green tax (cess) on all categories of Non Transport Motor vehicles at the time of registration or assignment of new registration mark and renewal of registration certificate as well on all categories of transport vehicles at the time of registration or assignment new registration mark and renewal of fitness certificate. It was envisaged that imposition of Green tax will not only help in bringing down emission levels but also augment resources for development and maintenance of infrastructure and purchase of equipments for checking air pollution. Looking into the present scenario of phenomenal and exponential growth in purchase and registration of the vehicles, which are prone to more emission of pollution owing to fuel consumption reasons, it seems desirable to de-incentivize such vehicles by way of extension of the fuel based categories of vehicles, and accordingly changing the rates of green tax in the said section. Thereby it is considered appropriate to further categorize vehicles for the sake of imposition of green tax so that pollution prone fuel driven vehicles are discouraged and environment friendly Green fuel driven vehicles are encouraged. Accordingly, section 4-D is proposed to be amended.

A facility to deposit lump sum tax in three equal instalments is provided in the second proviso of section 5 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951. Deposition of lump sum tax in six equal instalments instead of three equal instalments is proposed, for the vehicles which are required to pay lump sum tax compulsorily or who opt to pay lump sum tax. Accordingly section 5 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 is proposed to be amended.

THE RAJASTHAN EXCISE ACT, 1950

Section 25 provides that for grant of licence, within the limits of places where military forces are stationed, consent of commanding officer is necessary. This rider creates problem for granting licences for manufacture or sale of liquor in such areas. To avert legal disputes and to avoid loss of revenue, this section is proposed to be deleted.

Presently there are no norms for production of beer, spirit and Extra Neutral Alcohol under the provisions of the Act. Therefore, section 42 is proposed to be amended to empower the Excise Commissioner to prescribe norms for production of beer, spirit and Extra Neutral Alcohol from raw material used.

The manufacturing units established in Rajasthan are carrying on their business under provisions of the Companies Act, but there is no specific provision in Rajasthan Excise Act for fixing the criminal liability for offence committed by a company. There is only reference for a person in the existing rules. It is necessary to insert such type of provision. Hence, a new section 62A is proposed to be inserted.

Section 67 is regarding cognizance of offences to be taken by Magistrate. Section 62A is newly inserted in this Act for fixing the criminal liability for offence committed by a company. Hence it is necessary to amend clause (a) of sub-section (1) of section 67 to include section 62A.

THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005

The Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 was enacted for the purpose of making State Government manage State finances in a fiscally responsible manner by undertaking fiscal consolidation with time bound targets. In order to take the process of fiscal consolidation further, it is now desirable to provide for creation of equalization funds for setting aside a part of

state revenues in the years of above normal revenue growth and using such accumulations in the years of fiscal distress for poverty alleviation and development purposes.

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CESS

It is considered appropriate to levy a cess on sale or purchase of such goods and at such rates not exceeding six per cent of the sale or purchase price of the goods, to be specified by the State Government. The proceeds of the cess shall be utilized to develop infrastructure in the State and to finance infrastructure projects.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अन्तर्गत महामहिम
राज्यपाल महोदया की सिफारिश

[सं.प.12(59)वित्त/कर/2014 दिनांक 14.07.2014

प्रेषक: श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान
सभा, जयपुर]

राजस्थान की राज्यपाल महोदया ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2014 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के और (3) अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित और प्रचलित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 53 which seeks to add section 6A in Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 authorizes the State Government to utilize the fund constituted under the said section in a year wherein tax receipts of the State are estimated to be less than 10% over the previous year and to meet expenditure on development schemes or poverty reduction programmes.

Due to very nature of the purposes for which the fund is to be created and used, presently precise estimation cannot be made.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 9 of the Bill, which seeks to substitute section 24 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, shall, if enacted, empower the State Government to prescribe the form of the notice to be issued under that section.

Clause 18 of the Bill, which seeks to substitute section 91 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, shall, if enacted, empower the State Government to prescribe fee and the manner in which the dealer may submit the application under that section.

Clause 19 of the Bill, which seeks to substitute sub-section (2) of section 95 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, shall, if enacted, empower the State Government to prescribe the manner in which the dealer may give his consent to use the website of the Commercial Taxes Department.

Clause 26 of the Bill, which seeks to substitute section 4AA of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957, shall, if enacted, empower the State Government to prescribe conditions and manner in which compounded amount by proprietor of hotel or restaurant may be paid.

Clause 30 of the Bill, which seeks to substitute section 8 of the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957, shall, if enacted, empower the State Government to prescribe the manner in which refund shall be made.

Clause 34 of the Bill, which seeks to substitute clause (xxiii) of section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998, shall, if enacted, empower the State Government to prescribe the authority by which and manner in which, the price of property may be determined.

Clause 35 of the Bill, which seeks to substitute section 4 of the Rajasthan Stamp Act, 1998, shall, if enacted, empower the State Government to prescribe, the manner in which stamp duty be paid or collected and, the manner in which amount of stamp duty paid shall be endorsed on instrument.

Clause 59 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the manner and time in which and the authority, to which the returns shall be filed and the late fee for delay in filing returns.

Clause 61 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules regarding-

- (a) the manner in which accounts relating to the proceeds of the cess shall be maintained;
- (b) the manner in which the proceeds of the cess may be applied on the objects specified in section 57;
- (c) the determination of the cost of collection of the cess; or
- (d) generally to carry out the purposes of this Chapter.

The delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

the assessing authority or the authority competent to grant registration may, after affording such dealer an opportunity of being heard and after recording reasons in writing cancel the certificate of registration from such date as he may deem appropriate.

	(5) to (6)	XX	XX	XX
XX		XX	XX	XX
	18. Input Tax Credit.-	(1) XX	XX	XX

(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.

	(3) to (4)	XX	XX	XX
XX		XX	XX	XX
	20. Payment of tax.-	(1) XX	XX	XX

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, in the case of works contract, an amount in lieu of tax shall be deducted by the awarder at such rate as notified by the State Government not exceeding six percent of the total value of the contract, in such manner and under such circumstances, as may be prescribed, from every bill of payment to a contractor and such sum shall be deposited or credited in the Government account within the specified time and in the prescribed manner.

(2A) Notwithstanding anything contained in this Act, but subject to the provisions of sub-section (2), where a registered dealer sells goods to a department of the State Government or to a public sector undertaking, corporation or company owned or controlled by the State Government or a co-operative society having contribution of State Government in its share capital or a municipality or a Panchayati Raj Institution at district and block level or any other local authority or statutory body constituted by or under a law of the State Legislature, such department, public sector undertaking, corporation, company, co-operative society, municipality, Panchayati Raj institution, local authority or

statutory body, as the case may be, shall deduct from the amount payable to the selling dealer an amount equal to tax payable by such dealer on such goods and shall deposit or credit the same in the Government account, in the manner and in the time as may be prescribed:

Provided that the State Government may, if it considers necessary in the public interest so to do, exempt, by notification in the Official Gazette, any class of sales or purchases from the provision of this sub-section.

(3) to (6)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

22. Assessment on failure to deposit tax or submit return or audit report.-

(1) to (3)	XX	XX	XX
------------	----	----	----

(4) No order under this section shall be passed after the expiry of nine months from the end of the period for which the tax has not been deposited or, as the case may be, from the last date of submission of return or audit report which has not been submitted.

23. Self Assessment.- (1) Every registered dealer who has filed annual return or audit report for the year within the prescribed time shall, subject to the provisions of section 24, be deemed to have been assessed for that year on the basis of annual return filed under section 21 or, as the case may be, the audit report filed under section 73.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a dealer may opt for quarterly assessment by informing his assessing authority or the officer authorized by the Commissioner in writing, his intention to do so, within thirty days of the commencement of the year for which such option is being exercised. The dealer who has exercised such option and filed return within the prescribed time, shall, subject to the provisions of section 24, be deemed to have been assessed on the basis of return filed under section 21 for the quarter to which it relates. However, for the years 2006-2007 to 2008-2009 such option can be exercised within thirty days from the date of commencement of the Rajasthan Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2008 (Ordinance No.6 of 2008) in the prescribed manner.

(3) The list of the registered dealers assessed under sub-section (1) or (2) may be published through electronic or print media and such publication shall be deemed to be due intimation to such dealers wherever required.

24. Assessment.- (1) Every return furnished by a registered dealer shall be subject to such scrutiny as may be determined by the Commissioner, to verify, its correctness and if any error is detected, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner shall serve a notice in the prescribed form on the dealer to rectify the errors and file a revised return within such period as may be specified therein.

(2) Where the registered dealer, who has opted for quarterly assessment, in pursuance of the notice issued under sub-section (1),-

- (a) files revised return in terms of the notice, and deposit the tax, if any, he shall be deemed to have been assessed under sub-section (2) of section 23, as per such revised return;
- (b) does not file revised return or the return filed by the dealer is not in terms of the notice, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner shall on the basis of material available on record, assess the dealer to the best of his judgment.

(3) Where the registered dealers, who are not covered under sub-section (2), in pursuance of the notice issued under sub-section (1),-

- (a) in case notice is issued for the quarterly return and the dealer files the revised return in terms of the notice and deposits the tax, if any, and no other error is detected in the annual return, then he would be deemed to have been assessed under sub-section (1) of section 23;
- (b) in case notice is issued for the annual return and the dealer files the revised return in terms of the notice and deposits the tax, if any, then he shall be deemed to have been assessed under sub-section (1) of section 23, as per such revised return;
- (c) does not file revised return or the return filed by the dealer is not in terms of the notice, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner would assess the dealer to the best of his judgment on the basis of material available on record.

(4) Deleted by Rajasthan Finance Act, 2012.

(4A) Deleted by Rajasthan Finance Act, 2012.

(5) No assessment orders under this section shall be passed after the expiry of two years from the end of the relevant year, however, the Commissioner may

for reasons to be recorded in writing, extend in any particular case, such time limit by a period not exceeding six months.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), where an assessment order is passed in consequence of or to give effect to any order of an appellate or revisional authority or a competent court, it shall be completed within two years of the communication of such order to the assessing authority, however, the Commissioner may for reasons to be recorded in writing, extend in any particular case, such time limit by a period not exceeding six months.

25. Assessment in case of avoidance or evasion of tax.-

(1) to (3) XX XX XX

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, where notice has been issued under sub-section (1), the authority issuing such notice shall be competent to make the assessment for the relevant year or quarter, as the case may be; and assessment, if any, already made shall be subject to the assessment made under this section.

Explanation.- For the purpose of this section the expression “date of making out the case” means the date on which notice in pursuance of this section is issued for the first time to the dealer.

26. Escaped assessment.- (1) An assessment – (a) of a person who is liable to get registration but has not got himself registered; or

(b) in which, for any reason, the levy of tax or any fee or sum payable under this Act has been escaped wholly or in part; or

(c) wherein tax has been wholly or in part unassessed or under-assessed in any way or under any circumstances,

shall be deemed to be an escaped assessment and the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, shall on the basis of the material on record or after making such enquiry as it may consider necessary, complete such assessment within the time limit provided in sub-section (3).

Explanation.- The assessment under this section shall not include that part of the business which has already been assessed or deemed to have been assessed under the provisions of this Act.

(2) XX XX XX

(3) No notice under sub-sections (1) and (2) shall be issued in respect of any escaped assessment for an year after the expiry of five years, and no assessment under the said sub-sections shall be completed after the expiry of eight years, from the end of the relevant year; but this limitation shall not be applicable to any assessment to be made in consequence of, or to give effect to, any finding or direction contained in any order passed by an appellate authority or the Tax Board or a competent court.

(4) XX XX XX

27. Audit of the dealer.- (1) With a view to promoting compliance with the provisions of this Act, the Commissioner may arrange for audit of the business of such of the registered dealers who are selected by the Commissioner on the basis of the application of any criterion or on a random selection basis or in respect of whom the Commissioner has reasons to believe that detail scrutiny of their business is necessary.

(2) The audit of the dealer shall be conducted by the auditor in the prescribed manner.

(3) The auditor while conducting audit shall exercise the powers provided under section 75 and shall examine the books of accounts, stock in trade and the related documents of the dealer of the audit period.

(4) If on such audit, the returns filed by the dealer are not found to be correct, or any avoidance or evasion of tax is detected the auditor shall, issue a show cause notice to the dealer containing details of discrepancies detected.

(5) On receipt of the reply to notice issued under sub-section (4), the auditor shall after considering the reply of the dealer assess his tax and other related liabilities and get such order approved from his immediate higher officer before its issuance to the dealer along with the demand notice. Where the dealer fails to submit the reply, the auditor shall proceed to assess the liability of the dealer under this Act, to the best of his judgment. Such assessment shall be deemed to be the assessment of the dealer for the relevant period and assessment, if any, already made shall be subject to the assessment made under this section.

XX XX XX XX

38. Liability for payment of tax or demand.- (1) to (6) XX XX

(7) Notwithstanding anything contained in this Act, the Commissioner may,—

- (a) on the recommendation of the State Government defer the recovery of demand payable by an industrial unit declared as sick by the Board of Industrial and Financial Reconstruction constituted under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (Central Act No. 1 of 1986) to such extent, for such period and on such conditions with regard to the payment or rate of interest as may be deemed proper;
- (b) after having conducted such enquiry as he deems necessary and after recording his reasons for so doing, permit deferment of payment of tax arrears for a maximum period of three years and thereafter, order recovery thereof in sixty monthly instalments in case of such sick industrial units and such industrial units facing incipient sickness as may be specified by the Committee constituted for the purpose by the State Government.

XX	XX	XX	XX
53. Refund.- (1) to (3)	XX	XX	XX

(4) An amount refundable under this Act shall be refunded within thirty days from the date on which it becomes due and if such amount is not refunded within the aforesaid period of thirty days, it shall carry interest with effect from the date of expiry of the aforesaid period up to the date of payment, at such rate as may be notified by the State Government.

(5) to (6)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

61. Penalty for avoidance or evasion of tax.- (1) Where any dealer has concealed any particulars from any return furnished by him or has deliberately furnished inaccurate particulars therein or has concealed any transactions of sale or purchase from his accounts, registers or documents required to be maintained by him under this Act or has avoided or evaded tax in any other manner, the assessing authority or any officer not below the rank of an Assistant Commercial Taxes Officer as may be authorized by the Commissioner, may direct that such dealer shall pay by way of penalty, in addition to the tax payable by him under this Act, a sum equal to two times of the amount of tax avoided or evaded.

(2) XX XX XX
XX XX XX XX

67. Prosecution for offences.- (1) Where any person –

- (a) though not registered under this Act, yet falsely represents that he is a registered dealer at the time of any sale or purchase made by him or at the time of making any statement or declaration before any officer or authority appointed or constituted under this Act; or
- (b) knowingly prepares or produces false accounts, sales and purchase invoices, VAT invoices, registers or documents; or knowingly furnishes false returns in relation to his business or makes a false disclosure or averment in any statement required to be recorded or in any declaration required to be filed under this Act or the rules or notifications; or
- (c) fraudulently avoids or evades tax or deliberately conceals his tax liability in any manner; or
- (d) fails to pay the amount of any demand notice and a period of not less than six months has elapsed since the receipt of the demand notice by him;

Explanation.- An offence under this clause shall be deemed to be a continuing offence until full payment is made; or

- (e) deliberately disregards a notice issued under sections 50 and 91; or
- (f) prevents or obstructs, in any manner, the competent officer under this Act, to enter, inspect and search the business place or any other place where the goods or the accounts, registers and other documents are believed to be kept, or prevents or obstructs such officer to seize the goods or the accounts, registers and documents; or
- (g) fails to stop the vehicle or carrier transporting the goods, of which he is the driver or otherwise Incharge, for being inspected in accordance with the provisions of this Act, or prevents or obstructs the inspection, of the goods or the vehicle or the carrier transporting the goods, by the Incharge of a check post or barrier or

other officer empowered in this behalf to discharge his duties by the Commissioner; or

- (h) imports into or exports from the State of Rajasthan, any goods showing incorrect or fictitious names or addresses of consignors or consignees or incorrect details of goods or incorrect particulars in vouchers, way bills or goods receipts or other documents accompanying the goods while in movement; or
- (i) fraudulently avails wrong credit of input tax; or
- (j) aids or abets any person in the commission of any such offence as aforesaid,

on a complaint being made against such person by the assessing authority or any other competent officer after having obtained sanction from the Commissioner, he shall, on conviction by a Judicial Magistrate having jurisdiction, be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months and with fine not exceeding rupees five thousand, and for the offences covered under clauses (b), (c), (f), (g), and (i) with a minimum sentence of simple imprisonment of three months.”

(2) to (4)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

91. General powers of the Commissioner.- (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made there under, the Commissioner shall be empowered to formulate guidelines or issue administrative instructions, in particular or in general, for carrying out the purposes of this Act and the rules.

(2) For the purposes of official use, the Commissioner may, by notice in any newspaper, or in such other manner as he deems proper, call upon all dealers or any class of dealers or persons to furnish such information, statement or return as may be specified in the notice issued in this behalf.

XX	XX	XX	XX
-----------	-----------	-----------	-----------

95. Automation.- (1)	XX	XX	XX
-----------------------------	----	----	----

(2) Where any notice, communication or intimation is prepared on any automated data processing system and is properly served on any dealer or person, then the said notice, communication or intimation shall not be required

to be personally signed by any officer or person and the said notice, communication or intimation shall not be deemed to be invalid only on the ground that it is not personally signed by any such officer.

96. Constitution of Tax Settlement Board.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute a Tax Settlement Board consisting of a Chairperson and such other members, as it may deem fit, to resolve such disputes, as may be prescribed, relating to outstanding demand of tax, or arrears of tax, interest or penalty payable under this Act; and such Board shall undertake to resolve the dispute whenever so requested by the dealer or person concerned.

(2) The Tax Settlement Board shall have such powers and follow such procedure as may be prescribed.

(3) The order of settlement passed by the Tax Settlement Board shall be final and shall not be called in question in any Civil Court or any other authority.

XX

XX

XX

XX

**2. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) ACT, 1990
(Act No. 9 of 1996)**

XX

XX

XX

XX

12. Registration.- (1) Every hotelier liable to pay tax under this Act shall obtain registration certificate from the appropriate Luxury Tax Officer in such manner and form as may be prescribed.

(2) to (3)

XX

XX

XX

(4) If the Luxury Tax Officer is satisfied that the application for registration is in order, he shall register the applicant and issue to him a certificate of registration in the prescribed form.

(5) to (6)

XX

XX

XX

(7) Where a registered hotelier discontinues, transfers or otherwise disposes of his activity of providing accommodation by way of business or where he ceases to be liable to pay the tax, the Luxury Tax Officer may *suo motu* or on application of such hotelier in the prescribed form, shall, after making such inquiry as may be necessary, cancel the certificate of registration with effect from such date as he may fix in accordance with the rules:

Provided that, the cancellation of certificate of registration on an application of the hotelier or otherwise shall not effect the liability of the hotelier to pay the tax (including any penalty or interest) due for any period up to the date of cancellation whether such tax (including any penalty or interest) is assessed before or after the date of cancellation.

XX

XX

XX

XX

20. Levy of Interest.- If a hotelier does not pay tax within the time he is required to pay tax under the provisions of this Act or does not deposit any demand arising as the result of assessment, rectification, reassessment or other order within the time provided in this Act, he shall be liable to pay interest at the rate of two percent of the amount of such tax or demand for each month or part of it after the last day by which he should have paid such tax or demand.

XX

XX

XX

XX

3. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962 (Act No. 12 of 1962)

XX

XX

XX

XX

3. Electricity duty on energy consumed.- There shall be levied for, and paid to, the State Government on the energy consumed by a consumer or by a person other than a supplier generating energy for his own use or consumption a duty (hereinafter referred to as the 'electricity duty') computed at such rate as may be fixed by the State Government from time to time by notification in the Official Gazette:

Provided that-

(1) In respect of consumption of energy under a temporary connection obtained by a consumer from the supplier for a period not exceeding such number of days, for such purpose and exceeding such units as may be prescribed, the duty may be computed at a rate as may be fixed by the State Government from time to time by a notification in the Official Gazette;

(1A) The total of the duty so levied and the net rate charged per unit shall not exceed the rate as may be notified by the State Government from time to time by a notification in the Official Gazette; and

(1B) Where energy is consumed by a cultivator in agricultural operations under a non-metered supply, the electricity duty shall be levied and charged at a rate as may be notified by the State Government from time to time.

(2) the electricity duty shall not be levied on the energy consumed-

(a) by the Government of India;

(b) in the construction, maintenance or operation of any railway by the Government of India;

(bb) where the energy is generated at a voltage not exceeding 100 volts;

(d) by the following classes of institutions, namely:-

(i) hospitals or dispensaries which are not maintained for private gain,

(ii) recognised educational institutions,

(iii) places of public worship,

subject to the condition that the exemption under this sub-clause shall not be applicable to energy consumed in buildings or part of buildings used for commercial or residential purposes.

(3) Where the State Government is of opinion that it is necessary or expedient in the public interest to do so, it may by notification in the Official Gazette, and on such terms, conditions and restrictions as may be laid down in the notification, reduce or remit where prospectively or retrospectively,-

(a) the electricity duty on the energy consumed-

(i) by a consumer in any industry in the manufacture, production, processing or repair of goods;

- (ii) by a person generating energy for his own use or consumption;
- (iii) by or in respect of any mine as defined in the Mines Act, 1952 (Central Act No. 35 of 1952),
- (b) the electricity duty on the energy consumed by or in respect of any Municipality or Panchayati Raj institutions or other local authority, for the purpose or in respect of public street lighting;
- (c) the electricity duty on the energy consumed by such other class of consumers as may be prescribed by the State Government, subject, however, in the case of clause (a), to the condition that any reduction, or remission so made shall not be applicable to energy consumed in respect of any premises used for commercial or residential purposes.

XX XX XX XX

**4. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN ENTERTAINMENTS AND
ADVERTISEMENTS TAX ACT, 1957
(Act No. 24 of 1957)**

XX XX XX XX

3. Definitions.- In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

(1) “Admission” includes admission as spectator or as one of an audience and admission for the purpose of amusement by taking part in an entertainment;

(2) “Admission to an Entertainment” includes admission to any place in which an entertainment is held;

(2A) to (4) XX XX XX

(4A) “direct to home broadcasting service” means distribution of multi-channel television programmes by using satellite system by providing television signals direct to the premises of subscribers without passing through an intermediary such as cable service.

(4AA) to (5) XX XX XX

(6) “entertainment tax” means the tax- levied and charged under section 4, 4AA and 4AAA and includes the additional tax payable under section 6A,

(6A) XX XX XX

(7) "payment for admission" includes,-

- (a) any payment made by a person who, having been admitted to one part of a place of entertainment is subsequently admitted to another part thereof, for admission to which a payment involving a tax or a higher rate of tax is required,
- (b) any payment for seats or other accommodation in a place of entertainment,
- (c) any payment for a programme or synopsis of an entertainment, and
- (d) any payment for any purpose whatsoever connected with an entertainment which a person is required to make as a condition of his attending or continuing to attend the entertainment in addition to the payment, if any, for admission to the entertainment:

Provided that the entertainment tax or additional entertainment tax or any surcharge on any such tax leviable under this Act shall not be included in the payment for admission if the amount due on account of such entertainment tax, additional entertainment tax or surcharge is separately and expressly shown on the ticket authorizing admission to an entertainment.

(8) "proprietor" in relation to an entertainment includes any person responsible for, or for the time being in-charge of the management thereof;

(8A) to (11) XX XX XX

(11A) "subscriber" means a person who receives the signals of cable television network at a place indicated by him to the proprietor of the cable televisions network without further transmitting it to any other person;

Explanation: In case of hotels each room or premises where facility for receiving signals of cable television network have been attached shall be treated as subscriber.

(12) to (13) XX XX XX

4. Levy of tax on payment for admission.- (1) There shall be levied, charged and paid to the State Government on all payments for admission to an

entertainment, a tax at such rate not exceeding 100 per cent of the payment for admission, as may be notified by the State Government, from time to time, subject to a minimum of five paise in any one case, the amount of tax wherever necessary shall be rounded off to the nearest multiple of five paise, fractions of two and half paise or more being counted as five paise, and less than two and half paise being ignored.

(1A) to (6) XX XX XX
 XX XX XX XX

4AA. Levy of Tax on Cable Service.- (1) The proprietor of a cable television network providing cable service shall be liable to pay entertainment tax at such rates not exceeding rupees six hundred per subscriber for every year, as the State Government may, from time to time, notify in the Official Gazette, in this behalf.

(2) Nothing in sub-section (1) shall preclude the State Government from notifying different rates of entertainment tax for entertainment in a household or in different categories of hotels.

(3) Where the subscriber is a hotel or a restaurant, the proprietor may in lieu of payment under sub-section (1), pay a consolidated payment to the State Government on such conditions and in such manner as may be prescribed and at such rate as the State Government may from time to time notify in the Official Gazette and different rates of consolidated payment may be notified for the different categories of hotels.

4AAA. Levy of tax on direct to home broadcasting service.- The proprietor of a direct to home broadcasting service shall be liable to pay entertainment tax at such rates, not exceeding twenty per cent of the monthly subscription charges per subscriber, as the State Government may, from time to time, notify in the Official Gazette, in this behalf and different rates may be notified for different subscribers.

XX XX XX XX
5B. Assessment.- (1) XX XX XX

(2) If no return is submitted by the proprietor under sub-section (3) of section 5 and sub-section (1) of section 5-A with in the period prescribed or if the return submitted by him appears to be incorrect or incomplete, the prescribed authority shall, after making such enquiry as it considers necessary, determine the

tax due under all or any of the provisions of sections 4, 4A, 4AA, 4AAA. and 6A and assess the proprietor to the best of its judgment:

Provided that before taking action under this sub-section, the proprietor shall be given a reasonable opportunity of proving the correctness and completeness of any return submitted by him or that no return was due from him.

(3) XX XX XX
XX XX XX XX

6. Admission to entertainments.- (1) Save as otherwise provided by this Act, no person other than a person who has to perform some duty in connection with an entertainment imposed upon him by any law or otherwise shall be admitted for payment to an entertainment where the payment is subject to the entertainments tax, except with a ticket stamped with an impressed, embossed, engraved or adhesive stamp (not before used) issued by the State Government for the purpose of revenue and denoting that the proper entertainments tax has been paid.

(2) XX XX XX

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the State Government may, on the application of the proprietor of any entertainment in respect of which the entertainments tax is payable under this Act, allow such proprietor, on such conditions, as may be prescribed-

- (a) to compound the tax payable in respect of such entertainment for a fixed sum, or
- (b) to pay the amount of the tax due-
 - (i) by a consolidated payment of such percentage of the gross sum received by the proprietor or on account of payment for admission to the entertainment and on account of the tax, as the State Government may, fix or
 - (ii) in accordance with returns of the payments for admission to the entertainment and on account of the tax, or

(iii) in accordance with the results recorded by any mechanical contrivance which automatically registers the number of persons admitted.

(4) XX XX XX
XX XX XX XX

8. Refunds in certain cases.- Upon being satisfied that the whole of the net proceeds of an entertainment are devoted to philanthropic, religious or charitable purposes and that in calculating the net proceeds not more than twenty-five per cent of the gross proceeds have been deducted on account of the expenses of the entertainment, the State Government may repay to the proprietor the amount of the entertainments tax, if any, paid in respect of the entertainment.

XX XX XX XX

9-A. Interest on failure to pay tax or penalty.- (a) If the amount of any tax payable under sections 4, 4A, 4AA, 4AAA or 6A is not paid in the manner provided in section 5 or 5A within the period allowed, or

(b) XX XX XX
XX XX XX XX

10-B. Penalty for non-payment of tax on cable service.- Where the proprietor of a cable television network providing cable service, contravenes provisions of this Act or the rules made thereunder or fails to comply with any order or direction issued in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder, shall on conviction, be punishable with a fine not exceeding two thousand rupees.

XX XX XX XX

5. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS ACT, 1999 (Act No. 13 of 1999)

XX XX XX XX

(3) **Levy of Tax.-** (1) There shall be levied, collected and paid to the State Government a tax on entry of any goods brought into a local area, of consumption, use or sale therein, with effect from such date and at such rates, not exceeding twenty percent of the value of the goods, as may be specified by the State Government, by notification in the official Gazette, and different dates

and different rates may be specified in respect of different goods or different class of goods or different local areas.

XX

XX

XX

XX

**6. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998
(Act No. 14 of 1999)**

XX

XX

XX

XX

2. Definitions.- In this Act, unless there is something repugnant in the subject or context.-

(i) to (xxii)

XX

XX

XX

(xxiii) "market value" in relation to any property, which is the subject matter of an instrument, means the price which such property would have fetched if sold in open market on the date of execution of such instrument, or the consideration stated in the instrument, whichever is higher;

(xxiv) to (xxxvii)

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

4. Payment of stamp duty in cash.- (1) Where the State Government or the collector under instructions of the State Government by order published in the Official Gazette declare that adhesive or impressed stamps of any denomination are not in stock for sale in sufficient quantity; then notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder and during the period the said order remains in force,-

- (i) any instrument chargeable with the stamp duty under this Act may be executed on an unstamped paper;
- (ii) the stamp duty chargeable on such instrument under this Act may be paid to or collected by any Government treasury in cash and a receipt or challan therefor shall be duly given by the officer receiving the cash;
- (iii) the officer-in-charge of the Government treasury shall, as soon as may be after the stamp duty chargeable on any such instrument under this Act has been received in cash, make on the instrument for which the stamp duty has been paid in cash,

the following endorsement, after due verification that the stamp duty had been paid in cash for such instrument, and after cancelling such receipt or challan so that it cannot be issued again, namely:-

Stamp duty of Rs.....paid in cash, vide receipt/challan No.....dated.....

- (iv) the instrument endorsed under clause (iii) shall be deemed to be duly stamped under this Act and may be used or acted upon as such to all intents and for all purposes.

Explanation.- For the purposes of sub-section (1) "Government Treasury" includes a Government Sub-Treasury and any other place as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf.

(2) An order made under sub-section (1) shall remain in force for such time as may be specified therein:

Provided that the State Government or the Collector under the instructions of the State Government may, by notification in the Official Gazette, from time to time, extend the period of such order for such further time as may be considered necessary for making stock of adhesive or impressed stamps available for sale.

(3) The State Government may, by order in the Official Gazette, direct that the power exercisable by it or by the Collector or by the officer-in-charge of a Government Treasury under this section may be exercised by such other officer as may be specified in the order.

(4) Nothing contained in this section shall apply to the payment of stamp duty chargeable on the instruments specified in entry 91 of list 1 of the Seventh Schedule to the Constitution of India.

(5) An order under this section may be made for the whole or any part of State.

(6) Nothing contained in this section shall, during the period an order under this section remains in force, render invalid any stamp which may be used in accordance with the other provisions of this Act.

XX

XX

XX

XX

39. Instruments not duly stamped inadmissible in evidence, etc.- No instrument chargeable with duty under this Act shall be admitted in evidence for any purpose by any person having by law or consent of parties authority to receive evidence, or shall be acted upon, registered or authenticated by any such person or by any public officer, unless such instrument is duly stamped :

Provided that,-

(a) any such instrument shall, subject to all just exceptions, be admitted in evidence on payment of,-

- (i) the duty with which the same is chargeable, or in the case of an instrument insufficiently stamped, of the amount required to make up such duty; and
- (ii) a penalty of one hundred rupees, or, ten times the amount of deficient portion thereof, whichever is higher.

(b) to (g)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

43. Collector's power to refund penalty paid under sub-section (1) of section 42.- (1) When a copy of an instrument is sent to the Collector under sub-section(1)of section 42, he may, if he thinks fit, refund any portion of the penalty in excess of one hundred rupees which has been paid in respect of such instrument.

(2) When such instrument has been impounded only because it has been written in contravention of section 13 or section 14, the Collector may refund the whole penalty so paid.

44. Collector's power to stamp instrument impounded.- (1) When the Collector,-

(a) impounds any instrument under section 37, or

(b) receives any instruments sent to him under sub-section (2) of section 42, and such instrument is chargeable with a duty under this Act, he shall adopt the following procedure,-

(i) if he is of opinion that such instrument is duly stamped or is not chargeable with duty, he shall certify by endorsement thereon that it is duly stamped, or that it is not so chargeable, as the case may be;

(ii) if he is of opinion that such instrument is chargeable with duty and is not duly stamped, he shall require the payment of proper duty or the amount

required to make up the same, together with a penalty of one hundred rupees; or, if he thinks fit an amount not exceeding ten times the amount of the proper duty or of the deficient portion thereof, whether such amount exceeds or falls short of one hundred rupees:

Provided that, when instrument has been impounded only because it has been written in contravention of section 13 or section 14, the Collector may, if he thinks fit, remit the whole penalty prescribed by this section.

	(2) to (3)	XX	XX	XX
XX		XX	XX	XX

51. Instruments undervalued, how to be valued.- (1) to (2) XX XX

(3) On receipt of the instrument under sub-section (1) or (2) the Collector shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and after holding an enquiry in the prescribed manner, determine the market value and duty including the penalty not exceeding ten times the deficient stamp duty chargeable and surcharge, if any, payable thereon if the amount of duty including penalty and surcharge if any, so determined exceeds the amount of duty including penalty and surcharge, if already paid, the deficient amount shall be payable by the person liable to pay the duty including penalty and surcharge, if any.

	(4)	XX	XX	XX
--	-----	----	----	----

(5) The Collector may, *suo motu* or on a reference made under sub-section (4) call for and examine any instrument not referred to him under sub-section (1) or (2), from any person referred to in sub-section (4) or the executant or any other person for the purpose of satisfying himself as to correctness of the market value of the property, and if after such examination, he has reason to believe that the market value of such property has not been truly set forth in the instrument, he may determine in accordance with the procedure provided in sub-section (3) the market value and the amount of stamp duty together with a penalty not exceeding ten times the deficient stamp duty chargeable on it, which shall be payable by the person liable to pay the stamp duty, and penalty.

	(6) to (7)	XX	XX	XX
XX		XX	XX	XX

53. Determination of the correct nature of the document and the recovery of proper duty.- (1) to (2) XX XX XX

(3) On receipt of document or instrument under sub-section (1) or (2), the Collector shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard,

(a) to (e)	XX	XX	XX
(f) if relating to project under Built, Operate and Transfer (BOT) system, whether with or without toll or fee collection rights;			0.2 per cent on the amount agreed in the contract subject to minimum of one hundred rupees.
(g) to Exemption	XX	XX	XX
5-A. Record of Transaction (Electronics or Otherwise) effected by a trading member through the association or stock exchange referred to in section 2, clause (ia) and (xxxvi),			
(a) if relating to sale and purchase of Government securities.			Fifty rupees for every rupees one crore or part thereof of the value of security.
(b) if relating to purchase or sale of securities, other than those falling under item (a) above.-			
(i) in case of delivery			One rupees of every rupees 10,000 or part thereof.
(ii) in case of non delivery			Twenty paise for every rupees 10,000 or part thereof.
(c) if relating to futures and options trading.			Twenty paise for every rupees 10,000 or part thereof.
(d) if relating to forward contracts of commodities traded through an association or otherwise.			One rupee of every rupees 1,00,000 or part thereof.
Explanation-I Any duty paid under this article shall be adjusted towards the duty chargeable if any under article 5, 18,34,40,52, as the case may be. Explanation-II For the purpose of clause (b), securities shall have the same meaning as defined by the Securities Contract (Regulation) Act, 1956.			
6. to 20.	XX	XX	XX

21. Conveyance as defined by section 2 (xi),-	
(i) if relating to immovable property.	Eleven percent of the market value of the property.
(ii) if relating to movable property.	Half (0.5) percent of the market value of the property.
(iii) if relating to the order under section 394 of the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956) or section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No.10 of 1949).	Ten percent of the market value of the property.
Exemption: Assignment of copy right by entry made under the Indian Copy Right Act 1957 (Act No.14 of 1957).	
<p>Explanation:-(i) For the purpose of this article an agreement to sell an immovable property or an irrevocable power of attorney or any other instrument executed in the course of conveyance or lease e.g. allotment letters, patta, licence etc. shall, in case of transfer of the possession of such property before, at the time of or after the execution of any such instrument, be deemed to be a conveyance and the stamp duty thereon shall be chargeable accordingly:</p> <p>Provided that the provisions of section 51 shall be applicable <i>mutatis mutandis</i> to such agreement or power of attorney or instruments as are applicable to a conveyance:</p> <p>Provided further that the stamp duty already paid on such agreement or power of attorney or instrument shall at the time of the execution of a conveyance one lease in pursuance of such instrument subsequently, be adjusted towards the total amount of duty chargeable on the conveyance or lease.</p>	

		(Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of certificate of registration under sub-section (10) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988).	
2.	Transport vehicle	At the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of fitness certificate under section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988)	600.00

(2) The provisions of this Act and the rules made thereunder excluding those relating to refund of tax shall, so far as may be, apply in relation to the imposition, payment, computation and recovery of the cess payable under sub-section (1), as they apply to the imposition, payment, computation and recovery of tax payable under this Act.

XX

XX

XX

XX

5. Payment of tax.- (1) Save as otherwise provided by or under this Act and subject to the provisions of sub-section (2), the tax leviable under section 4, section 4-B and section 4-C shall be paid by every owner or by the person having possession or control of a motor vehicle in advance in the manner prescribed by the State Government:

Provided that the State Government may, if satisfied that there are sufficient reasons for doing so, by notification in the Official Gazette, extend whether prospectively or retrospectively the time limit for payment of tax in case of particular classes of vehicles or persons liable to pay tax under this Act:

Provided further that the lump sum tax payable under section 4-C may be paid in full or in three equal installments within a period of one year in such manner as may be prescribed by the State Government:

Provided also that in case of the class of vehicles specified under second proviso to section 4C, the tax shall be paid in full in such manner as may be prescribed by the State Government.

(2) to (4)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

**8. EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN EXCISE ACT, 1950
(Act No. 2 of 1950)**

XX	XX	XX	XX
----	----	----	----

25. Manufacture and sale of liquor in military cantonments.- Within the limits of places in which any military forces are stationed and within such distance from those limits as the State Government in any case may prescribe, no licences for the manufacture or sale of liquor, or for an exclusive privilege in respect of liquor under section 24 shall be granted unless with the consent of the Commanding Officer.

XX	XX	XX	XX
----	----	----	----

42. Power of Chief Excise Authority to make rules.- The Excise Commissioner may, subject to the previous sanction of the State Government make rules-

- (a) regulating the manufacture, supply, storage or sale of any excisable article including-
 - (i) the erection, alteration, repair, inspection, supervision, management and control of any place for the manufacture, supply, storage or sale of such article or drug and the fittings, implements and apparatus to be maintained therein;
 - (ii) the cultivation of the hemp plant (Cannabis Sativa);
 - (iii) the collection of portions of the hemp plants (Cannabis Sativa) from which many intoxicating drugs can be manufactured and the manufacture of any intoxicating drug therefrom;
 - (iv) the bottling of liquor for the purpose of sale;
- (b) regulating the deposit of any excisable article in a warehouse and the removal thereof from any such warehouse or from any distillery, pot-still or brewery;

(c) prescribing the scale of fees or the manner of fixing the fees payable in respect of any licence, permit or pass or of the storing of any excisable article;

Explanation.- Fees may be prescribed under this sub-clause at different rates for different classes of licence, permits, passes or storage, and for different areas.

(d) regulating the time, place and manner of payment of any duty or fee;

(e) prescribing the restrictions under and the conditions on which any licence, permit or pass may be granted including provisions for the following matters:-

(i) the prohibition of the admixture with any excisable article of any substance deemed to be noxious or objectionable;

(ii) the regulation or prohibition of the reduction of liquor by a licensed manufacturer or licensed vendor from a higher to a lower strength;

(iii) the fixing of the strength, price or quantity in excess of or below which any excisable article shall not be sold or supplied or possessed and of the quantity in excess of which denatured spirit shall not be possessed, and the prescription of a standard of quality for any excisable article;

(iv) the prohibition of sale except for cash;

(v) the fixing of the days and hours during which any licensed premises may or may not be kept open, and the closure of such premises on special occasions;

(vi) the specification of the nature of the premises in which any excisable article may be sold and the notices to be exposed at such premises;

(vii) the form of accounts, to be maintained and the returns to be submitted by licence-holders; and

(viii) the regulation of the transfer of licenses;

(f) (i) declaring substance and the process by which spirit manufactured in India shall be denatured;

